इस किताब को पढ़ने के ब'अ़द मैंने पाया कि इस किताब में निकाह से मुतअ़ल्लिक़ तक़रीबन हर मौज़ू'अ़ पर क़ुर्आन–ओ–हदीस की रौशनी में सारे तथ्यों (हक़ीक़तों) को अच्छे अंदाज़ में यकजा (एकत्रित) किया गया है जिससे क़ारिईन (पढ़ने वाले) को निकाह के मुत'अ़ल्लिक़) लगभग सारी बातों का इ'ल्म हो जाएगा जो इस किताब का बुनियादी मक़सद है।
मो० रफ़ीक़
साहिल ने हवालाजात के मद्द–ए–नज़र क़ुर्आन और सिहाह सित्ता को अपना महवर–ओ–मरकज़ बनाया है। उनकी कोशिश अहादीस का इंतिख़ाब मुनासिबतरीन है। वली, ईज़ाब, क़ुबूल, महर, मुताअ़, ऐअलान, वलीमा या एक से ज़ाइद निकाह या किसी दीगर मौज़ूअ़ पर अगर कोई हदीस सामने आई है तो सहीह अहादीस के हवाले से उसका तदारुक भी किया है।
डा० इलियास नवैद गुन्नौरी
मेरा ख़याल है कि हिन्दी ज़बान में इस तरह की तफसीली चीजें बहुत कम ही दस्तियाब हैं। उम्मीद है कि अवामुन्नास इससे फ़ायदा उठाएगें और निकाह के सिलसिले में जो पेचीदगियां हायल होती हैं उनका भी इस किताब के जरिए सद्देबाब होगा और क़ुरान–ओ–हदीस को रौशनी में यह किताब संगमील की हैसियत रखेगी।
प्रो० एस डबलू अख़्तर
(संस्थापक और कुलाधिपति इंटीग्रल विश्वविद्यालय)
अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल जज़ाये खैर दे जनाब 'ए आर साहिल' को कि इन्हों ने इस्लामी तहज़ीब के सुनहरे उनवान 'निकाह' के तहत पाए जाने वाले इस इंतिहाई दरजह तख़रीबी रुख़ को राहे रास्त पर लाने की जो सई फ़रमाई है वह बिलाशुब्हा वक़्त की अहम ज़रुरत है।
मुफ़्ती अब्दुल तव्वाब उन्नावी गुफिर लहू
मैंने इस किताब को पढ़ी और हैरान रह गया कि इतनी कम उम्र में इस तालिब–ए–इल्म ने इतने नाज़ुक मौज़ूअ पर क़ुर्आन और अहादीस की रौशनी में अर्करेंज़ी करते हुए इस किताब को तरतीब दिया है।
हसन काज़मी
मुझे मालूम होता है कि यह किताब हिंदी भाषा में उर्दू अल्फ़ाज़ में पिरोई गई एक मुख़्तलिफ़ और संजीदा किताब है जो समाज में निकाह को लेकर फैली अज्ञानता को दूर करने में बड़ी मददगार साबित होगी।
राना सिददीक़ी ज़माँ
(वरिश्ठ फिल्म और कला पत्रकार, लेखिका,)
एक पत्रकार (सहाफ़ी) के तौर पर जब मैं अपने समाज को देखता हूँ तो दुख होता है कि निकाह का इतना पाकीज़ा और आसान तरीक़ा होने के बाद भी हमने ग़ैर–शरीअ रस्मों और दूसरों के तौर तरीक़ों को अपना लिया। शायद यही वजह है कि आज निकाह का मुद्दा गैर–शरीअ लोगों के लिए चारा बन गया है और वो इसका इस्तेमाल हमारे ख़िलाफ माहौल बनाने और अफ़वाह फैलाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे में आपने इस किताब में जिस तरह आसान लफ्ज़ों और तरीक़ों को समझाया है वो क़ाबिले–तारीफ़ है।
डॉ अशफाक अहमद (वरिश्ठ संवाददाता, राज्य सभा टीवी)
'ए.आर.साहिल' ने निहायत अर्क़ रेज़ी और जानफ़िशानी के साथ निकाह का मुख़्तसर और जामे तआरूफ़ मुरत्तब किया है और निकाह के तमाम पहलुओं पर पुख़्तगी और दलाइल के साथ रौशनी डाली है। ए. आर. साहिल ने निहायत ही नादिर व नायाब अन्दाज़ में मुख़्तलिफ़ उनवानात की शक्ल मे तहरीर फ़रमाई है। इनकी यह काविश और जददो जेहद काबिले तहसीन है।
सईद हाशमी (चीफ़ एडीटर, बेबाक बात लखनऊ)
निकाह पर आपकी किताब 'निकाह' पढ़ कर हैरत और मुसर्रत हुई। हैरत इसलिए कि आज यही मौज़ूअ मुस्लिम और ग़ैर मुस्लिम में वाज़ह नहीं है, मुसर्रत इसलिए कि नई नस्ल के लिए यह तोहफ़ा से बढ़ कर नेअमत–ए–ग़ैरमुतरक़बह साबित होंगी।
डॉक्टर इसरारूल हक़ (सदर शोबए उर्दू, लामार्टीनीयर कॉलेज, लखनऊ)
₹495/-
निकाह
ए.आर.साहिल
44
निकाह
ए.आर.साहिल
وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا
AND WE CREATED YOU IN PAIRS
THE NOBILE QUR'AN (78:8)
और हमने तुम्हे जोड़ो में पैदा किया

ए.आर.साहिल

₹495/-

बिस्मिल्ला–हिर्रहमा–निर्रहीम

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

निकाह

मुसन्निफ़ : ए.आर. साहिल

।

इंतिसाब (समर्पित)

अपने वालिदेन और असातज़ा–ए–किराम बिल–खुसूस मोहतरम डॉक्टर इलियास नवैद गुन्नोरी साहब के नाम जिन की दुआएँ और सरपरस्ती मेरे लिए क़ीमती सरमाया हैं।

इजहार–ए–तशक्कुर (आभार)

मैं जाती तौर पर तमाम दौस्त अहवाब का तहे-दिल से मशकूर हूँ जिंहोने इस किताब को पाये–तकमील तक पहुंचाने में मेरी मदद और हौसला अफ़जाई फ़रमाई जिन में ख़ुसूसन..

- हसन क़ाजिमी,
- प्रो० एस डब्लू अख़्तर (संस्थापक और कुलाधिपति, इंटीग्रल विश्वविद्यालय)
- हाफ़िज़ मुहम्मद इकराम अल मारुफ़ अलहाज बाबाजी (चेयर–मेन बज़्म शाहीन, बैंगलोर)
- मौहम्मद फ़ारुक़ आज़म हबान क़ासिमी (ख़ान्क़ाह रहीमी व दारुल उलूम मौहम्मदयाय, बैंगलौर)
- मुफ़्ती अब्दुल तव्वाब उन्नावी गुफिर लहू (ख़ादिमुल इहतिमाम वल इफ़ता, जामिआ़ इस्लामिया बंगरमऊ, उन्नाव, यू.पी.)
- डॉक्टर इसरारुल हक़ (सदर शोबए उर्दू, लामार्टीनीयर कॉलेज लखनऊ)
- सईद हाशिमी (चीफ़ एडीटर, रोज़नामा 'बेबाक बात' लखनऊ, बानी व सदर अदब कलचर ऐंड़ वेलफियर सोसाइटी लखनऊ)
- कमरुल हुदा फ़लाही
- डॉक्टर अशफ़ाक़ अहमद (वरिष्ठ संवाददाता, राज्यसभा टीवी)
- राना सिद्दीक़ी ज़माँ (वरिष्ठ फिल्म और कला पत्रकार, लेखिका, आर्ट क्यूरेटर
- मोहम्मद जफ़ीर
- डॉक्टर अफ़ीफ़ रुही
- तूबा रुही
- जेबा रुही
- कांतह रुही
- सबा शैख
- नफ़ीस चाँद
- मोहम्मद जहूर
- उमरेज़ अली हैदर
- कौशल किशोर
- मोइद रहबर
- मनीष पुष्कर झा
- अरुण कुमार पोद्दार (अधिवक्ता)
- डॉक्टर जाबेद अख़्तर
- इंतिख़ाबुर रहमान
- वक़ार इकबाल
- बिलाल यूसुफ़
- मसूद मनीअर

इल्तिजा

मज़हबी मुद्दे पर कोई किताब लिखना बहुत ही मुश्किल और जोखिम भरा काम होता है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे इस काम को करने की तौफ़ीक़ दी और मैं इस मुश्किल और जोखिम भरे काम को बहुत ही मुश्किल मरहलों को पार करते हुए मुकम्मल कर पाया। इसके लिए मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ बहुत कम है।

मज़हबी मुद्दों पर कोई किताब या कोई मज़मून लिखते हुए एक बात वाज़ह रहती है कि उस मोज़ूअ़ के जो नियम पहले ही मज़हब ने बना दिए हैं, उनको ही लिखा जाए। हाँ! मुसन्निफ़ (लेखक) के लिखने का अंदाज़ और अपनी बात को पेश करने का तरीक़ा ही किताब को एक अलग पहचान दिलाता है लेकिन किसी मुसन्निफ़ (लेखक) की सोच और उसकी दलीलों को मज़हब के नियमों से छेड़–छाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाती। इसलिए इस किताब में, मैंने अपनी सोच, अपना ख़्याल, अपनी राय को सिर्फ़ क़ुर्आन और हदीस की रौशनी में रखने की हर मुमकिन कोशिश की है। अगर किसी बिंदु पर अपनी राय

रखी है तो मेरी मुकम्मल तौर पर कोशिश रही है कि वह राय अहादीस और क़ुर्आन के नियमों के मुताबिक़ हो और पढ़ने वालों पर आरोपित न लगे और साफ़ ज़ाहिर रहे कि उक्त बिंदु पर मुसन्निफ़ की जाती राय है।

अल्लाह से मेरी दुआ है और इस किताब को पढ़ने वालों से उम्मीद है कि वे इस किताब को क़ुबूल करेंगे, इसकी अच्छाइयों व ख़ूबी से फ़ायदा उठाएँगे और मेरी कमियों पर निशानदही करते हुए मुझे कमियों से आगाह करेंगे।

ए.आर. साहिल

अल्लाह ने तमाम मख़लूक़ में मख़सूस वदी'अ़त किया है और इंसान को तमाम मख़लूक़ात में अशरफ़ुल मख़लूक़ात का दर्जा अता किया है। इन में वे तमाम सिफ़ात मौजूद हैं जो दीगर मख़लूक़ों में अलग–अलग पाया जाता है। इंसान के लिए शर्त यह है कि उसे उस सिफ़ात को उजागर करना होगा, जैसे मछली की सिफ़त पानी में स्वतः तैरना, परिन्दों की सिफ़त हवाओं में उड़ने का है। पहाड़ को दायम–क़ायम कर मुस्तहकम (एक जगह स्थिर रहना) बनाया, तो चींटी को दिन रात मेहनत करना वदी'अ़त कर दिया गया। यह तमाम ख़ूबियाँ इंसानों में यकजा (सामूहिक) तौर पर वदी'अ़त हैं जिसे उजागर करने का शर्त पूरा करना पड़ेगा, तो फिर वह तैर भी सकता है और उड़ भी सकता है। या'नी जो शख़्स जिस पहलू को उजागर करेगा, वह उस में कामयाब होगा।

टीचर की हैसियत से मुझे जब हाईस्कूल में सरकारी मुलाज़मत मिली तब **ए.आर. साहिल** मेरे घर पैदा हुआ, बुनियादी तालीम मुझ से ही पाया। मैट्रिक अपने ही शहर ज़िला स्कूल और इन्टरमीडिएट भी अपने ही शहर के कॉलेज से इम्तियाज़ी नम्बर से पास किया।

इसके बाद इंजीनियरिंग की तालीम के लिए अलीगढ़ का रूख़ किया। इसकी माँ बिल्कुल सीधी–सादी, इबादत गुज़ार, तकरीबन हर नमाज़ के बाद तिलावत–ए–क़ुर्आन का मामूल रहा, बच्चों की परवरिश उसी नेहज़ पर किया। **ए.आर. साहिल** अपनी बहनों का सबसे बड़ा भाई अपनी ज़िम्मेदारियों से हमेशा आगाह रहा। घर के माहौल का दीनी रूजहान हमेशा बना रहा। मुस्लिम मआशरा में ग़ैर इस्लामिक सोच, देखा–देखी रीति–रिवाज से पैदा उलझनों के निशानदही को बुनियाद बनाकर मैंने 'ख़िज़ालत', 'सवालिया निगाहें', 'मिल्लत में गुम हो जा', वग़ैरह चन्द अफ़साने तख़लीक़ की थी जो उर्दू महाना मैगज़ीन 'गुलाबी किरन', 'मशरिक़ी आँचल' वग़ैरह में शाया हुआ था। इस्लामिक लिटरेचर, अख़बार, रिसाला वग़ैरह मेरे यहाँ पाबन्दी से आता रहा और तमाम बच्चों के ज़ेरे मुताल'अ़ रहा।

ए.आर. साहिल के अदबी सोच का इल्म मुझे तब हुआ जब इसका काव्य संग्रह, **'सुलगते आँसू'** और उपन्यास **'मैं कौन हूँ'** प्रकाशित हुआ। कई गज़लें मुख़तलिफ़ अख़बारों, वेब पोर्टल (रेख़्ता, कविता कोश, अमर उजाला वग़ैरह) में शाया हुआ।

फ़ितरती इश्क़ में इश्क़–ए–हक़ीक़ी **ए आर साहिल** के ग़ज़लों में मुझे साफ़–साफ़ नज़र आया। बे–इतमिनानी, क़ैद–ए–क़फ़स, दुनियादारी के साथ दीनी रूजहान भी ज़ाहिर होता है। किस क़दर इंसानियत क़ब्र में दफ़्न हो रही है, इसकी ग़ज़लों में देखने को मिलता है।

उसको जन्नत में क़दम रखने पे है पाबन्दियां
जिस किसी बदज़ेहन की भी काफ़िरी पोशाक है।

हर गली नुक्कर नगर अब बन चुका मक़तल यहाँ
बे-गुनाहों की लहूतर चींखती पोशाक है।

सब की तक़रीरों में वैसे है ख़ुदा सबका ही एक
हाँ, मगर हर दिल की अपनी मज़हबी पोशाक है।

उस ग़ज़ल के हर्फ़ साहिल मुस्कराएँ किस क़दर
मुद्दतों से जिसने पहनी मातमी पोशाक है।

ज़माने के बदलते रंग और बिगड़ती तस्वीर, गिरती तहज़ीब–ओ–तरबियत पर शाइर फ़िक्रमंद नज़र आता है।

दीजिये बच्चों को अपने लाख त'अ़लीम–ए–जदीद
दीन से भी हाँ मगर, महरूमियाँ अच्छी नहीं।

इस अन्दाज़ को देखें

तू ही मालिक है तेरे बंदे जो ठहरे सब तो
फिर यह मज़हब की रिवायात बुरी लगती है

इस अदबी कलाम में दीन और समाजी सुधार के जज़्बे को मैंने पाया और यह भी पाया कि क़ुर्आन और अहादीस को बा–दलील अंदाज़ में पेश करने की माशा–अल्लाह बहतर सलाहियत है। फिर मैंने कहा, तुम्हें अपने बहनों में सबसे बड़ा भाई के रिश्ते से अल्लाह ने मुझे औलाद अता किया है। बहुत दिनों से मेरी दिली ख़्वाहिश थी कि

निकाह के मौज़ूअ़ पर कोई किताब तख़लीक़ की जाए जिसमें निकाह के अफ़ादियत, मक़ासिद, दावत, और तरग़ीब–ए–अमल पर आम ज़ुबान (भाषा) में अ़वाम को अल्लाह और उसके रसूल स0 की बातों का तज़कीर किया जाए। फिर मेरे इस ख़्वाहिश को **ए आर साहिल** ने कारे–तकमील तक पहुँचाया है।

मैंने इस किताब को शाए' होने से पहले पढ़ी है। इस किताब को पढ़ने के ब'अ़द मैंने पाया कि इस किताब में निकाह से मुतअ़ल्लिक़ तक़रीबन हर मौज़ूअ़ पर क़ुर्आन–ओ–हदीस की रौशनी में सारे तथ्यों (हक़ीक़तों) को अच्छे अंदाज़ में यकजा (एकत्रित) किया गया है जिससे क़ारिईन (पढ़ने वाले) को निकाह के मुत'अ़ल्लिक़) लगभग सारी बातों का इ'ल्म हो जाएगा जो इस किताब का बुनियादी मक़सद है।

उम्मीद है कि यह किताब अपने मक़ासिद में मुमकिन हद तक कामयाब साबित होगी और इससे क़ौम–ओ–मिल्लत ज़रूर फ़ैज़याब होंगी और दुआएँ देकर हिम्मत अफ़ज़ाई करेंगी ताकि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में दीगर मौज़ूआत पर भी मुसन्निफ़ की और मज़ामीन (किताबों) को पढ़ने का मौक़'अ़ मिलेगा।

मोहम्मद रफ़ीक़

डा0 इलियास नवैद गुन्नौरी
अलीगढ़।

अपने मिज़ाज, मौज़ूअ़ या तालीमी इस्तअ़दाद से बालातर किसी दीगर मौज़ूअ़ पर गुफ़्तगू या ख़ामाफ़रसाई क़द्रे कार–ए–मुश्किल है। मेरे शागिर्द–ए–रशीद **ए0 आर0 साहिल** का रूजहान कार–ए–सुख़न की जानिब तो है ही साथ ही मुतालिआ़ भी संजीदगी के साथ करते हैं। चंदमाह क़ब्ल **'निकाह'** मौज़ूअ़ पर गुफ़्तगू की और उस पर तहक़ीक़ी मक़ाला तहरीर करने की बात हुई। **साहिल** ने इस मौज़ूअ़ पर संजीदगी से बग़ाइर मुतालिआ़ किया एक पुरमग़्ज़ तहक़ीक़ी मक़ाला तैयार हो गया।

इस मक़ाले की ज़बान इस्तिलाहात और सेहत–ए–अल्फ़ाज़ पर मुझे काफ़ी मशक़्क़त करनी पड़ी। मक़ाले की ज़बान को हिन्दुस्तानी कह सकते हैं क्योंकि इसमें अ़रबी–फ़ारसी इस्तिलाहात और अल्फ़ाज़ के साथ हिन्दी अल्फ़ाज़ का भी ख़ासा इस्तअ़माल हुआ है। इस की वज्ह यह मजबूरी है कि मक़ाला देवनागरी रस्मुलख़त में तहरीर किया गया है। ऐसा दौर–ए–हाज़िर के हिंदीदाँ क़ारिईन को नज़र में रखकर किया है। हमारे नौजवानों का एक बड़ा तबका उर्दू से नाबलद है। लेकिन इस तरह के मौज़ूआ़त पर मालूमात का मुतमन्नी है। उसी के

मद्देनज़र यह क़दम **साहिल** ने उठाया है। उनकी कोशिश यह भी रहेगी कि मुस्तक़बिल–ए–करीब में इसे फ़ारसी रस्मुलख़त में भी शाएअ़ किया जाए।

साहिल ने हवालाजात के मद्द–ए–नज़र कुर्आन और सिहाह सित्ता को अपना महवर–ओ–मरकज़ बनाया है। उनकी कोशिश अहादीस का इंतिख़ाब मुनासिबतरीन है। वली, ईज़ाब, कुबूल, महर, मुताअ़, ऐअलान, वलीमा या एक से ज़ाइद निकाह या किसी दीगर मौज़ूअ़ पर अगर कोई हदीस सामने आई है तो सहीह अहादीस के हवाले से उसका तदारूक भी किया है।

मैं **साहिल** को मुख़लिसाना और जुर्अतमदाना काविश के लिए उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआगो हूँ कि उनकी यह काविश कामयाबी की मनाज़िल तै करे और इन के लिए कारेख़ैर और सदक़ः ए–जारिया साबित हो। जज़ाकल्लाहू ख़ैरन कसीरा।

दुआगो ख़ैरअंदेश।
डा० इलियास नवैद गुन्नौरी
अलीगढ़।

अदबी इदारे के एक नौजवान शाइर **ए आर साहिल** बा–सलाहियत इंसान और मेरे दोस्त कुमार अनुपम के क़रीबी भी हैं। जब कभी इन दोनों का लखनऊ आना होता है तो यह दोनों मेरे घर साथ–साथ आते हैं। अभी पिछले दिनों हमारे एक शो **'परछाइयाँ'** में भी शरीक हुए थे और अगले दिन जब इनका मेरे घर आना हुआ तो बातचीत के दौरान मालूम हुआ कि साहिल एक मज़हबी मसौदा को एक किताब की शक्ल दे रहे हैं जिसका उनवान **'निकाह'** है। मैंने सरसरी नज़र डाली और हैरान रह गया कि इतनी कम उम्र में इस तालिब–ए–इल्म ने इतने नाज़ुक मौज़ूअ पर क़ुर्आन और अहादीस की रौशनी में अर्क़रेज़ी करते हुए एक किताब को तरतीब दिया है। अल्हमदुलिल्लाह! यह किताब आपके हाथों में है। मुझे उम्मीद है, आगे चलकर इनकी मुतअददिद तसानिफ़ और शे'री मज़मुओं से अदब को गिरां क़दर इज़ाफ़ा मिलेगा। मेरी दुआ है कि यह किताब इल्म–ओ–अदब के हलक़ों में क़ाबिले आम हो और मज़ीद तरक़्क़ी की राह हमवार हो।

हसन काज़मी (लखनऊ)
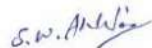
प्रो० एस० डबलू अख़्तर
संस्थापक और कुलाधिपति
इंटीग्रल विश्वविद्यालय

श्री ए० आर० साहिल

आपकी तसनीफ ब–उन्वान **"निक़ाह"** नजर नवाज हुई। सरसरी मुताले का मौका मिला। आपने मुखतलिफ नुक़ात के तहत अपनी किताब को अलग अलग तरतीब दी है जो काफी मशक्कत और मेहनत का काम है। अल्लाह आपकी कोशिशों को कामयाब बनाए और जज़ाए खैर दे। हकीकत यही है कि अल्लाह अगर तौफीक़ न दे तो इंसान के बस का काम नही है। अल्लाह ने आपके जरिए ये काम ले लिया है जो बहुत क़ाबिले तहसीन है।

मेरा ख्याल है कि हिन्दी ज़बान में इस तरह की तफसीली चीजें बहुत कम ही दस्तियाब है। उम्मीद है कि अवामुन्नास इससे फायदा उठाएगें और निकाह के सिलसिले में जो पेचीदगियाँ हायल होती है उनका भी इस किताब के जरिए सद्देबाब होगा और कुरान–हदीस की रोशनी में ये किताब संगमील की हैसियत रखेगी।

चूंकि मसरूफियात के बिना पर बहुत तफसीली मुतालाए हक अदा नही हुआ है इसलिए इसमें कुछ कमियां नजर आए तो मै और मुसन्निफ माज़रत ख्वाह होंगे।

S. W. Akhtar

(प्रो० एस० डब्ल्यू अख्तर)
कुलाधिपति

Kursi Road, Lucknow - 226026 (U.P.) India
Phone : 0091 - 63900 11283, 84, 85
Website : www.iul.ac.in
E-mail : info@iul.ac.in
integraluniversity_inspiringexcellence
integralunilko
integralunilko_offi

जनाब ए आर साहिल साहब

अस्सलामु अ़लैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू

मोहतरम साहिल साहब......आपकी किताब 'निकाह' की एक कापी मिली। इस किताब का मुताअला करने का मौक़ा मिला। आपने इस किताब में 'गागर में सागर' भरने का काम किया है। निकाह दीन का अहम रुक्न है। हम सब अपने आलिम-ए-दीन से इसकी ख़ासियात और ज़रूरियात पर हमेशा बयानों के ज़रिये सुनते और समझते आएँ हैं। अल्लाह माफ़ करे...मुझे दीन का इतना इल्म नहीं की मैं इस पर कुछ लिख सकूँ। लेकिन क़ाबिल-ए-ज़िक्र बात यह है कि जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मुझे बेशुमार जानकारियां मिली।

एक पत्रकार(सहाफ़ी)के तौर पर जब मैं अपने समाज को देखता हूँ तो दुख होता है कि निकाह का इतना पाकीज़ा और आसान तरीक़ा होने के बाद भी हमने ग़ैर शरीअ रस्मों और दूसरों के तौर तरीक़ों को अपना लिया। शायद यही बजह है कि आज निकाह का मुद्दा गैर शरीअ लोगों के लिए चारा बन गया है और वो इसका इस्तेमाल हमारे ख़िलाफ़ माहौल बनाने और अफ़वाह फैलाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे में आपने इस किताब में निकाह को जिस तरह आसान लफ़्ज़ों और तरीक़ो से समझाया है वो क़ाबिले-तारीफ़ हैं।

साथ ही हम जैसे तमाम पत्रकारों लेखकों और ऐसे लोगों को जो निकाह की तमाम बारीकियों से वाक़िफ़ होना चाहते हैं ये किताब उनके लिए एक बडे तोहफ़े से कम नहीं है। दूसरी तरफ़ हमारा नौजवान तबक़ा इस किताब में दी गई जानकारी से न सिर्फ़ 'निकाह' की सुन्नतों पर अमल करेगा बल्कि समाज में शादी से जुड़ी हुई तमाम बुराइयों से ख़ुद को महफ़ूज़ करेगा और अपने अज़ीज़ो-अक़ारिब को भी बचाएगा।

अल्लाह से दुआ है कि वो आपको इस किताब के सदक़े में आपकी हर जाइज़ ख़्वाहिशात को पूरी करे और क़ौम मिल्लत व मुल्क की तरक़्क़ी के लिए आपके इस मिशन में मदद करे।

डॉ अशफ़ाक़ अहमद
वरिष्ठ संवाददाता
राज्य सभा टीवी

अस्सलामु-अ़लईकुम-व-रह़मतुल्लाहि-व-बरकातुहू

बिसमिही सुबह़ानहू व तअ़ाला

निकाह़-ह़ज़रत आदम अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सय्यिदना ह़ज़रत मुह़म्मदे अ़रबी स़ल्लल्लाहु अ़लईहि व सल्लम तक तमाम अंम्बिया अलईहिमु स्सलातु व स्लाम का अख़्तियार करदा त़रीक़ै ह़यात रहा है निकाह़ के त़रीक़े कार को दुरुस्त कर लेने से मुआ़शरे की बेश्तर बुराईयों का खा़त्मा और पाकीज़ह मुआ़शरे का तशकील पाना बदीही है क्योंकि यह अमरे वाक़ई और मुसल्लम है कि निकाह़ को गैर वाजिबी लवाज़िमात की रूस्तग़ारी के ज़रीए ही एक अच्छा और पाक़ीज़ा मुआ़शरा तशकील दिया जा सकता है इसके बग़ैर नहीं।

दौरे हा़जिर में निकाह़ के तअ़ल्लुक़ से मुस्लिम समाज में फैली लातादाद गैर इस्लामी रूसुमात ने निकाह़ को इंतहाई दरजह मुश्किल और ज़िना को बहुत ही आसान कर दिया है जिसके नतीजे में हमारे मुआ़शरे के कितने इस्लामी तालीमात से आरास्ता घरानों में परवरदह नुफ़ूस इन्हीं रूसुमाते बद के अ़ज़ाब की ता़ब न लाकर ग़ैर-इस्लामी तहजी़ब का ह़िस्सा बनते जा रहे हैं (अल अ़याज़ बिल्लाह) अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल जज़ा़ये खैर दे जनाब **ए आर साहिल** को कि इन्हों ने इस्लामी तहजी़ब के सुनहरे उ़नवान **'निकाह़'** के तह़त पाए जाने वाले इस इंतिहाई दरजह तख़रीबी रुख़ को राहे रास्त पर लाने की जो सई फ़रमाई है वह बिलाशुब्हा वक़्त की अहम ज़रूरत है। अल्लाह अज्ज व जल्ल महे़ज़ अपने फ़ज़ल से मौसूफ़ की

जुमला मसाई जमीलह क़बूल फ़रमाए और इस 'निकाह' नामी रिसाला को क़बूले आ़म से नवाज़े आमीन । नाचीज़ ने रिसाले का बेशतर ह़िस्सा बग़ौर पढ़ा और उम्मत के लिए इसे बहुत बहुत मुफ़ीद पाया । अल्लाह मुरत्तिब को बहतेरीन जज़ा से नवाज़े..

आमीन ।

मुफ़्ती अब्दुल तव्वाब उन्नावी ग़ुफ़िर लहू
ख़ादिमुल इहतिमाम वल इफ़्ता
जामिआ़ इस्लामिया बंगरमऊ
जिला: उन्नाव (यू-पी)

निकाह की फ़ज़ीलत

क़ुर्आन पाक के साथ साथ अहादीस मुबारिका में हुज़ूर अकरम स0 ने निकाह करने की बड़ी सख़्त ताकीद फ़रमाई है। आपका इरशाद मुबारक है ''अन्निकाह मिन सुन्नती वफ़ी रिवायतिन फ़मन रग़ेबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी''–निकाह मेरी सुन्नत है, जो इस से मुँह मोड़ेगा वह मुझसे नहीं (यानी मेरी उम्मत से नहीं)। देखें, यहाँ आप स0 निकाह न करने वाले को इतनी सख़्त तंबीह फ़र्मा रहे हैं कि उसे अपना कामिल उम्मती तसलीम करने से इंकार फ़रमा रहे हैं।

और निकाह को निहायत सादगी से करने का हुक्म है, निकाह में जितने कम अख़राजात और सादगी होगी उस में उतनी ज़्यादा बरकत होगी।

हज़रत सईद बिन हश्शाम बिन आमिर ने उम्मुल मौमेनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ीअल्लाह तआला अनहा से बे–निकाह रहने की इजाज़त चाही, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फ़रमाया कि ऐसा मत करो, क़ुर्आन में निकाह को अम्बिया का तरीक़ा बताया गया है, इसलिए तुम बे–निकाह मत रहो (अलमहलीउल इब्ने हज़मः 9/440)।

हज़रत मआज़ बिन जबल रज़ीअल्ला अनहो ने अपने मर्ज़ुल वफ़ात में फ़रमाया ''ज़ौ जूनी इन्नी इकरह इनलक़युल्लाह अज़बन''(मुसन्निफ़ इब्ने अबी शीबाः 4/127)– मेरा निकाह कर दो मैं बग़ैर निकाह की हालत में अल्लाह से मिलना पसंद नहीं करता।

और हज़रत इब्ने मसऊद रज़ीअल्लाह अनहो फ़रमाते थे "लउ लम अअशा जीयुद्दुनिया अलआशरन, हईता अन यकूना इन्दी फईहन अमरअता"–अगर मेरी ज़िन्दगी के सिर्फ़ दस ही दिन बाक़ी हों, तब भी मेरी ख़्वाहिश ये होगी कि उस वक़्त भी मेरी ज़ोजियत में कोई ख़ातून हो।

उर्दू अदब की मारूफ़ शख़्सियत हज़रत इल्हाज बाबा जी चैयरमैन बज़्मे शाहीन ने फ़रमाया कि जनाब **ए.आर.साहिल** साहब ने **'निकाह'** की फ़ज़ीलत पर एक बहतरीन किताब तरतीब दी है, आप को चन्द सितूर लिखना है, क़ाबिल–ए–मुबारक बाद हैं मुअल्लिफ़ जनाब **ए आर साहिल** साहब, इन्होंने हालात के पेशे नज़र सही मौज़ूअ़ का इन्तेख़ाब किया, अल्लाह तआ़ला इस किताब को उम्मते मुसलमा के लिए नाफ़े बनाए और किताब मक़बूल आम हो।

वस्सलाम

ख़ादिम : मौहम्मद फ़ारूक़ आज़म हबान क़ासिमी

ख़ान्क़ाह रहीमी व दारूल उलूम मौहम्मदया, बैंगलौर

Ref: KH-22/116

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Date: 11-06-2022

نکاح کی فضیلت

قرآن پاک کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کی بڑی سخت تاکید فرمائی ہے۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ نکاح میری سنت ہے، جو اس سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں (یعنی میری امت سے نہیں) دیکھیے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہ کرنے والے کو اتنی سخت تنبیہ فرمار ہے ہیں کہ اسے اپنا کامل امتی تسلیم کرنے سے انکار فرمار ہے ہیں۔

اور نکاح کو نہایت سادگی سے کرنے کا حکم ہے، نکاح میں جتنے کم اخراجات اور سادگی ہوگی اس میں اتنی زیادہ برکت ہوگی۔

حضرت سعید بن ہشام بن عامر نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے نکاح رہنے کی اجازت چاہی، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، قرآن میں نکاح کو انبیا کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس لئے تم بے نکاح مت رہو۔ (المحلی لابن حزم ۹/۴۴۰)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا زوجونی انی اکرہ ان القی اللہ عزباً (مصنف ابن ابی شیبہ ۴/۱۲۸) میرا نکاح کردو کہ میں بغیر نکاح کی حالت میں اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے لو لم اعش من الدنیا الا عشراً، لا حببت ان یکون عندی فیھن امراۃ اگر میری زندگی کے صرف دس ہی دن باقی ہوں، تب بھی میری خواہش یہ ہوگی کہ اس وقت بھی میری زوجیت میں میں کوئی خاتون ہو۔

اردو ادب کی معروف شخصیت حضرت الحاج باباجی چیرمین بزم شاہین نے فرمایا کہ جناب اے آر ساحل صاحب نے نکاح کی فضیلت پر ایک بہترین کتاب ترتیب دی ہے، آپ کو چند سطور لکھنا ہے، قابل مبارک باد ہیں مولف جناب اے آر ساحل صاحب انہوں نے حالات کے پیش نظر صحیح موضوع کا انتخاب کیا، اللہ تعالی اس کتاب کو امت مسلمہ کیلئے نافع بنائے اور کتاب مقبول عام ہو۔

والسلام

خادم: محمد فاروق اعظم حبان قاسمی

خانقاہ رحیمی ودار العلوم محمدیہ بنگلور

Darul Uloom Mohammadia, 2nd Cross, Gangondanahalli, Near Chandra Layout, Bangalore - 560039.
Phone : 080-23397836, 2318 0000, www.khanqahraheemi.blogspot.in

हाफ़िज़ मौहम्मद इकराम उल मारूफ़ अल्हाज बाबा जी
चैयरमेन बज़्मे शाहीन, बैंगलोर

''अल–हमदो लिल्लाहे वकाफ़ा वसालाम अलर इबादिहिल लज़ीनसतफ़ा अम्मा बाद फ़आऊज़ो बिल्लाहे मिनश्शयतानिर्रजीम बिस्मिल्लि हिर्रहमानिर्रहीम वला तुसरेफ़ू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरेफ़ीना''

सदक़ल्लाहुल अज़ीम।

इसलाम ने हमें तालीम दी है कि सबसे बेहतरीन निकाह वह है, जिस में ख़र्च कम हो। ख़ईरून्निकाहे ऐसरूहु मउन्नतन और आप स0 ने इसकी अमली मिसाल भी पेश फ़रमाई आप स0 ने अपने एक निकाह में फ़रमाया कि आज मेरा वलीमा है जिसके पास जो कुछ खाने पीने के लिए हो मेरे पास लाकर खाले। आप स0 ने अपनी साहबज़ादी सरदार ख़ातून–ए–जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ी0 का निकाह किस सादगी से फ़रमाया। जिस वक़्त हज़रत अली रज़ी0 से शादी हुई उस वक़्त हज़रत अली रज़ी0 के पास कोई मकान न था। एक सहाबी से मकान लेकर रूख़्सती कर दी गई और रुख़्सती किस शान से हुई हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी0 के हमराह हज़रत रज़ी0 के पास भेज दिया न दूल्हा लेने के लिए आया और दुल्हन किसी सवारी पर बैठी।

इस दौर–ए–पुर–आशोब में जब आला इन्सानी इक़दार पामाल हो रही हैं, बुराइयों को अच्छाइयों का नाम देकर अपनाया जा रहा है।

एक वक़्त था जब रिश्ता अज़दवाज के लिए लोग लड़की की उमूर ख़ाना दारी, दीनी रूजहान, कशीदाकारी, सलीक़ा और पाकदामनी पर ध्यान देते थे। आज ऐसे भी बहुत से ऐसे अहबाब हैं जो अपने थेले में नोटों की गड्डियाँ भरे हुए अपनी बच्ची के लिए डॉ0, इंजीनियर और बायोकेमिस्ट की तलाश में सरगरदां रहते, उनमें भी मआशरे में दो नुक़्ता–ए–नज़र के लोग हैं, एक वह हैं जो लड़की वालों से जबरन जहेज़ के मुतामन्नी हैं, दूसरे लड़की वाले भी ऐसे हैं जो

लड़के वालों की मांग से पहले ही अली ऐलान भारी रक़में देने को तय्यार हैं जो न सिर्फ़ नक़दी बल्कि तमाम मादी चीज़े जो आजकल ज़रुरियात–ए–ज़िन्दगी का हिस्सा बन चुकी हैं।

आज जब तक सहाबियात के असवए हुसना को अपनी ज़िन्दगी में नहीं लाएंगे और ग़लत रसूम व रवाज को तर्क नहीं करेंगे तब तक मआशरे की इसलाह और पुरसुकून ज़िन्दगी एक ख़्वाब ही रहेगी।शादी के बारे में इसलामी नुक़ता–ए–नज़र को आम करना चाहिए। न सिर्फ़ मुस्लिम ख़्वातीन बल्कि ग़ैर मुस्लिम ख़्वातीन को भी इसलामी तालीमात से रूशनास कराना हमारा फ़र्ज़ है।

इसी के पेशे नज़र मेरे मोहतरम जनाब **ए.आर.साहिल** ने बेहतरीन किताब "**निकाह**" के नाम से तरतीब दी है। जो निहायत मुख़्तसर के साथ तमाम रस्म–ओ–रिवाज का अहाता किया है, क़ाबिले मुबारक बाद हैं, मैं दुआ करता हूँ कि ये किताब अल्लाह तआला मक़बूल आम फ़रमाये। आमीन या रब्बुल आलमीन!

ख़ादिम उर्दू : हाफ़िज़ मौहम्मद इकराम उल मारूफ़ अल्हाज बाबा जी

चैयरमेन बज़्मे शाहीन, बैंगलोर

ಬಜ್ಮ್ ಶಾಹೀನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ Regd. No. 296

Bazm e Shaheen Trust®

Ref. Date: 01-06-22

اَلحَمْدُ لِلّٰہِ وَکَفٰی وَسَلَامٌ علٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْم، بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم. وَلَا تُسْرِفُوْا، اِنَّہٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ. صَدَقَ اللّٰہُ الْعَظِیْمُ

اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ سب سے بہتر نکاح وہ ہے، جس میں خرچ کم ہو۔ خَیْرُ النِّکَاحِ اَیْسَرُہٗ مَؤُنَۃً اورآپ ﷺ نے اس کی عملی مثال بھی پیش فرمائی آپ ﷺ نے اپنے ایک نکاح میں فرمایا کہ آج میرا ولیمہ ہے جس کے پاس جو کچھ کھانے پینے کیلئے ہو میرے پاس لاکر کھالئے۔آپ ﷺ نے اپنی صاحبزادی سردار خواتین جنت حضرت فاطمہ ؓ کا نکاح کس سادگی سے فرمایا۔جس وقت حضرت علی ؓ سے شادی ہوئی اس وقت حضرت علی ؓ کے پاس کوئی مکان نہ تھا ایک صحابی سے مکان لے کر رخصتی کردی گئی اور رخصتی کس شان سے ہوئی حضرت ام ایمن ؓ کے ہمراہ حضرت علی ؓ کے پاس بھیج دیا نہ دولہا لینے کیلئے آیا اور دلہن کسی سواری پر بیٹھی۔

اس دور پرآشوب میں جب اعلٰی انسانی اقدار پامال ہورہی ہیں، برائیوں کو اچھائیوں کا نام دے کر اپنایا جارہا ہے۔

ایک وقت تھا جب رشتہ ازدواج کیلئے لوگ لڑکی کی امور خانہ داری، دینی رجحان، کشیدہ کاری، سلیقہ اور پاکدامنی پر دھیان دیتے تھے۔آج ایسے بھی بہت سے ایسے احباب ہیں جو اپنے تھیلے میں نوٹوں کی گڈیاں بھرے ہوئے اپنی بچی کے لئے ڈاکٹر، انجینئر اور بایوکیمسٹ کی تلاش میں سرگرداں رہتے، ان میں بھی معاشرے میں دو نقطۂ نظر کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو لڑکی والوں سے جبراً جہیز کے متمنی ہیں، دوسرے لڑکی والے بھی ایسے ہیں جو لڑکے والوں کی مانگ سے پہلے ہی علی اعلان بھاری رقمیں دینے کو تیار ہیں جو نہ صرف نقدی بلکہ تمام مادی چیزیں جو آج کل ضروریات زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔

آج جب تک صحابیات کے اسوۂ حسنہ کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گی اور غلط رسوم ورواج کو ترک نہیں کریں گے تب تک معاشرے کی اصلاح اور پرسکون زندگی ایک خواب ہی رہے گی۔شادی کے بارے میں اسلامی نقطۂ نظر کو عام کرنا چاہئے۔نہ صرف مسلم خواتین بلکہ غیر مسلم خواتین کو بھی اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانا ہمارا فرض ہے۔

اسی کے پیش نظر میرے محترم جناب اے آر ساحل صاحب نے بہترین کتاب نکاح مختصر تعاروف کے نام سے ترتیب دی ہے جو نہایت مختصر کے ساتھ تمام رسم ورواج کا احاطہ کیا ہے، قابل مبارک باد ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ یہ کتاب اللہ تعالٰی مقبول عام فرمائے۔آمین یارب العالمین!

خادم اردو: حافظ محمد اکرام المعروف الحاج باباجی

چیرمین بزم شاہین بنگلور

No. 9, Berlie Street Cross, Opp. Police Qtrs, Langford Town, Shanthi Nagar, Bangalore-25.
Ph. : 080-22222125, 22237024/ Cell : 9900150699 / 9343623491 / 9844135124
Web. www.alhaajbabaji.com, E-mail : bazmeshaheentrust2018@gmail.com

डॉक्टर इसरारूल हक़
सदर शोबए उर्दू
लामार्टीनीयर कॉलेज लखनऊ

बरादरम **ए आर साहिल**
सलाम मसनून

निकाह पर आपकी किताब **'निकाह'** पढ़ कर हैरत और मुसर्रत हुई। हैरत इसलिए कि आज यही मौज़ूअ मुस्लिम और ग़ैर–मुस्लिम में वाज़ह नहीं है, मुसर्रत इसलिए कि नई नस्ल के लिए यह तोहफ़ा से बढ़ कर नेअमत–ए–ग़ैरमुतरक़बह साबित होंगी। अल्लाह इस ख़्याल को क़बूल करे और यह किताब **'निकाह'** नौजवानों बिलख़ुसूस उन लड़कों को जो निकाह तो करते हैं लेकिन उनकी मआलूमात महज़ जिंसी तस्कीन तक होती है। उन्हें इसकी शरई हैसियत का इल्म नहीं होता। वह यह नहीं जानते कि हमारी ज़िंदगी में जो तब्दीली आने जा रही है उस का सीयाक़–ओ–सबाक़ क्या है? अल्लाह ने **साहिल** को इस मौज़ूअ पर तवज्जह दिला कर उन की ज़िंदगी को अमकानी फ़रहत का एहसास कराया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन की इस सअई जमिलाह को कुबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।

सईद हाशमी, चीफ़ एडीटर
रोज़नामा बेबाक बात, लखनऊ व बानी व सदर
अदब कल्चर एण्ड वेलफ़ेयर सोसायटी, लखनऊ

निकाह मज़हब–ए–इसलाम का अहम जुज़ है और निकाह की अहमियत व फ़ज़ीलत क़ुर्आन व हदीस में वाज़ेह तौर पर बयान की गई है। **ए.आर. साहिल** साहब ने निहायत अर्क़ रेज़ी और जानफ़िशानी के साथ निकाह का मुख़्तसर और जामे तआरूफ़ मुरत्तब किया है और निकाह के तमाम पहलुओं पर पुख़्तगी और दलाइल के साथ रौशनी डाली है जिस में ए. आर. साहिल ने निहायत नादिर व नायाब अन्दाज़ में मुख़तलिफ़ उनवानात की शक्ल में तहरीर फ़रमाई है। उनकी ये काविश और जद्‌दोजेहद क़ाबिले तहसीन और हमें उम्मीद है कि उसको हर ख़ास व आम क़दर की निगाह से देखेगा और उस **'निकाह'** नामी किताब से ख़ातिर ख़्वाह इस्तेफ़ादा करेंगे।
मेरी नेक ख़्वाहिशात और क़ल्बी दुआएँ **ए.आर.साहिल** साहब के साथ हैं।

राना सिददीकी ज़माँ
(वरिष्ठ फिल्म और कला पत्रकार,
लेखक आर्ट क्यूरेटर)

ए आर साहिल एक नौजवान मुसन्निफ़ हैं।

इनकी किताब **'निकाह'** मेरी निगाह में बेहद क़ाबिले तारीफ़ इसलिए है क्योंकि इल्तिजा से लेकर क़रीबन आख़िरी सफ़े तक, यह न सिर्फ़ एक ईमानदार कोशिश है कि निकाह से जुड़े हर टॉपिक जैसे महर, निकाह की क़िस्में, फ़ज़ीलतें वग़ैरह को बड़ी संजीदगी से खुलकर समझाया जाए बल्कि क़ुर्आन और हदीस की रोशनी में हो।

इसकी भाषा सरल, सहल और लिखने का तरीक़ा मयारी है। करीब पंद्रह चैप्टर में समेटी गई इस लुग़द में काफ़ी जानकारीयाँ हैं, कुछ ज़रूरी सवाल उठाए गए हैं और कुछ बहतरीन सलाह भी दी गई हैं।

मुझे ऐसा लगता है कि यह किताब हिंदी भाषा में उर्दू अल्फ़ाज़ में पिरोई गई एक मुख़्तलिफ़ और संजीदा किताब है जो समाज में **निकाह** को लेकर फैली अज्ञानता को दूर करने में बड़ी मददगार साबित होगी।

फ़हरिस्त

			पेज न०
1.	•मुकदमा (भूमिका)		1
2.	•निकाह	: मुख़्तसर तआ़रूफ़	7
3.	•निकाह	: लुग़त, हदीस और क़ुर्आन की रोशनी में	18
4.	•निकाह की नीयत	:	29
5.	•निकाह की हालतें	:	32
6.	•निकाह की उम्र	:	35
7.	•निकाह के लिए हराम और हलाल रिश्ते	:	40
8.	•निकाह की बुनियादी शर्तें :		45
9.	•निकाह की क़िस्में	:	84
10.	•निकाह में ख़ानदान, ज़ात–पात और माली हैसियत की अहमियत:		90
11.	•खुतबः–ए–निकाह	:	96
12.	•निकाह की फ़ज़ीलत	:	102
13.	•वलीमा		109
14.	•निकाह के मुताल्लिक वह काम या बातें या रस्म जो कुर्आन, हदीस व सुन्नत से साबित नहीं हैं। :		114
15.	•याद दहानी		118
16.	•बदलाव		139

1
मुक़दमा (भूमिका)

मुक़दमा (भूमिका)

निकाह इन्सानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। मर्द हो या औरत, ज़िन्दगी अधूरी रहती है जब तक निकाह के बंधन में न बंध जाए। यह बड़ा पाकीज़ा और मुक़द्दस रिश्ता है। अल्लाह तआ़ला ने हज़रत आदम को पैदा किया और उन्हीं से उनका जोड़ा हज़रत हव्वा को बनाया। इस तरह शौहर और बीवी का पहला इन्सानी रिश्ता वुजूद में आया। बाक़ी सारे रिश्ते माँ–बाप, बेटा–बेटी, भाई–बहन और दूसरी रिश्तेदारियाँ बाद में वुजूद में आई हैं।

निकाह का पहला मक़सद एक मर्द और औरत के अख़लाक़ की हिफ़ाज़त और पूरे समाज को बिगाड़ और फ़साद से बचाना है। हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फ़रमाया, ''ऐ नौजवानों, तुम में से जो शख़्स निकाह की ज़िम्मेदारियों को अदा कर सकता हो उसे शादी कर लेनी चाहिए, इससे निगाह क़ाबू में आ जाती है और आदमी पाकदामन हो जाता है। हाँ, जो शख़्स निकाह की ज़िम्मेदारियों को अदा करने की ताक़त न रखता हो वह रोज़े रखे, क्योंकि रोज़ा शेहवानी जज़्बात (कामुक भावनाओं) को कम कर देता है।''

क़ुर्आन में निकाह पर ज़ोर देते हुए फ़रमाया, '' तुममें जिन के निकाह नहीं हुए हैं, उनके निकाह कर दो''।

कुछ मज़ाहिब में शादी को ग़ैर-अहम बताया गया है और शादी से इनकार किया है। कुछ मज़ाहिब के कुछ लोगों ने रहबानियत के चक्कर में फँस कर शादी को रूहानी और अख़लाक़ी तरक़्क़ी में रूकावट माना है और सन्यास लेने (या'नी शादी न करने) को अहम बताया है। इसी तरह रूहानी व अख़लाक़ी तरक़्क़ी के लिए इन्सानी ख़्वाहिशात मिटाने और फ़ितरी जज़बात दबाने को ज़रूरी क़रार दिया है। इन लोगों के नज़रियात व सोच न सिर्फ़ फ़ितरते इंसानी के ख़िलाफ है बल्कि निज़ामे क़ुदरत के भी ख़िलाफ है।

रहबानियत से मुतास्सिर लोगों ने शादी–बियाह के ज़रिए से भी औरतों से तअल्लुक़ को अल्लाह से क़रीब होने में रूकावट और तक़्वा के ख़िलाफ समझा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरदीद फ़रमाई है। आप (सल्ल.) ने ''निकाह मेरी सुन्नत है'' कह कर इसे इबादत का दर्जा दिया।

हज़रत उसमान बिन मज़ऊन (रज़ि.) की बीवी ख़ौला बिन्ते हकीम (रज़ि.) के ज़रिए से जब यह बात नबी करीम (सल्ल.) के इल्म में आई कि उनके शौहर दिन भर रोज़ा रखते हैं और रात को

जाग–जाग कर नमाज़ पढ़ते हैं और उनका अपनी बीवी से कोई संबंध नहीं है तो नबी करीम (सल्ल.) ने उन्हें बुलवाया और फ़रमाया, "उसमान, क्या तुम मेरे तरीक़े को छोड़ रहे हो? मैं रात के एक हिस्से में सोता भी हूँ और एक हिस्से में नमाज़े तहज्जुद भी पढ़ता हूँ। रोज़े (नफ़िल) भी रखता हूँ और नहीं भी रखता हूँ। मैं औरतों से निकाह भी करता हूँ। ऐ उसमान, अल्लाह से डर, तेरे बीवी–बच्चों का तुझ पर हक़ है। तेरे मेहमान का तुझ पर हक़ है। इसलिए तुम रोज़े भी रखो और इफ़्तार भी करो, रात को नफ़िल भी पढ़ो और सो भी।"

जिन लागों ने शादी करने को ग़लत क़रार दिया है और औरत से दूर रहने का दर्स दिया है और रूहानी तरक़्क़ी के लिए ऐसा करना ज़रूरी बताया है, आख़िरकार वही लोगा इंसानी ख़्वाहिशात और फ़ितरी जज़बात से मग़लूब होकर तरह–तरह के यौन अपराध और नैतिक बुराईयों को अंजाम देते हैं।

इसी तरह मौजूदा दौर में ख़ास तौर से कुछ मग़रिब परस्त लोगों ने भी शादी को ग़ैर अहम बताया है और शादी से इनकार कर दिया है। उनके मुताबिक़ इन्सान हर तरह की आज़ादी का हक़ रखता है और उसे अपने फ़ितरी जज़बात को जैसे चाहे वैसे पूरा करने का इख़्तियार हासिल है। इस मामले में इन्सान किसी क़िस्म की रोक–टोक, इसी तरह शादी जैसी कोई पाबन्दी और बंधन का क़ायल

नहीं है। उनके नज़दीक निकाह (शादी) का तसव्वुर है भी तो उसका मक़सद सिर्फ़ जिन्सी ख़्वाहिशात का पूरा करना, रंगरेलियाँ मनाना, मौज–मस्ती करना और सैर–ओ–तफ़रीह करना, फिर एक मुक़र्ररा वक़्त और मुद्दत के बाद एक दूसरे से जुदा हो जाना है। इसकी वजह से घर–गृहस्ती का तसव्वुर ख़त्म हो गया है। ख़ानदान और रिश्तेदारों का नामो–निशान मिट गया है। माँ–बाप और बच्चों के दरमियान कोई तअल्लुक़ क़ायम नहीं रह गया है।

इस गंभीर स्थिति से खुद मग़रबी मुल्कों चके संजीदा और ग़ैरतमंद लोग बहुत परेशान हैं और विचार कर रहे हैं कि किस तरह इन बुरे हालात और इन्सानियत के लिए तबाहकुन माहौल पर क़ाबू पाया जाए और समाज को इन बुराइयों और ख़राबियों से महफ़ूज़ रखा जाए।

इन तमाम मसाइल का हल सिर्फ़ इस्लाम में मौजूद है। इस्लाम ने निकाह को बहुत अहम बताया है और मर्द और औरत को निकाह के मुहज़्ज़ब बंधन में बांधना लाज़िमी समझा है, क्योंकि इससे ख़ानदान वुजूद में आता है, यह समाज का तसव्वुर देता है और घर–गृहस्ती का निज़ाम क़ायम करता है। इस्लाम निकाह को रूहानी और अख़्लाक़ी तरक़्क़ी के लिए रूकावट नहीं बल्कि तरक़्क़ी की शाहराह क़रार देता है। इन्सान को निकाह के बाद घर की ज़िम्मेदारियों को

निभाने में और इन्सानी हुक़ूक़ के अदा करने में जो परेशानियाँ पेश आती है अगर इन्सान उन हुक़ूक़ और ज़िम्मेदारियों को इस्लामी तालीमात की रौशनी में अदा करता है तो इस्लमा की नज़र में निकाह ख़ुद इन्सान के हक़ में रूहानी और अख़लाक़ी तरक़्क़ी के लिए बेहतरीन ज़रिया है।

इस किताब में जनबा **ए.आर.साहिल** साहब ने बहुत आसान ज़बान में क़ुर्आन और हदीस की रौशनी में निकाह और इससे मुतल्लिक़ मुख़्तलिफ़ बातों को रखने की कोशिश की है। अल्लाह तआला उनके इस कोशिश को कामयाब करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस किताब से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन।

क़मरुल हुदा फ़लाही

2

निकाहः—मुख़्तसर तआ़रूफ़
(परिचय)

निकाह:– मुख़्तसर तआ़रूफ़ (परिचय)

निकाह क्या है? निकाह और शादी दोनों एक ही चीज़ हैं या फिर दोनों मुख़तलिफ़ चीज़ें हैं ? निकाह या शादी जिस्मानी तस्कीन हासिल करने का समाजी या मज़हबी तरीक़ा है या फिर कुछ और ? क्या निकाह और शादी एक तरीक़ा है जिससे समाज में औरत व मर्द या लड़की व लड़के के दरमियाँ जिस्मानी तअ़ल्लुक़ात बनाने के हवाले से या जिंसी–सुकुन हासिल करने के हवाले से फैलने वाली बुराई, बेहयाई को रोका जा सके? क्या निकाह या शादी लड़का और लड़की या मर्द और औरत का आपस में जिस्मानी तअ़ल्लुक़ क़ायम करने का एक जाइज़ और क़ाबिले–क़ुबुल समाजी और मज़हबी नाम या रस्म है? आख़िर निकाह क्या है? आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूँढने की कोशिश करेंगे।

किसी साहिबे–इल्म के नज़दीक, किसी इल्मदाँ के नज़दीक, किसी Research Scholar के नज़दीक शादी और निकाह में फ़र्क़ हो सकता है लेकिन अल्लाह के दीन में शादी और निकाह में कोई फ़र्क़ नहीं है। अल्लाह के दीन में निकाह का लफ़्ज़ जिस मआ़नी के लिए इस्तअ़माल होता है वह वही है जो हमेशा से इस लफ़्ज़ के रहे हैं या'नी आपने यह फ़ैसला किया है

कि– आप एक शौहर या बीवी का इंतिख़ाब करेंगे और उस इंतिख़ाब के बाद यह तय करेंगे कि हमें मिया–बीवी के रिश्ते को क़ायम करने हैं और उसके हदूद की पासदारी करते हुए जिंसी तअ़ल्लुक़ात क़ायम करने हैं। इसी को हमेशा से निकाह कहा जाता है। शादी का नाम तो लोगों ने खुशी के मफ़हूम से लेकर रख दिया है वर्ना शरई इस्तिलाह तो निकाह है। यह शरीअ़त में आप स0 से पहले भी थी, इसे आप स0 ने भी क़ायम रखा और आप स0 के बाद आज तक क़ायम है और इंशाअल्लाह ता–क़यामत क़ायम रहेगी।

हम जब अपनी फ़िक्र में निकाह या शादी के मौज़ूआत पर गुफ़्तगू करते हैं तो उसके लिए किताबुन्निकाह की ही ता'बीर इख़्तियार करते हैं और जब हम मज़हबी मुआ़मलात में किसी चीज़ का हवाला दे रहे होते हैं तो उसमें भी निकाह, तलाक़ और इस तरह की ताबीरात ही हमारी ज़ुबान पर आती हैं। इस वजह से शादी और निकाह में फ़र्क़ करना बेबुनियाद है, लेकिन निकाह क्या है इसको बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और यह बहुत ज़रूरी भी है।

अल्लाह का जो तख़लीक़ी निज़ाम है वह दुनिया में बच्चों को पैदा करने के मुआ़मले में बहुत ही हस्सास है। आसमान से

बच्चे को आपकी आग़ोश में डाल दिया जाए, अल्लाह ऐसा नहीं करता। बल्कि अल्लाह का निज़ाम यह है कि– इक नातवाँ वुजूद की हैसियत से बच्चा हमारी गोद में या हमारी आग़ोश में डाला जाता है। वह बच्चा इस दर्जा नातवाँ होता है कि वह बोल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, अपनी हाजत पूरी नहीं कर सकता यहाँ तक कि वो अपनी तकलीफ़ों को भी बयान नहीं कर सकता। इस नातवानी के साथ जानवरों के बच्चे भी वुजूद में नहीं आते। अगर आप ग़ौर करें तो देखेंगे कि– जानवरों के बच्चे पैदाइश के चंद लम्हों के बाद ही उठ खड़े होते हैं, चलने के क़ाबिल हो जाते हैं, अपनी बहुत सी ज़रूरियात को पुरा करने के क़ाबिल हो जाते हैं, उन्हें माँ–बाप की मदद बहुत कम दरकार होती है। लेकिन ख़ुदा ने इंसान के बच्चों को इस तरह पैदा नहीं किया है। एक इंसान के बच्चे की पैदाइश, उसकी परवरिश, उसकी परदाख़्त, उसकी तालीम, उसकी तरबियत, ये सारा अमल 20–25 साल में जा कर मुकम्मल होता है। अल्लाह ने बच्चे के मुतअ़ल्लिक़ इन सारे मुश्किल मरहलों (यानी पैदाइश, परवरिश, तालीम, तरबीयत) को सामने रख कर इंसानों से यह तक़ाज़ा किया है– आज़ादाना जिंसी तअ़ल्लुक़ात मबनु होंगे, आपको इंतिख़ाब करना है एक शौहर की हैसियत से किसी मर्द का और बीवी की हैसियत से

किसी ख़ातून का और इसमें ख़ातून यह इज़हार करेगी कि किसी ख़ानदान का हिस्सा बने, एक शख़्स की सरबराही को क़ुबूल करे, एक इरादे के तौर पर घर बनाया जाए और फिर यह ज़िम्मेदारी ली जाए कि अब इस बच्चे की परवरिश, परदाख़्त, तरबियत, हम (यानी बीवी और शौहर दोनों) मिल कर करेंगे। इस इरादे को निकाह से ता'बीर किया है। कहने का मतलब यह है कि निकाह को लड़का और लड़की या मर्द और औरत के लिए नहीं बनाया गया है बल्कि आने वाले नातवाँ बच्चों की हिफ़ाज़त के लिए बनाया है। यह फ़कत जिस्मानी तअ़ल्लुक़ात क़ायम करने का एक जाइज़ तरीक़ा नहीं है बल्कि एक इदारा है जहाँ इंसानी बच्चों की परवरिश होती है यही ख़ुदा का इंसानों को तख़लीक़ करने का निज़ाम है जिसमें अल्लाह ने इंसानों को शरीक किया है। दुसरे अल्फ़ाज़ में अल्लाह ने जब इंसानों को पैदा करना चाहा तो अपने बंदों से एक तरह से मदद माँगी है। जैसा कि क़ुर्आन में कहा है– ''मनअनसारिल्लाह''– वहाँ अल्लाह ने अपने पेशेनज़र एक Mission में मदद माँगी है। ठीक इसी तरह यहाँ अल्लाह ने फ़ितरत के क़ानून में मदद माँगी है 'बंदे मददगार हों'। लेकिन इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि अल्लाह को हमारी मदद की ज़रूरत पड़ गई बल्कि यह अल्लाह की इनायत है, करम है। वह चाहता तो दरख़्तों के साथ बच्चों को आवेज़ाँ कर देता

लेकिन अल्लाह ने बंदों के ज़रीऐ से इस काम को किया है और बंदों से तक़ाज़े किये हैं.... वो अपने–आप को इसी तअ़ल्लुक़ तक या'नी जाइज़ तअ़ल्लुक़ात तक महदुद करेंगे, आज़ादाना जिंसी तअल्लुक़ इख़्तियार नहीं करेंगे उनके अंदर बाहमी वफ़ादारी का तअ़ल्लुक़ होगा, कि दोनों मिलकर एक घर बनाएंगे, उसमें मर्द पर यह ज़िम्मेदारी डाली जाएगी कि वह कमा कर लाएगा, इख़राजात पूरे करेगा ताकि एक इदारा, इदारा की हैसियत से चल सके। इसी को निकाह कहा जाता है। इसके सिवा कोई और चीज़ निकाह या शादी नहीं है। आप अरबी का लफ़्ज़ इस्तअ़माल करें, English का लफ़्ज़ इस्तअ़माल करें, या दुनिया के किसी भी ज़ुबान का लफ़्ज़ इस्तअ़माल करें, दुनियावी लिहाज़ से या दीन के लिहाज़ से निकाह यही है।

अब यह वाज़ह हो चुका है कि निकाह एक Institution की हैसियत रखता है, एक इदारा की हैसियत रखता है। जिस तरह किसी Institution को किसी भी इदारे को, (ख्वाह वह कोई छोटा या बड़ा Institution या इदारा हो) वुजूद में लाने की कुछ बुनियादी शराइत और उसूल होते हैं, ठीक उसी तरह निकाह की भी चार बुनियादी शराइत हैं–

1. ईजाबो–कुबूल
2. वली की रज़ामंदी

3. महर और

4. ऐलानिया (ऐलानिया होने की कम से कम या सबसे कम क़ाबिले क़ुबूल शर्त दो गवाहों का होना है)।

इन चार शराइत में से अगर कोई भी एक शर्त पूरी होने से रह जाए तो फिर निकाह निकाह की हैसियत नहीं रखता बल्कि महज़ एक जिस्मानी तअ़ल्लुक़ बनाने का तरीक़ा रह जाता है।

आइये! अब इस बात को समझते हैं कि– निकाह के लिए इन चार बुनियादी शराइत की ज़रूरत क्यों दरपेश आई और इन चार बुनियादी शराइत के बिना निकाह को निकाह तस्लीम क्यों नहीं किया जा सकता?

ऐसा मुमकिन नहीं है– अगर कोई मर्द या लड़का अपने घर में बैठ कर या दोस्तों के बीच या कुछ लोगों की मौजूदगी में यह कह दे या यह ऐलान कर दे कि फ़ुलाँ औरत या लड़की से मैंने निकाह कर लिया या कोई लड़की व औरत यह कह दे या ऐलान कर दे कि फ़ुलाँ मर्द या लड़के से मैंने निकाह कर लिया तो इसका कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि जिससे निकाह हुआ उसने क़ुबूल किया या नहीं, ज़ाहिर नहीं होता। इसलिए ईजाबों क़ुबूल का होना लाज़मी होता है। क्योंकि यह बाहमी तौर पर एक इक़रार–नामा है। एक मर्द और औरत दोनों को मिलकर यह

फ़ैसला करना, यह तय करना है कि वो अब शौहर और बीवी की हैसियत से एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, अपनी–अपनी ज़िम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएँगे। यह ईजाबो–क़ुबूल एक तरह का इक़रार नामा है, Social Contract है, मिसाल के तौर पर दुनिया में जब भी किसी तरह का मुआ़हिदा (Contract) करते हैं, चाहे वह घर ख़रीदने का मुआ़हिदा हो, किसी को क़र्ज़ देने की बात हो, कोई चीज़ किसी को देने का मुआ़हिदा हो उसको लिखा जाता है, बयान किया जाता है, गवाह बनाए जाते हैं, ठीक इसी तरह निकाह भी एक तरह का Social Contract है जिसमें एक फ़रीक़ (Parti) मर्द या'नी शौहर और दुसरा फ़रीक़ औरत या'नी बीवी होती है और इस निकाह–नामे के मुआ़हिदा या Contract पर दोनों या'नी बीवी और शौहर की रज़ामंदी को ही ''ईजाबो–कुबूल'' कहा जाता है। चूँकि निकाह एक तरह का Social Contract है तो इस Contract का समाजी तौर पर ऐलान होना लाज़मी भी है। निकाह नाम के इस Social Contract को ख़ुफ़िया तौर पर अंजाम नहीं दिया जा सकता और सिर्फ़ ईजाबो–क़ुबूल के मरहले पर इख़्तिताम नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि निकाह एक इदारा है, Institution है जिसे अल्लाह ने इंसानों की मदद से इंसानों की परवरिश के लिए क़ायम किया है जहाँ अल्लाह मर्द या औरत के

साथ नहीं बल्कि अल्लाह हमेशा बच्चों के साथ खड़ा है। क्योंकि अल्लाह ने निकाह नाम का यह इदारा बच्चों के लिए ही बनाया है। अगर आप पूरे के पूरे निज़ाम को देखेंगे जो अल्लाह ने क़ायम किया है तो उसमें बच्चे की पैदाइश, बच्चे की परवरिश, बच्चे की परदाख़्त, बच्चे की तालीम, बच्चे की तरबियत, उसका तहफ़्फ़ुज़, उसके लिए ख़ानदान का क़याम ही इस इदारे का मक़सद है। इसलिए "ईजाबो–क़ुबूल" का होना बेहद लाज़मी है जो मर्द–और औरत को सिर्फ़ एक दूसरे के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले बच्चे, ख़ुदा, और समाजी तौर पर भी जबाबदह बनाता है। अगर ख़ुदा–न–ख़्वास्तः आने वाले बच्चे के साथ कल कुछ होता है तो इसकी जबाबदही माँ–बाप के साथ पूरे ख़ानदान और साथ ही समाज की भी होगी। इसी बात की तस्दीक़ या Guaranty के लिए निकाह में पहली शर्त ईजाबो क़ुबूल लगाकर मर्द व औरत को ज़िम्मेदार बनाया। वली की शर्त लगाकर ख़ानदान व सरपरस्तों को ज़िम्मेदार बनाया गया,और समाज को गवाह बनाकर ज़िम्मेदार ठहराने के लिए निकाह में तीसरी शर्त "ऐलानिया" लगा कर निकाह को ऐलानिया करना लाज़िम क़रार दिया गया। दूसरे अल्फ़ाज़ में– निकाह की पहली तीन शर्त को शामिल करके या'नी पहली शर्त 'ईजाबो क़ुबूल' के तहत मर्द व औरत को बहैसियत शौहर व बीवी के, दूसरी शर्त 'वली' के तहत

वालिदैन को, और तीसरी शर्त ''ऐलानिया'' के तहत पूरे मुआशरे या समाज को अल्लाह ने ज़िम्मेदार बनाते हुए इंसानी बच्चों के तख़लीक़ी निज़ाम के लिए निकाह नाम के जिस इदारे की बुनियाद डाली या क़ायम किया उस इदारे का ज़िम्मेदार और हिस्सेदार बनाया है। अब रही बात निकाह की चौथी शर्त महर की तो– अल्लाह ने जब निकाह के इदारे को क़ायम किया तो इस इदारे के इख़राजात को पूरा करने की ज़िम्मेदारी मर्द पर डाली है या'नी मआशी या समाजी जिद्दोजहद को मर्द के सपुर्द करने से पहले अल्लाह ने मर्द को महर की शक्ल में एक इम्तिहान से गुज़ारा है जिसमें अल्लाह यह तय करना चाहता है और साथ ही एक इतमिनान भी चाहता है कि वह मर्द जिसे इस इदारे का सरबराह बनाया जा रहा है वह मर्द इस क़ाबिल है भी या नहीं। वह इस ज़िम्मेदारी को निभा पाएगा या नहीं, वह मर्द औरतों की इज़्ज़त उसकी हैसियत के मुताबिक़ करेगा या नहीं। दूसरे अल्फ़ाज़ में देन–महर की अदायगी इस बात की अलामत है कि मर्द (शौहर) निकाह नाम के इदारे के सरबराह की हैसियत से इस इदारे को क़ायम करने के क़ाबिल है और उस मर्द को इस इदारे को क़ायम करने व इदारे की सरबराही करने की इज़ाज़त दे देनी चाहिए।

इस तरह निकाह की चारों शराइत मुकम्मल हो जाने पर निकाह क़ायम होता है। अगर निकाह की इन चारों शर्तों में से कोई भी इक शर्त मुकम्मल न हो तो फिर निकाह दीनी लिहाज़ से निकाह की हैसियत नहीं रखता।

3

निकाहः— लुग़त, हदीस और क़ुर्आन की रौशनी में

निकाहः– लुग़त, हदीस, और क़ुरान की रौशनी में

निकाह अरबी ज़बान के माद्दे ''न'' ''क'' ''ह'' से बना है जिसका मतलब है मिलना या जमा करना और मिलना मतलब इस तरह मिलना जिस तरह आँखों में नींद मिल जाती है या बारिश के क़तरे ज़मीन में जज़्ब हो जाते हैं। दीन–ए–इस्लाम चाहता है कि निकाह के बाद शौहर और बीवी के दरमियान ऐसा तअ़ल्लुक़ पैदा हो जाए जैसा तअ़ल्लुक़ आँख और नींद के दरमियान होता है। इसी बात को क़ुरआन की सूरः बक़रः आयत नं0 187 में अल्लाह ने बयान किया है– ''वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो'' यानी जिस तरह लिबास और जिस्म के दरमियान कोई दूरी नहीं होती और वे एक दूसरे की हिफ़ाज़त करते हैं उसी तरह का तअ़ल्लुक़ शौहर और बीवी के बीच होना चाहिए।

निकाह का मअ़नी अ़क़्द भी होता है। अ़क़्द अरबी लफ़्ज़ है जिसका मतलब– गिरह, गाँठ, क़रार, शपथ, वा'दा होता है और निकाह भी शौहर और बीवी के बीच, दो ख़ानदानों के बीच किया गया एक क़रार है, वा'दा है, जिसके जरीए दो ख़ानदान (एक ख़ुद का और दूसरा ससुराल या'नी शौहर के लिए बीवी का ख़ानदान और बीवी के लिए शौहर का ख़ानदान) को आपस में

जोड़ा जाता है। इसी बात को अल्लाह तआला क़ुर्आन में सूरः फ़ुरक़ान आयत नं0– 54 में फ़रमाता है– ''वही है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया और फिर उसको ख़ानदान वाला और ससुराल वाला बनाया, और तेरा परवरदिगार बड़ा क़ुदरत वाला है''। इस आयत में अल्लाह ने इंसान की पैदाइश के ज़िक्र के बाद अपने दो बड़े अहसान बताए हैं एक यह कि उसे एक ख़ानदान अता किया दूसरा उसे ससुराल अता किया। इंसानों की दो जिंस या'नी नर और मादा या'नी मर्द और औरत का माँ के पेट से पैदा होना अपने आप में ख़ुदा के वुजूद की एक बड़ी निशानी है लेकिन इसके साथ अल्लाह ने एक और निशानी का ज़िक्र किया कि किस तरह वह इस पूरी ज़मीन में इंसानों को आबाद करता है और न सिर्फ़ आबाद करता है बल्कि उन्हें एक समाज देता है जिसके बिना इंसान किसी भी मैदान में तरक़्क़ी नहीं कर सकता बल्कि इस समाज के बिना इंसान एक हैवान बनकर रह जाता है। लेकिन निकाह के अमल से इंसानों की आबादी के तसलसुल का एक सिलसिला बेटों और पौतों से चलता है जो दूसरे घरों से बहुएँ लाते हैं। और एक दूसरा सिलसिला बेटियों और नवासियों से चलता है जो दूसरों के घरों में बहुएँ बन कर जाती हैं। इस तरह ख़ानदान से ख़ानदान

जुड़ता है और एक समाज बनता है और उससे पूरा एक मुल्क बनता है। इस तरह पूरी इंसनियत बाहम वाबस्ता हो जाती है।

अल्लाह तआ़ला सूरः रूम आयत नं0–21 में फ़र्माता है– ''और उसी की (क़ुदरत) की निशानियों में से एक यह है कि उसने तुम्हारे वास्ते तुम्हारी ही जिंस की बीवियाँ (जोड़े) पैदा कीं ताकि तुम उनके साथ रह कर सुकून हासिल करो और तुम लोगों के दरमियान प्यार और शफ़क़त पैदा कर दी इसमें शक नहीं कि इसमें ग़ौर करने वालों के लिए यक़ीनन बहुत सारी निशानियाँ हैं'' इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने इंसान की पैदाइश के बाद से आज तक के मियाँ–बीवी का रिश्ता जो निकाह के बाद वुजूद में आता है, चला आ रहा है, उसे अपनी एक बड़ी नअ़मत के तौर पर बयान किया है। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई लेकिन उनके जोड़े को पूरा करने के लिए हव्वा को पैदा किया गया जिससे इस बात की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शौहर–बीवी के बीच इस पाक रिश्ते यानी निकाह की शुरूआत अल्लाह ने जन्नत में की जबकि कोई और रिश्ता उस वक़्त मौजूद न था।

अल्लाह तआ़ला क़ुर्आन में सूरः निसा आयत नं0–1 में फ़रमाता है ऐ लोगो! अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम

सबको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसके जोड़े (बीवी) को पैदा किया और सिर्फ़ उन्हीं दो (याʼनी शौहर और बीवी) से बहुत से मर्द और औरतें दुनिया में फैला दिये और उस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक़ माँगते हो—और रिश्ते—नाते तोड़ने से भी परहेज़ करो, यक़ीन मानें कि अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है—'' और सूरः शूरा की आयत नं0—11 में फ़रमाता है— ''सारे आसमान व ज़मीन को पैदा करने वाला वही अल्लाह है उसी ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिंस के जोड़े बनाए और जानवरों के जोड़े भी उसी ने बनाए, और वही तुमको फैलाता रहता है कोई चीज़ उसकी मिसल नहीं और वह हर चीज़ को सुनता देखता है''। इन दोनों आयतों में अल्लाह ने इंसानों की पैदाइश का ज़िक्र किया है कि किस तरह उसने आदम और हव्वा के जोड़े से इंसानियत को पूरी दुनिया में फैला दिया। यहाँ अल्लाह ने इंसानी आबादी के फ़रोग़ का ज़रिया भी मियाँ बीवी के जोड़े को बनाया है उसके ज़रिए आदम अलेहिस्सलाम से ले कर आज तक इंसानी नस्ल फैलती जा रही है और अपने वुजूद को क़ायम रख पा रही है— अल्लाह ने इस आयत में ख़ास ज़ोर लफ़्ज़ 'जोड़ा' पर दिया है। अल्लाह ने मियाँ और बीवी को एक जोड़ा क़रार दिया है। और हम मानते हैं कि जोड़े (Pair) में एक चीज़ दूसरे को पूरी करती है, दोनों एक

दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना पूरे नहीं होते। ऐसा ही तअ़ल्लुक़ एक मियाँ और बीवी के दरमियान भी होता है जो निकाह के अमल से वुजूद में आता है और अल्लाह ने निकाह के इदारे से ही इंसानी नस्ल जारी रखने का हुक्म फ़रमाया है।

अल्लाह क़ुर्आन में यह सूरः रूम की आयत नं0–21 में फ़रमाता है– ''..... और तुम लोगों के दरमियान मुहब्बत और शफ़क़त पैदा कर दी इसमें शक नहीं कि इसमें ग़ौर करने वालों के लिए यक़ीनन बहुत सी निशानियाँ हैं। हम देखते हैं कि किस तरह दो अनजान लोग इस निकाह की बरकत से ऐसे मज़बूत रिश्ते में बंध जाते हैं कि एक दूसरे के ख़्याल, एक दूसरे की फ़िक्र एक दूसरे पर रहम और शफ़क़त के मामले में ऐसी मिसाल कहीं और नज़र नहीं आती। न केवल इन दो लोगों बल्कि दो ख़ानदानों के बीच एक बहुत मज़बूत रिश्ता बन जाता है और यह सब कुछ निकाह के अमल से ही मुमकिन है।

जामअ़ तिर्मिज़ी–1082, सुनन नसाई– 3216, सुनन इब्ने माजा–1849 में– हज़रत समराह रज़ि॰ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स0 ने बेनिकाह रहने (औरतों से अलग रहकर ज़िंदगी गुज़ारने) से मना फ़रमाया है फिर क़तादा ताबई रह0 ने वज़ाहत के लिए क़ुर्आन की सूरः रअ़द आयत न0– 38 की तिलावत

फ़रमाई– और हमने तुमसे पहले और भी बहुत से पैग़म्बर भेजे और हमने उनको बीवियाँ भी दी और औलाद भी अता की। सुनन नसाई–3215 में– हज़रत आयशा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स0 ने ग़ैर शादी–शुदा रह कर ज़िंदगी गुज़ारने से मना फ़रमाया है। सहीह बुख़ारी 5073,5074, सहीह मुस्लिम–3404, मिश्कात– 3081, सुनन नसाई–3214, जामअ़ तिर्मिज़ी– 1082, 1083, इब्ने–माज़ा– 1848 के अनुसार हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ि0 से रिवायत है कि हुज़ूर स0 ने हज़रत उसमान बिन मज़ऊन रज़ि0 को औरतों से अलग रह कर ज़िंदगी गुज़ारने से मना फ़रमा दिया था। अगर आप स0 उन्हें इजाज़त देते तो हम ख़स्सी हो जाते।" सुनन अबु दाऊद–1369 के अनुसार–जब उस्मान बिन मज़ऊन रज़ि0 ने बेनिकाह रहने का फ़ैसला किया तो अल्लाह के रसूल स0 ने उन्हें बुलाकर ये नसीहतें कीं– "उस्मान! क्या तूने मेरे तरीक़े से बेरग़बती की है? मै तो सोता भी हूँ, रोज़े भी रखता हूँ और नहीं भी रखता। और औरतों से निकाह भी करता हूँ"।

उस्मान तुम अल्लाह से डरो! क्योंकि तुम पर तुम्हारी बीवी का हक़ है, तुम्हारी जान का भी हक़ है, तुम्हारे मेहमान का भी हक़ है। लिहाज़ा कभी नफ़्ल रोज़े रखो और कभी न रखो और

इसी तरह नफ़्ल नमाज़ पढ़ो और सोया भी करो"। सिलसिलाह सहीह–1495 में रिवायत है कि– "नबी करीम स0 ने फ़रमाया–उसमान मुझे रहबानियत का हुक्म नहीं दिया गया। क्या तूने बेनिकाह रह कर मेरी सुन्नत से बेरग़बती की है? उस्मान! तेरे घर वालों का भी तुझ पर हक़ है और तेरे नफ़्स का भी तुझ पर हक़ है"। सहीह बुख़ारी–1158, 1975 के अनुसार– "जब नबी करीम स0 को ख़बर मिली कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन आस रज़ि0 रोज़ाना दिन में रोज़ा रखते हैं और रोज़ाना रातों को नमाज़ पढ़ते हैं तो आप स0 ने उन्हें यह नसीहत फ़रमाई –

अब्दुल्लाह! अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारी आँखें रोज़ जागने की वजह से अंदर बैठ जाएँगी और तुम्हारी जान कमज़ोर हो जाएगी। तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक़ है। तुम्हारी आँखों का तुम पर हक़ है। तुम्हारे बीवी बच्चों का तुम पर हक़ है। तुमसे मुलाक़ात करने वालों का भी तुम पर हक़ है। इसलिए कभी रोज़ा रखो और कभी बिना रोज़ा के भी रहो, रात को इबादत भी करो और सो भी जाया करो"। बाद में जब अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस बूढ़े हो गए तो कहा करते थे– "काश मैं रसूल स0 की दी हुई आसानी/छूट को मान लेता"। सहीह बुख़ारी 1968,6139 के अनुसार हज़रत फ़ारसी रज़ि0 ने हज़रत

अबू दरदा रज़ि0 को नसीहत दी कि– ''बेशक तुम्हारे रब का तुम पर हक़ है, और तुम्हारी जान का भी तुम पर हक़ है, और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक़ है, लिहाज़ा तुम सारे हक़दारों का हक़ अदा करो। फिर जब नबी स0 को इस क़िस्से की ख़बर हुई तो आप स0 ने तस्दीक़ करते हुए फ़रमाया– सलमान ने सच कहा है'' इन सारी हदीसों से यह बात वाज़ह हो जाती है कि रहबानियत या'नी संयास को अल्लाह और उनके रसूल स0 ने मना फ़रमाया है। इस्लाम में दुनियादारी छोड़ कर सिर्फ़ अल्लाह की इबादत को पसंद नहीं किया गया है बल्कि इस दुनिया में रहते हुए अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों को पूरा करना और साथ ही साथ अल्लाह के अहकामात को पूरा करने को ही अल्लाह की अस्ल इबादत बताया गया है। तक़रीबन सभी मज़ाहिब में दुनिया और घर परिवार को छोड़ देना, शादी न करना, सिर्फ़ इबादत में लगे रहने को ही बहुत बड़ी मज़हबी बात माना जाता है और ऐसा करने वाले लोगों को महात्मा माना जाता है। इसके बरअक्स इस्लाम में असली दीनदारी यह है कि– इस ज़िंदगी में आप अपने परिवार और समाज के साथ रह कर अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें और साथ ही अल्लाह के बताए हुए हुक्मों को भी पूरा करें। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो इंसान की जाइज़ ख़्वाहिशात को ख़त्म नहीं करता बल्कि उसे एक दायरा में लाता

है। घर–परिवार, बीवी–बच्चे और समाज इंसान की ज़रूरत हैं। इसके बिना वह सहीह मअ़नी में तरक़्क़ी नहीं कर सकता। यही वजह है कि इस्लाम ने इन्हें छोड़ने का हुक्म नहीं दिया बल्कि बहतर बनाने के तरीक़े बताए हैं।

अगर एक मुसलमान जंगल या गुफ़ा में जाकर तपस्या या मराक़बे करने लग जाए तो उसके इस अमल से वह कोई नेकी का काम नहीं कर रहा है, बल्कि अपना तअ़ल्लुक़ नबी स0 से तोड़ रहा है क्योंकि हमारे नबी स0 ने दीन के बारे में यही बताया है कि– हमें रोज़े भी रखने हैं, नमाज़ भी पढ़नी है, ज़िक्र–अज़कार भी करने हैं निकाह भी करना है, इसके साथ ही अपनी सेहत का ख़्याल भी करना है, बीवी बच्चों को भी संभालना है और समाज में नेकी का हुक्म भी देना है और बुराई से लोगों को रोकना भी है।

निकाह वह वाहिद ज़रीअ़: है जिससे समाज में जिंसी तअ़ल्लुक़ात और फ़ुहहाशी के हवाले से होने वाली बहुत सी बुराइयों को रोका जा सकता है। मसलन...

- समाज में बढ़ते नाजाइज़ जिस्मानी तअ़ल्लुक़ात को रोका जा सकता है।
- हराम औलादों की पैदाइश को रोका जा सकता है।

- बलात्कार जैसे घिनोने हादसे को रोका जा सकता है।
- गर्भपात को रोका जा सकता है।
- मुहब्बत के नाम पर लड़कियों का जिस्मानी शोषण रोका जा सकता है।

4

निकाह की नीयत

निकाह की नीयत

नबी करीम रसूलुल्लाह स0 फ़रमाते हैं– ''मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है''। नीयत जितनी अच्छी होगी सवाब भी उतना ही ज़्यादा होगा।

''निकाह सुन्नत है'' इस वाक्य में कुल दस हुरूफ़ है ''नून'', ''काफ़'', '' अलिफ़, ''ह'', ''सिन'', ''नून'', ''नून'', ''त'', ''ह'' और ''य''। इस ऐ'तबार से हर निकाह करने वाले को कम से कम दस अच्छी नीयत ज़रूर करनी चाहिए ''या'नी दस हर्फ़ दस नीयत''

1. सुन्नते रसूलुल्लाह स0 की अदाएगी होगी।
2. नेक और दीनदार से निकाह करूँगा या करूँगी।
3. औलादों की अच्छी परवरिश करूँगा या करूँगी।
4. इसके ज़रिए ईमान की हिफ़ाज़त करूँगा या करूँगी।
5. इसके ज़रिए शर्मगाह की हिफ़ाज़त करूँगा या करूँगी।
6. ख़ुद को बदनिगाही से बचाऊँगा या बचाऊँगी।
7. महज लज़्ज़त या शहवत के लिए नहीं, हुसूले औलाद के लिए तख़्लिया करूँगा या करूँगी।
8. मिलाप से पहले बिस्मिल्लाह और मस्नून दुआ पढ़ूँगा या पढ़ूँगी।

9. उम्मते–मुस्लिमाँ में इज़ाफ़े का ज़रिया बनूँगा या बनूँगी।

10. इस सिलसिले में शरीअ़त के तमाम अहक़ाम की पाबंदी करूँगा या करूँगी।

5

निकाह की हालतें

निकाह की हालतें

निकाह की छः हालतें हैंः–

1. फ़र्ज़
2. वाजिब
3. सुन्नते–मुआक्किदा
4. मुबाह
5. हराम
6. मकरूह

फ़र्ज़ः– जो शख़्स महर व नफ़क़ा देने की ताक़त रखता हो और उसे यह यक़ीन हो कि निकाह न करने की हालत में ज़िना कर बैठेगा तो उस पर निकाह फ़र्ज़ है।

वजिबः– जो शख़्स महर व नफ़क़ा की हैसियत रखता हो और उसे शहवत का ग़लबा इतना हो कि निकाह न करने की सूरत में ज़िना का अंदेशा है तो उस पर निकाह करना वाजिब है।

सुन्नते–मुअक्किदाः– जब ऐ'तदाल की हालत हो, या'नी न शहवत का बहुत ज़्यादा ग़लबा हो और न ही नामर्द हो और वह

महर व नफ़क़ा की हैसियत भी रखता हो तो ऐसी हालत में निकाह करना सुन्नते–मुअक्किदा है।

मुबाहः– जो शख़्स सिर्फ़ लज़्ज़त हासिल करने के लिए निकाह करे तो उसके लिए निकाह करना मुबाह है।

हरामः– जिस शख़्स को यह यक़ीन हो कि निकाह करेगा तो नान–व–नफ़क़ा न दे सकेगा या जो ज़रूरी हुक़ूक़ हैं उनको पूरा न कर सकेगा तो उसके लिए निकाह हराम है।

मकरूहः– जिस शख़्स को यह अंदेशा हो कि निकाह करेगा तो नान–व–नफ़क़ा या जो ज़रूरी हुक़ूक़ हैं न दे सकेगा, उसके लिए निकाह मकरूह है।

6

निकाह की उम्र

निकाह की उम्र

निकाह की उम्र क्या है? इस सवाल का जवाब हम क़ुर्आन और अहादीस की किताबों में ढुँढ़ते हैं तो उन क़ुर्आन और अहादिस की किताबों में निकाह के लिए किसी ख़ास उम्र के मुत'अय्यन होने का ज़िक्र नहीं मिलता है जिसकी बुनियाद पर निकाह या शादी के लिए 13 साल (ईरान में लड़की के लिए 13 साल और लड़के के लिए 15 साल), 15 साल, 16 साल, 18 साल, या 21 साल (हिंदुस्तान) या फिर कोई ख़ास उम्र तय कर दी जाए। अहादीस की किताबों में आता है कि नबी करीम रसूलुल्लाह स0 ने जब पहला निकाह किया था तो उस वक़्त आप स0 की उम्र 25 साल थी और आपकी पहली बीवी हज़रत ख़दीजा रज़ि0 की उम्र 40 साल थी, इसी तरह नबी करीम रसूलुल्लाह स0 ने जब हज़रत आयशा रज़ि0 से निकाह किया तो हज़रत आयशा रजि0 की उम्र 6 साल थी और वक्त–ए– रुख़्सती हज़रत आयशा की उम्र 9 साल थी। हज़रत ख़दीज़ा रज़ि0 और हज़रत आयशा रज़ि0 के निकाह के वक़्त उनकी उम्र को देखने पर निकाह की मा'क़ूल उम्र के नतीजे पर नहीं पहुँचा जा सकता और इस बात का भी फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि आख़िर निकाह के लिए लड़का और लड़की की मा'क़ूल उम्र क्या होनी चाहिए।

लेकिन जब हम क़ुर्आन में सूरः निसा का बारीकी से मुतालिआ़ करते हैं और ख़ास कर सूर: निसा की आयत न0– 6 का मुतालिआ़ करते है तो हम पाते हैं कि अल्लाह ने निकाह के लिए किसी ख़ास उम्र का तो नहीं बताया है लेकिन निकाह की उम्र के मुताल्लिक़ अलामतें बताई है; अगर वो अलामतें लड़का और लड़की में ज़ाहिर हो जाएँ तो इसका मतलब यह है कि अब वे लड़का और लड़की निकाह के लायक़ हो चुके हैं, निकाह की उम्र को पहुँच चुके हैं, और उनका निकाह कर देना चाहिए।

क़ुर्आन में सूरः निसा आयत नं0–6 में अल्लाह फ़रमाता है– ''और यतीमों को आज़माओ यहाँ तक कि वह बुलूग़ियत के बाद निकाह की उम्र को पहुँच जायें, फिर जब तुम उनकी संजीदगी (संजीदगी के लिए अल्लाह ने 'रूशदन' लफ्ज़ का इस्तअ़माल किया है) से मानूस हो जाओ फिर उनके माल उनको सौंप दो। और तुम उनके माल को फ़ुज़ूलख़र्ची करते हुए जल्दी–जल्दी न खा जाओ कि वे बड़े हो कर अपने हक़ की माँग करेंगे। यतीम का जो सरपरस्त अमीर हो वह परहेज़गारी से काम लें और जो ग़रीब हो वह इंसाफ़ और अदल से ख़र्च करे। फिर जब उनके माल उनको सौंपने लगो तो लोगों को इस पर गवाह बना लो, और हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफ़ी है''।

क़ुर्आन की इस आयत (या'नी सूरः निसा आयत नं0–6) को निकाह की उम्र के मफ़हूम (Context) में समझने के लिए सबसे पहले इस आयत (सूरः निसा आयत नं0–6) में इस्तअ़माल होने वाले अरबी के दो लफ़्ज़ ''बलग़ुन्निकाह'' और ''रूशदन'' को अच्छी तरह समझना होगा।

''बलग़ुन्निकाह'' का मतलब है ''बुलूग़ियत के बाद निकाह की उम्र को पहुँचा'' या'नी बुलूग़ियत शुरू होते ही निकाह की उम्र को पहुँच गया। अब बुलूग़ियत क्या है? बुलूग़ियत होने की अलामत लड़कों में ज़ेरे–नाफ़ के बाल या'नी शर्मगाह के बाल का निकलना, मूँछ और दाढ़ी के बाल का निकलना, बग़ल के बाल या'नी काँख के बाल का निकलना, एहतलाम (Nightfall) का होना, को बताया है और लड़कियों के बालिग़ होने की अलामत ज़ेरे–नाफ़ के बाल या'नी शर्मगाह के बाल का निकलना, हैज़ (महावारी) के शुरू होने को बताया है। अगर लड़का और लड़की में नबी करीम स0 के बताई गई अलामत–ए–बालिग़ में से कोई भी एक अलामत ज़ाहिर हो जाए तो इसका मतलब है कि वह लड़का या वह लड़की बालिग़ हो चुके हैं, निकाह की उम्र को पहुँच चुके हैं।

"रूशदन" लफ़्ज़ के लिए उर्दू में सबसे नज़दीक का लफ़्ज़ है "संजीदा" और संजीदा के कई मतलब होते हैं और संजीदा के किसी भी मतलब को हम नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। संजीदा का मतलब होता है– वो मर्द या औरत जो अपने जज़्बात पर क़ाबू रखता हो, बात–बात पर जज़्बाती न हो, अक़्ल रखने वाला हो, दलील हुज्जत सहीह–ग़लत तर्क–वितर्क करने और समझने वाला, हालात को समझने वाला, सहीह फ़ैसला करने वाला, बात या मसअ़ले की गहराई को समझने वाला, फ़ुज़ूल ख़र्च नहीं करने वाला, बढ़ा–चढ़ा कर बात न पेश करने वाला।

अब जब हम इस आयत (सूरः निसा आयत नं0 6) में इस्तअ़माल होने वाले दोनों लफ़्ज़ (Context) समझ चुके हैं तो यह बात वाज़ह हो जाती है कि निकाह की उम्र को सिर्फ़ दो बुनियादी शर्तों पर तय किया जाएगा– पहला "बुलूग़ियत" और दुसरा "रूशदन"। इन दो शर्तों में से कोई एक शर्त भी बाक़ी रहे तो अभी उसकी उम्र निकाह की नहीं है। निकाह के लिए लड़का और लड़की का बालिग़ होने के साथ–साथ "रूशदन" या'नी संजीदा होना भी बहुत ज़रूरी है।

7

निकाह के लिए हराम और हलाल रिश्ते

निकाह के लिए हराम रिश्ते या औरतें

वह रिश्ते या औरतें जिनसे निकाह करना हराम है।

इन हराम रिश्तों की दो किस्में हैं।

1. मुस्तक़िल (हमेशा के लिए) हराम रिश्ते (औरतें)
2. आ़रज़ी (वक़्ती) हराम रिश्ते

1) मुस्तक़िल हराम रिश्तों को तीन तरह से बाँटा गया है

- नसबी रिश्ता (ख़ूनी रिश्ता)
- ससुराली रिश्ता
- रज़ाअ़ती रिश्ता (दूध पिलाने से क़ायम रिश्ता)

नसबी रिश्ता (ख़ूनी रिश्ता):– सूरः निसा आयत नं0–23 में अल्लाह तआ़ला ने नसब की वज्ह से निकाह के लिए सात औरतों को हराम बताया है।

1. माएँ:– माएँ, दादियाँ, नानियाँ सब शामिल हैं
2. बेटियाँ:– इसमें अपनी हक़ीक़ी बेटियाँ, पोतियाँ, नवासियाँ सब शामिल हैं।
3. बहनें:– सगी बहनें, माँ की तरफ़ से सौतेली बहनें, बाप की तरफ़ से सौतेली बहनें सब शामिल हैं।

4. फूफियाँ:– सगी और सौतेली सब शामिल हैं।
5. ख़ालाएँ:– अपनी ख़ाला और वालिद, दादा, नाना, माँ, दादी, नानी इन सब की खालायें।
6. भतीजियाँ:– सगे भाई की बेटियाँ, सौतेले भाई की बेटियाँ सब शामिल हैं।
7. भाँजियाँ:– सगी बहन की बेटियाँ, सौतेली बहन की बेटियाँ सब शामिल हैं।

ससुराली रिश्ता

सूरः निसा आयत नं0–22 और 23 में अल्लाह तआला ने ससुराल की वजह से निकाह के लिए चार औरतों को हराम क़रार दिया है–

1. सौतेली माँओं से निकाह हराम है। (सूरः निसा आयत 22)
2. सगे बेटों की औरतें भी तुम पर हराम हैं। (सूरः निसा आयत:23)
3. औरतों की माँ या'नी सास से निकाह हराम है। (सूरः निसा आयत:23)
4. तुम्हारी वह बीवियाँ जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो उनकी पिछली बेटियाँ जो तुम्हारी परवरिश में हों, तुम पर हराम हैं। (सूरः निसा आयत:23)

रज़ाअ़ती रिश्ता (दूध पिलाने से क़ायम रिश्ता)

आयशा रजि. से रिवायत है कि नबी करीम स0 ने फ़रमाया नसब की वज्ह से जो औरतें हराम हैं (यानी माएँ, बेटियाँ, बहनें, फूफियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ, भाँजियाँ) वह दूध पिलाने से भी हराम होंगी– मुस्लिम 2637.

2.आरज़ी हराम रिश्ते

1. दो बहनों को (सगी हों या सौतेली) एक साथ निकाह में जमा करना हराम है। (सूरः निसा आयत–23)
2. नबी स0 ने मना किया है औरत और उसकी ख़ाला व फूफी को एक निकाह में जमा करने से। (सहीह बुख़ारी–5108)
3. वह औरतें तुम पर हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हों। (सूरः निसा आयत–24)
4. इद्दत के दौरान मुतल्लक़ा या बेवा से निकाह हराम है।
5. तीन तलाक़ें (जुदा–जुदा मजलिस या वक़्त में) देने के बाद अपनी मुतल्लक़ा से दुबारा निकाह करना हराम है।
6. पाक दामन मर्द का ज़ानिया औरत या पाकदामन औरत का ज़ानी मर्द से निकाह करना हराम है। (सूरः नूर–आयत नं0 26)

7. मोमिन मर्द का मुशरिका औरत से और मोमिना औरत को मुशरिक मर्द से निकाह करना हराम है।

(सूरः बक़रः आयत–221)

8. ऐहराम वाली औरतों से उस वक़्त तक निकाह करना जाइज़ नहीं जब तक कि वे एहराम (हज या उमरे के) से अलग न हो जाएँ। (मुस्लिम–2555)

निकाह के लिए हलाल और जाइज़ रिश्ते

अल्लाह और अल्लाह के आख़िरी नबी करीम स0 ने जिन रिश्तों को निकाह के ए'तिबार से हराम क़रार दिया है उन सारे रिश्तों और औरतों को छोड़कर बाक़ी सारे रिश्ते निकाह के ए'तिबार से जाइज़ और हलाल हैं।

8

निकाह की बुनियादी शराइत

निकाह के बुनियादी शराइत

अब हम ये बात अच्छी तरह समझ चुके हैं कि दुनियावी और दीनी लिहाज़ से निकाह क्या है? निकाह क्या होता है? निकाह कौन कर सकता है? निकाह किसके साथ किया जा सकता है? और निकाह किसके साथ नहीं किया जा सकता है।

आइए! अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते है कि दीन–ए–इस्लाम में निकाह करने का जाइज़ तरीक़ा क्या है? और दीन–ए–इस्लाम के मुताबिक़ निकाह किस तरह किया जाता है या किस तरह करना चाहिए।

दीन–ए–इस्लाम में निकाह की चार बुनियादी शराइत हैं और इन चारों शराइत का पूरा होना लाज़मी है। अगर इन चारों बुनियादी शराइत में से कोई भी एक शर्त पूरा न हो तो फिर ऐसा निकाह दीन–ए–इस्लाम में निकाह की हैसियत नहीं रखेगा। दीन–ए–इस्लाम में निकाह की चार बुनियादी शराइत इस तरह हैं–

1. ईजाब–ओ–क़ुबूल
2. वली की रज़ामंदी
3. हक़–ए–महर
4. ऐलानिया

पहली शर्तः– ईजाब–ओ–क़ुबूल

ईजाब–ओ–क़ुबूलः– ईजाब–ओ–क़ुबूल दो अलग–अलग अल्फ़ाज़ ''ईजाब'' और ''क़ुबूल'' से मिलकर बना है। ''ईजाब'' के मआनी है– निकाह का पैग़ाम भेजना या निकाह का प्रस्ताव भेजना। निकाह का पैग़ाम लड़का या लड़की की रज़ामंदी के साथ लड़के के घरवाले या लड़के का सरपरस्त, लड़की या लड़की के घरवाले या लड़की के सरपरस्त, लड़की की रज़ामंदी के साथ लड़के या लड़के के घरवाले या लड़के के सरपरस्त को भेज सकते हैं। या'नी लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी किसी को निकाह का पैग़ाम भेज सकता है। इसी को ''ईजाब'' कहा जाता है। क़ुबूल का मतलब यह है कि निकाह के पैग़ाम या'नी ''ईजाब'' को क़ुबूल करना या निकाह के पैग़ाम पर निकाह के लिए अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर करना। अगर निकाह का पैग़ाम लड़का या लड़के के घरवाले या लड़के का सरपरस्त लड़की या लड़की के घरवाले या लड़की के सरपरस्त या वली को भेजता है तो लड़की या लड़के की रज़मंदी के साथ लड़की के घरवाले या लड़की का सरपरस्त या लड़की का वली निकाह के पैग़ाम (ईजाब) को क़ुबूल करेगा या इंकार कर देगा। ठीक इसी तरह निकाह का पैग़ाम लड़की या लड़की की रज़ामंदी के साथ लड़की के

घरवाले या लड़की का सरपरस्त या लड़की का वली लड़के को या लड़के के घरवालों को या लड़के के सरपरस्त को या लड़के के वली को भेजता है तो लड़का या लड़के की रज़ामंदी के साथ लड़के के घरवाले या लड़के का सरपरस्त या लड़के का वली निकाह के पैग़ाम (ईजाब) को या तो क़ुबूल करेगा या फिर इंकार कर देगा। अगर निकाह के पैग़ाम (ईजाब) का ख़ात्मा क़ुबूलियत की शक्ल में होता है तो इस पूरे मरहले को ही ''ईजाब–ओ–क़ुबूल'' कहा जाता है। ''ईजाब–ओ–क़ुबूल'' के बिना निकाह मुमकिन नहीं है।

''ईजाब–ओ–क़ुबूल'' की दस बुनियादी शराइत हैं जिनके बिना ''ईजाब–ओ–क़ुबूल'', ''ईजाब–ओ–क़ुबूल'' की हैसियत नहीं रखता है।

1. लड़का और लड़की दोनों का एक साथ मौजूद होना लाज़मी है। (सहीह मुस्लिम– 3487, सहीह बुख़ारी–5087,5871, और सहीह मुस्लिम–3488,)
2. ''ईजाब–ओ–क़ुबूल'' का एक ही वक़्त में होना लाज़मी है। (सहीह मुस्लिम– 3487, सहीह बुख़ारी–5087,5871, और सहीह मुस्लिम–3488)

3. ''ईजाब–ओ–क़ुबूल'' के वक़्त कम से कम दो गवाहों का होना लाज़मी है। (सहीह मुस्लिम– 3488, इर्वा–उल–ग़लील 1858,1844 1860; तिर्मिज़ी 1103, 1104)

4. ''ईजाब–ओ–क़ुबूल'' के वक़्त लड़का और लड़की दोनों पर या दोनों में से किसी एक पर भी किसी भी तरह का कोई भी दबाव या ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। (सहीह मुस्लिम–3473, सहीह बुख़ारी– 5136, 6946,6968, नसाई 6/86 सहीह मुस्लिम–3474, तिर्मिज़ी 110, इब्ने माजह–1871,15384, सहीह बुख़ारी–6970, सहीह मुस्लिम 3475, सहीह बुख़ारी–5137,6971 अबू दाऊद–2098,2099,2100, तिर्मिज़ी–1108, सहीह मुस्लिम 1421 तिर्मिज़ी–1109, अबू–दाऊद–2093, नसाई–3270, इब्ने माजह– 1870, 1872, 1873, 1874, 1875, सहीह मुस्लिम–1421,1419, सहीह — बुख़ारी–5139 अबू दाऊद–2096)

5. ''ईजाब–ओ–क़ुबूल'' के वक़्त लड़का और लड़की दोनों का बालिग़ (ज़हनी और जिस्मानी), संजीदा और होशो–हवास में होना लाज़मी है। (सूरः निसा आयत नं0–6)

6. ''ईजाब–ओ–क़ुबूल'' के वक़्त ''ईजाब'' और ''क़ुबूल'' दोनों के लिए इस्तअ़माल किए जाने वाले अल्फ़ाज़ माज़ी (Past) या हाल (Present) के होने चाहिए। (सहीह मुस्लिम–3487, सहीह बुख़ारी–5087, 5871, सहीह मुस्लिम–3488)
7. लड़की के वली की मौजूदगी ज़रूरी है। (इब्ने माजह–1879, 1880, 1881, 1802, अबू दाऊद–2083,3085,1676, तिर्मिज़ी – 1101,1102)
8. ''ईजाब–ओ–क़ुबूल'' के वक़्त लड़की और लड़का दोनों में से कोई भी तलाक़ की नीयत न रखता हो। (इब्ने माजह–1961,1962,1963, सहीह बुख़ारी–4216, सहीह मुस्लिम–1407, 1406,)
9. ''ईजाब–ओ–क़ुबूल'' के वक़्त तलाक़ की शर्त न हो और न ही तलाक़ का कोई वक़्त मुतय्यन हो। (इब्ने माजह–1961,1962,163, सहीह बुख़ारी 4216, सहीह मुस्लिम–1407, 1406)
10. ''ईजाब–ओ–क़ुबूल'' के वक़्त हक़–महर की शर्त लाज़मी है। (इब्ने माजह– 1889, सहीह बुख़ारी– 5150, सहीह मुस्लिम–1425 3488,3487, सहीह बुख़ारी 5087, 5871)

ईजाब–ओ–क़बूल की अहमियत

सहीह मुस्लिमः– 3398

अल्क़मा रज़ि0 बयान करते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह रज़ि0 के साथ मिना में जा रहा था कि उन्हें हज़रत उसमान रज़ि0 मिले और वह उनके साथ बातचीत करते हुए ठहर गए। तो हज़रत उसमान रज़ि0 ने उन्हें कहा, ऐ अबू अब्दुर्रहमान! क्या हम तुम्हारी शादी किसी नौजवान लड़की से न कर दें शायद वह तुम्हें गुज़िश्तः दौर की याद ताज़ा कर दे? तो हज़रत अब्दुल्लाह रज़ि0 ने जवाब दिया, अगर आप यह बात कहते हैं तो रसूल स0 हमें यह फ़रमा चुके हैं कि ऐ नौजवानों की जमाअत! तुम में से जो निकाह का ख़र्च बर्दाश्त कर सकता हो, वह शादी कर लें। क्योंकि निकाह से नज़रें झुक जाती है और शर्मगाह अच्छी तरह महफ़ूज़ हो जाती है और जो शख़्स (नान व नफ़क़ा की अदाएगी) की इस्तिताअ़त (ताक़त) नहीं रखता वह रोज़ों की पाबंदी करे, क्योंकि इससे शहवत का ज़ोर टूट जाता है। इतना कहने के बाद हज़रत अब्दुल्लाह रज़ि0 ने यह कह कर मना फ़रमा दिया कि– असल ज़रूरत तो नौजवानों को है, मुझे इस उम्र में इसकी ख़्वाहिश नहीं रही।

सहीह मुस्लिम की इस हदीस (सहीह मुस्लिम–3398) के साथ सहीह मुस्लिम हदीस नं0– 3399, 3400, 3401, 3402,

3403, सहीह बुख़ारी– 1905, 5065, अबू दाऊद 2046 तिर्मिज़ी–1081 की रौशनी में यह बात वाज़ह हो जाती है कि निकाह का पैग़ाम (ईजाब) कोई भी (लड़का या लड़की) किसी के लिए भेज सकता है और जवाब में निकाह से इंकार भी किया जा सकता है। अगर दोनों फ़रीक़ैन (Party) में से कोई भी निकाह से इनकार कर दे तो ऐसी सूरत में निकाह मुमकिन नहीं है। इस तरह यह बात वाज़ह हो जाती है कि ईजाब–ओ–क़ुबूल के बिना निकाह मुमकिन नहीं है।

सहीह मुस्लिमः– 3473

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि0 बयान करते हैं कि नबी करीम स0 ने फ़रमाया– "शौहर बीवी का निकाह उसके मश्वरे के बग़ैर न किया जाए और कुँवारी का निकाह उसकी इजाज़त के बग़ैर न किया जाए" सहाबा किराम रज़ि0 ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! उसकी (कुँवारी लड़की) इजाज़त की कैफ़ियत क्या है? आपने फ़रमाया– "उसकी ख़ामोशी"।

सहीह मुस्लिम की इस हदीस (हदीस न0– 3473) के साथ–साथ सहीह बुख़ारी– 5136, 6946, 6968, नसाई 6/86, सहीह मुस्लिम– 3474, तिर्मिज़ी 1107, इब्ने माजा– 1871,15384, सहीह बुख़ारी– 6970, सहीह मुस्लिम 3475, सहीह बुख़ारी 5137,

6971, नसाई 6/87, 16075, 3461, अबू दाऊद–2098, 2099, 2100, तिर्मिज़ी– 1108, नसाई– 6/84–85, 6/85, इब्ने माजह– 1870, सहीह मुस्लिम–3477, 3478, की रौशनी में यह बात साबित हो जाती है लड़की की इजाज़त व रज़ामंदी के बिना निकाह नहीं होगा। साथ ही यह बात भी वाज़ह होती है कि लड़की निकाह के पैग़ाम (ईजाब) पर इनकार और इक़रार दोनों का हक़ रखती है और साथ ही यह बात भी वाज़ह होती है कुँवारी लड़की की ख़ामोशी को इक़रार समझा जाएगा। यह बात भी इन सारी हदीसों की रौशनी में वाज़ह हो जाती है कि ईजाब–ओ–क़ुबूल के बिना निकाह मुमकिन नहीं है।

सहीह मुस्लिमः– 3487

हज़रत सहल बिन सऊद अंसारी रज़ि0 ब्यान करते हैं कि एक औरत नबी करीम स0 की ख़िदमत में हाज़िर हो कर कहने लगी– ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपना नफ़्स आपको हिबा करने के लिए हाज़िर हुई हूँ। नबी करीम स0 ने उसकी तरफ़ देखा, उसे ऊपर से देखा, फिर नीचे से देखा। या'नी नीचे से ऊपर तक देखा, फिर नबी करीम स0 ने सर मुबारक झुका लिया। जब औरत ने देखा कि नबी करीम स0 ने उसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया तो बैठ गई। इस पर आपके सहाबा में से एक आदमी

उठा और उसने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इससे मेरा निकाह कर दें। आप स0 ने फ़रमाया, ''क्या तेरे पास कुछ है?'' उसने अर्ज़ किया, ''नहीं'' अल्लाह की कसम, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया– घर वालों के पास जाओ और देखो तुम्हें कुछ मिलता है? वह गया फिर वापस आकर कहने लगा– 'नहीं' अल्लाह की क़सम, ऐ अल्लाह के रसूल! लोहे की अंगूठी भी मयस्सर नहीं, लेकिन मेरी ये तहबंद है। हज़रत सहल कहते हैं, उसके पास ऊपर वाली चादर भी नहीं थी। इसको आधी दे दूँगा। तो नबी करीम स0 ने फ़रमाया ''अपनी चादर (तहबंद) का क्या करोगे? अगर तू उसे पहनेगा तो उस पर कुछ न होगा, अगर वो पहनेगी तो तुझ पर कुछ नहीं होगा''। वह आदमी बैठ गया यहाँ तक कि काफ़ी देर बैठने के बाद खड़ा हो गया। नबी करीम स0 ने उसे जाते हुए देखा, तो उसे बुलाने का हुक्म दिया। जब वो वापस आया तो नबी करीम स0 ने फ़रमाया– ''तुम्हें क़ुर्आन–मजीद किस क़दर याद हैं? उसने अर्ज़ किया मुझे फ़ुलाँ–फ़ुलाँ सूरः आती हैं। उसने सूरः शुमार कीं। आप स0 ने पूछा ''उसे ज़बानी पढ़ते हो''? उसने कहा, जी हाँ! आप स0 ने फ़रमाया– ''जाओ! जो क़ुर्आन–मजीद

तुम्हें याद है उसके ऐवज़ उसे तुम्हारे निकाह में कर दिया, इसे क़ुर्आन–मजीद की तालीम दो''।

सहीह मुस्लिम की इस हदीस (3487) और इस हदीस के साथ सहीह बुख़ारी– 5087,5871, सहीह मुस्लिम– 3488 की रौशनी में यह बात पूरी तरह वाज़ह हो जाती है कि– लड़की या औरत खुद के निकाह का पैग़ाम (ईजाब) भेज सकती है, लड़का या मर्द भी निकाह का पैग़ाम (ईजाब) भेज सकता है, लड़के या मर्द को यह हक़ है कि निकाह के पैग़ाम पर इक़रार और इंकार दोनों कर सकता है, निकाह के लिए ''ईजाब ओ क़ुबूल'' का होना ज़रूरी है, ''ईजाब ओ क़ुबूल'' के वक़्त लड़की और लड़का या औरत और मर्द का एक ही वक़्त में और एक ही मजलिस में होना ज़रूरी है, ''ईजाब ओ क़ुबूल'' के वक़्त हक़–महर का तय होना लाज़मी है, और ''ईजाब ओ क़ुबूल'' के लिए इस्तअ़माल किए जाने वाले अल्फ़ाज़ हाल या माज़ी या हाल और माज़ी दोनों के होने चाहिए।

दूसरी शर्तः– वली की रज़ामंदी

वली की रज़ामंदीः– निकाह की शराइत में दूसरी सबसे अहम शर्त है ''वली की रज़ामंदी''। इस शर्त की संजीदगी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वली की रज़ामंदी के बिना

किया गया निकाह ज़िना में तब्दील हो जाता है (सुनन इब्ने माजह– 1882)। निकाह में वली की रज़ामंदी को इतनी अहमियत क्यों दी गई है? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वली क्या होता है? वली किसे कहते है?

अल्लाह तआ़ाला ने क़ुर्आन–मजीद में 'वली' लफ़्ज़ का ज़िक्र 238 दफ़ा किया है, इस एक लफ्ज 'वली' का कई मआनी और महफूम में इस्तअ़माल किया है और जब हम क़ुर्आन का बारीक़ी से मुतालिआ़ करते हैं और ख़ास कर उन मुक़ामात का या उन आयात का मुतालिआ़ करते हैं, उन आयतों पर ग़ौरो–फ़िक्र करते हैं जहाँ–जहाँ लफ़्ज़ 'वली' को अल्लाह ने क़ुर्आन में वारिद किया है तो पता चलता है कि वली के एक नहीं कई मआ़नी हैं।

अल्लाह ने लफ़्ज़ 'वली' की ज़ात में क़ुर्बत और मुहब्बत के मआ़नी भी रखे हैं। उमूर और अहकामात को अंजाम देने वाले शख़्स को भी वली कहा है। क़ुर्बत और मुहब्बत के पैकर को भी वली कहा गया है। वली उस शख़्स को भी कहते हैं जिसको लोग अल्लाह की क़ुर्बत का ज़रीआ़ समझते हैं। ख़ुदा के सबसे ज़्यादा क़रीब शख़्स को भी वली कहा जाता है। लोगों के इस्लाहे अहवाल के हवाले से लोगों में पाइ जाने वाली तख़रीब को

ता'मीर में बदलने वाली हस्ती को भी वली कहा जाता है। लोगों की ख़िदमत सरअंजाम देने वाले को भी वली कहते हैं। लफ़्ज़ वली क़ुर्बत के मअ़नी में भी आया है, मददगार के मअ़नी में भी आया है और दोस्ती के मअ़नी में भी इस्तअ़माल किया गया है। जब मुआशरे में समाज में नफ़रतें आम हो रही हों तो जिस बारगाह से दोस्ती की कशिश महसूस हो रही हो उसे भी वली कहते हैं। नफरतों के माहौल में दोस्ती व मुहब्बत बाँटने वाले को भी वली कहते हैं। जो लोगों की मदद के लिए जिहाद करे उसे वली कहते हैं। जो दौर–ए–फ़ित्न में भी लोगों के मदद के लिए हर वक़्त मुस्तइद रहे, खड़ा रहे, उसे वली कहते हैं। जो नफ़रतों और दुश्मनी के दौर में लोगों का दोस्त हो साथ ही दोस्ती का हक़ भी अदा करे उसे वली कहते हैं। जो अहकामात–ए–शरीअत से मुख़्तलिफ़ क़वानीन अख़्ज़ कर रहा हो, कस्बे इस्तदलाल कर रहा हो, मुआ़मलात–ए–ज़िंदगी अख़्ज़ करके मुआशरे की हिदायत का काम कर रहा हो उसे भी वली कहा जाता है। जो शरीअ़त से मसाइल अख़्ज़ करके मुआशिरे में इज्तिहाद का काम कर रहा हो, तजदीद का काम कर रहा हो उसे भी वली कहते हैं। दीन के मामले में जो शख़्स ग़ैरतमंद हो जाए, हमीयत का पैकर हो जाए, शर्मो–हया का पैकर हो जाए, दीन के मुआमले में समझौता न करें, दीन को संजीदगी से सीखे और सिखाए भी, उसे वली

कहते हैं। वली उसको कहते हैं जो मुआशरे को बदल रहा हो, इक़ामते–दीन का काम कर रहा हो, तजदीदे–दीन का काम कर रहा हो, निस्बते–सहाबा का दर्स दे रहा हो, ज़िंदगी के तमाम हुक़ूक़ की अदायगी से गुज़रने के तौर–तरीक़े सिखा रहा हो, अल्लाह के हुक़ूक़ भी सिखा रहा हो, रसूल स0 के बारगाह के हक़ूक़ सिखा रहा हो।

'वली' के इतने सारे मअ़नी और मफ़हूम देखने के बाद ये नतीजा निकलता है चूँकि निकाह एक इबादत का दर्जा रखता है, निकाह आधा दीन है और वली दीन के मुआमले में कभी कोई समझौता नहीं करता, इक़ामते–दीन का काम करता है, तजदीदे–दीन का काम करता है इसलिए निकाह जैसे दीनी व शरई काम को वली की रज़ामंदी के बिना जाइज़ क़रार नहीं दिया गया और साफ़–साफ़ **लफ़्ज़ों** में कह दिया कि– वली की रज़ामंदी के बिना औरत का निकाह नहीं होता है।

अब सवाल यह उठता है कि निकाह के ऐ'तबार से वली कौन होगा या वली कौन हो सकता है? इस सवाल का जवाब हमें अबू–दाऊद हदीस न0–2083 में मिलता है। अबू–दाऊद हदीस न0– 2083 के मुताबिक़ 'वली' वालिद होता है। वालिद की ग़ैरमौजूदगी में उसका भाई, बेटा (तलाक़शुदा और बेबा हो तो)

दादा, चाचा हो सकता है, इनकी ग़ैरमौजूदगी में नाना, मामा हो सकता है, इनकी ग़ैरमौजूदगी में कोई ख़ूनी सगा रिश्तेदार (दूर का रिश्तेदार नहीं) हो सकता है, अगर यह भी न हो तो वक़्त का क़ाज़ी, ख़लीफ़ा, बादशाह, या समाज का इज़्ज़तदार और ज़िम्मेदार (जिसे पूरा समाज मानता हो) शख़्स हो सकता है। लेकिन किसी भी औरत को निकाह के ऐ'तबार से वली नहीं बनाया जा सकता और अगर औरत का कोई वली नहीं है तो फिर निकाह नहीं हो सकता।

वली की अहमियत

- वली के बिना निकाह नहीं हो सकता (अबू दाऊद– 2083)
- लड़के के लिए वली की शर्त ज़रूरी नहीं है। लड़के का अगर कोई वली नहीं है तो भी उसका निकाह हो सकता है। (सुनन इब्ने माज़ह हदीस न0–1882)
- वली के बग़ैर औरत या लड़की का निकाह नहीं हो सकता। (जामेह सुनन तिर्मिज़ी– हदीस न0– 1101, 1102)
- वली की रज़ामंदी कुँवारी औरत, बेवा औरत, और तलाक़शुदा औरत तीनों के लिए लाज़मी है। (सहीह

बुख़ारी हदीस न0– 4529, सरः अलबक़रः आयत न0 23 जामेह सुनन तिर्मिज़ी– 1102)

- औरत किसी औरत का वली नहीं बन सकती (सुनन इब्ने माज़ह– 1882)
- औरतों की रज़ामंदी के बिना वली औरत का निकाह नहीं करवा सकता।

  (सुनन इब्ने माजह– 1873, सुनन अबू दाऊद–2096, तिर्मिज़ी–1102)
- वली की रज़ामंदी के बिना अगर कोई औरत निकाह करती है तो वह ज़ानीया है। (सुनन इब्ने माजह– 1882)

तीसरी शर्तः– हक़ महर

निकाह के लिए तीसरी सबसे अहम शर्त महर है। महर की शर्त इतनी अहम है कि मुसनद–अहमद में रिवायत है– नबी करीम रसूलुल्लाह स0 ने फ़रमाया– ''जो शख़्स महर मुक़र्रर करके या महर तय करके निकाह करता है और महर अदा करने की नीयत नहीं रखता है उस शख़्स ने ज़िना किया''।

महर उस तोहफ़े को कहा जाता है जो एक मर्द अपनी होने वाली बीवी को निकाह के वक़्त देता है या देने का वादा करता है जो इस बात की इज़हार–ओ–एलामत है कि निकाह के

बाद वह शख़्स अपनी होने वाली बीवी के सारे इख़राज़ात, सारी ज़रूरतें चाहे वो ज़हनी हों, चाहे जिस्मानी या फिर कोई समाजी, उन को पूरा करेगा। हक़-महर अदा करके वह अपनी होने वाली बीवी को और अपनी होने वाली बीवी के वली को इस बात का यक़ीन दिलाता है कि वह अपनी होने वाली बीवी की ज़िम्मदेारी उठाने की सलाहियत रखता है और साथ–ही–साथ अपने आने वाले बच्चे की परवरिश भी सही तरीक़े से करने की सलाहियत रखता है। शौहर के लिए एक इज़हार–ए–मुहब्बत का ज़रीआ भी है जिसके ज़रीए शौहर अपनी होने वाली बीवी को बताता है कि– वो उससे कितनी मुहब्बत और उसकी कितनी इज़्ज़त करता है। चूँकि महर एक तोहफ़ा है और कोई भी इंसान जब किसी को तोहफ़ा देता है तो दो बातों का ज़रूर ख़्याल रखता है। एक सामने वाले (जिसे वो तोहफ़ा दे रहा होता है) की हैसियत, इज़्ज़त, वक़ार, रूतबा, ख़ानदानी मेयार, समाजी–व–मआशियाती (Social and Economical) हैसियत का ख़्याल रखता है और दूसरा अपनी माली (Economical) हैसियत का ख़्याल रखता है। इसलिए एक मर्द का अपनी होने वाली बीवी को दिया गया या तय किया गया महर इस बात की भी अलामत है कि वह अपनी बीवी को कितनी इज़्ज़त दे रहा है और समाज में कितनी इज़्ज़त दिला रहा है।

क़ुर्आन में अल्लाह ने सूरः निसा की आयत न0– 04 में हुक्म दिया– ''और औरतों को उनका महर राज़ी ख़ुशी दे दो'', सूरः निसा की आयत न0– 24 में अल्लाह फिर हुक्म देता है– ''शौहर के लिए बीवी को उसका हक़–महर अदा करना ज़रूरी है'', इसी आयत या'नी सूरः निसा की आयत न0– 24 में हुक्म देता है ''औरतों को उनके महर ख़ुशी–ख़ुशी अदा करो'' सूरः निसा में ही आयत न0–25 में अल्लाह हुक्म और ताकीद करता है– ''और उनका महर हुस्ने सुलूक से दो'', अल्लाह सूरः निसा की आयत–20 में भी हुक्म फ़रमाता है– ''हक़–महर ख़्वाह ख़ज़ाना हो इसमें से कुछ वापस न लो''। हक़–महर की अदायगी के बारे में अल्लाह इतना हस्सास है कि काफ़िर और ग़ैर–मुस्लिम औरतों से निकाह करने पर भी मर्द को निकाह में हक़–महर की शर्त से आज़ाद नहीं किया है और ग़ैर–मुस्लिम औरतों से निकाह की सूरत में भी मर्द के लिए लाज़मी है कि हक़–महर अदा करे। अल्लाह ने सूरः अल–मुम्तहिना की आयत न0–10 में हुक्म दिया– ''औरतों में जो काफ़िर शौहरों को छोड़ कर आ गई है, को उनका महर दे कर उनसे निकाह कर लेने में तुम पर कोई गुनाह नहीं'' अल्लाह ने ऐसी औरतों को भी हक़–महर अदा करने का और वो भी हुस्न–ए–सुलूक के साथ मर्द को हुक्म सुनाया जो निकाह के बाद जिंसी–तअल्लुक़ात बनाए बिना ही तलाक़

लेती हैं। अल्लाह सूरः अल–बक़रः की आयत न0– 236 में हुक्म फ़रमाता है– ''और अगर तुम ने अपनी बीवियों को हाथ तक न लगाया हो और न महर तय किया हो और उससे क़ब्ल ही तुम उनको तलाक़ दे दो, तुम पर कुछ इल्ज़ाम नहीं, हाँ उन औरतों को कुछ फ़ायदा दो, मालदार अपनी हैसियत के मुताबिक, ग़रीब अपनी हैसियत के मुताबिक़ अच्छा फ़ायदा दे, नेकी करने वालो पर यह लाज़िम है।'' अल्लाह के नज़दीक महर की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि महर की शर्त से नबी स0 को भी छूट नहीं दी गई। क़ुर्आन की सूरः अल–अहज़ाब आयत न0–50 में फ़रमाता है– ''ऐ पैगम्बर! हमने आपके लिए उन बीवियों की इजाज़त दी है जिनका महर आपने दिया है'' महर को लेकर अल्लाह का रवैया बहुत ही हस्सास है। ये कितना हस्सास है क़ुर्आन की आयतों (जिनका ज़िक्र में पहले कर चुका हूँ) से पता चल जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आख़िर अल्लाह महर को लेकर इतना हस्सास क्यों है? इस सवाल का जवाब क़ुर्आन की सूरः न0– 33 में मिलता है। इस सूरः में अल्लाह ने महर के लिए ''अज्र'' लफ़्ज़ का इस्तअ़माल किया है। अज्र का लफ़ज़ी मअ़नी होता है ''इनआम'', जब आप सूरः अल–अहज़ाब का मुतालिआ करेंगे और पूरे क़ुर्आन में जहाँ–जहाँ 'अज्र' लफ़्ज का इस्तेमाल किया है बारीकी से

मुतालिआ़ करेंगे तो आप पाएँगे कि 'महर' को अल्लाह ने बहुत बड़े इनाम से मुहासबत (Compare) किया है। एक औरत या लड़की ने अपने परिवार को, अपने वालिदैन को, अपने भाई–बहन को, अपने ज़िंदगी के वो सारे पल सारे लम्हे जो उसके घर–परिवार, माँ–बाप, भाई–बहन से वाबस्ता हैं, सब कुछ छोड़ कर किसी अजनबी के साथ निकाह करके अजनबी घराने में, अजनबी लोगों के दरमियान अजनबी शहर में, अजनबी समाज में, अजनबी मर्द के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरूआत करने का फ़ैसला किया है। यह वाकई बहुत हिम्मत का काम है जिसकी कोई क़ीमत नहीं हो सकती। यहाँ तक कि महर के तौर पर उसे सोने का पहाड़ भी दे दिया जाए तो भी जो क़ुरबानी वह निकाह के नाम पर दे रही है बहुत कम है। इसलिए अल्लाह ने क़ुर्आन में सूरः निसा आयत न0–20 में हुक्म दिया "हक़ महर ख़्वाह सोने का पहाड़ हो, इस में से कुछ वापस न लो" और क़ुर्आन में जगह–जगह मर्द को औरतों का महर अदा करने का हुक्म दिया है और नबी करीम स0 के ज़रिये भी बार–बार और सख़्त अल्फ़ाज़ में महर की अदायगी का हुक्म सुनाया है। इसलिए मेहर माफ़ करवाना पूरी उम्मत–ए–मुस्लिमा के लिए बहुत ही शर्म और तौहीन की बात है। इसलिए हर मर्द को औरतों का महर निकाह के वक़्त ही या निकाह के तुरंत बाद ही अदा कर देना चाहिए।

अगर कोई परेशानी या शरीअतन माक़ूल वजह हो तो जितनी जल्दी मुमकिन हो हक़–महर अदा कर देना चाहिए।

नबी करीम स0 और सहाबा द्वारा अपनी बीवियों को दिए गए बारह मुख़तलिफ़ हक़–महर

हदीस की किताबों, सीरत–ए–सहाबा की किताबों और अल्लाह की किताब क़ुर्आन का मुतालिआ़ करने पर हमें नबी करीम स0 और सहाबा द्वारा अपनी बीवी को दिया गया बारह मुख़तलिफ़ हक़–महर का ज़िक्र मिलता है।

1. क़ुर्आन-मजीद की तालीम और लोहे की अंगूठी
2. खजूर की गुठली के बराबर सोना
3. ग़ुलाम की आज़ादी और क़ैदी की रिहाई
4. चार औक़िया चाँदी (160 दिरहम या 16 दिनार या 72 ग्राम सोना)
5. दो जूती
6. दीन–ए–इस्लाम पर ईमान लाना
7. बारह औक़िया और एक नश्श (1500 दिरहम या 50 दिनार या 225 ग्राम सोना)
8. चार हज़ार दीनार
9. सफ़ीया रज़ि0 की आज़ादी

10. हज़रत फ़ातिमा रज़ि0 का हक़–महर (500 दिरहम या 50 दीनार या 225 ग्राम सोना)
11. सोने का पहाड़
12. हक़ महर– मज़दूरी

1. हक़–महरः– क़ुर्आन-मजीद की तालीम और लोहे की अंगूठी :

सहीह मुस्लिम हदीस न0– 3487:– हज़रत सहल बिन सअद अंसारी रज़ि0 बयान करते हैं कि एक औरत नबी करीम स0 की ख़िदमत में हाज़िर हो कर कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपना नफ़्स आपको हिबा करने के लिए हाज़िर हुई हूँ! रसूलुल्लाह स0 ने उसकी तरफ़ देखा, उसे ऊपर से देखा, फिर नीचे से देखा। या'नी नीचे से ऊपर तक देखा, फिर रसूलुल्लाह स0 ने अपना सर मुबारक झुका लिया। जब औरत ने देखा कि आप स0 ने उसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया, वह बैठ गई। इस पर आप के सहाबा में से एक आदमी उठा और उसने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इससे मेरा निकाह कर दें। तो आप स0 ने फ़रमाया, ''क्या तेरे पास कुछ है?'' उसने अर्ज़ किया, नहीं अल्लाह की क़सम, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, ''अपने घर वालों के

पास जाओ और देखो तुम्हें कुछ मिलता है?'' वह गया फिर वापस आकर कहने लगा, नहीं अल्लाह की क़सम! मुझे कुछ नहीं मिला। इस पर रसूलुल्लाह स0 ने फ़रमाया, ''देखो! तलाश करो, अगरचे लोहे की अंगूठी ही हो।'' वह गया और वापस आकर कहने लगा, नहीं अल्लाह की क़सम, ऐ अल्लाह के रसूल! लोहे की अंगूठी भी मयस्सर नहीं, लेकिन मेरा यह तहबंद है। हज़रत सहल कहते हैं, उसके पास ऊपर वाली चादर भी न थी। इसको आधी दे दूँगा तो रसूलुल्लाह स0 ने फ़रमाया, अपनी चादर (तहबंद) का क्या करोगे? अगर तू उसे पहनेगा तो उस पर कुछ नहीं होगा, अगर वो पहनेगी तो तुझ पर कुछ नहीं होगा। वह आदमी बैठ गया यहाँ तक कि काफ़ी देर बैठने के बाद खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह स0 ने उसे जाते हुए देखा, तो उसे बुलाने का हुक्म दिया। जब वह वापस आ गया तो आप ने फ़रमाया ''तुम्हें क़ुर्आन–मजीद किस क़दर याद है?'' उसने अर्ज़ किया, मुझे फ़ुलाँ–फ़ुलाँ सूरः आती हैं। उसने सूरः शुमार कीं। आपने पूछा, उन्हें ज़बानी पढ़ते हो? उसने कहा, जी हाँ! आपने फ़रमाया जाओ! जो क़ुर्आन–मजीद तुम्हें याद है उसके एवज़ में उसे तेरे निकाह में कर दिया''। यह इब्ने अबी हाज़िम की रिवायत है। ज़ाइद रह0 की रिवायत में यह है, ''जाओ! मैंने इसकी तेरे साथ शादी कर दी है, इसे क़ुर्आन–मजीद की तालीम दो''।

सहीह मुस्लिम की इस हदीस (हदीस न0– 3487) के साथ–साथ सहीह बुख़ारी– 5087, 5871, सहीह मुस्लिम 3488, जामअ़ सुनन तिर्मिज़ी– 1114, सहीह बुख़ारी– 2310, सहीह मुस्लिम 1425, अबू दाऊद– 2111, नसाई– 3200 की रौशनी में यह बात साबित और वाज़ह हो जाती है कि– क़ुर्आन–मजीद की तालीम और लोहे की अंगूठी को हक़–महर के तौर पर तय किया जा सकता है।

2. हक़–महरः– खजूर की गुठली के बराबर सोना :

सहीह मुस्लिम हदीस न0– 3490ः– हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि0 से रिवायत है कि नबी करीम रसूलुल्लाह स0 ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि0 के कपड़ों पर ज़र्द रंग के आसार देखे तो फ़रमाया, 'ये क्या है?' उन्होंने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने एक औरत से खजूर की गुठली के बराबर सोना के एवज़ शादी की है। आप स0 ने फरमाया, 'अल्लाह तआ़ला तुम्हें बरकत दे, वलीमा करो चाहे एक बकरी ही हो।'

सहीह मुस्लिम की इस हदीस (हदीस न0– 3490) के साथ–साथ सहीह बुख़ारी– 5155, 6386, तिर्मिज़ी– 1094, नसाई 6/128 इब्ने माजह– 1907, सहीह मुस्लिम– 3491, 3492, 3494, 3495, 3496 की रौशनी में यह बात साफ़ तौर पर साबित और

वाज़ह हो जाती है कि– हक़–महर के तौर पर सहाबा ने अपनी बीवी को खजूर की गुठली के बराबर सोना दिया था।

3. हक़–महरः– ग़ुलाम/लौण्डी की आज़ादी

सहीह मुस्लिम हदीस न0– 3497 + 3498:– हज़रत अनस रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स0 ने ख़ैबर का क़स्द किया और हम सवार हुए और अबू तलहा भी सवार हुए और मैं अबू तलहा के पीछे सवार था। तो नबी करीम स0 ने अपनी सवारी ख़ैबर की गलियों में दौड़ा दी और हमने भी अपनी सवारियाँ दौड़ाई और मेरा घुटना नबी करीम स0 की रान से छू रहा था और नबी करीम स0 की रान से तहबंद खिसक गया या सरक गया तो मुझे नबी करीम स0 की रान की सफ़ेदी नज़र आने लगी। जब आप स0 बस्ती में दाख़िल हो गए तो आप ने फ़रमाया, ''अल्लाहु अकबर! ख़ैबर तवाहो बर्बाद हो गया था ख़ैबर वीरान हो गया। हम जब किसी क़ौम के आंगन या चोक में उतरते हैं तो डराए गए लोगों की सुब्ह बुरी होती है''। आप ने यह कलिमात तीन बार फ़रमाए और लोग अपने काम–काज के लिए निकल चुके थे इसलिए उन्होंने कहा, मुहम्मद अल्लाह की क़सम! अब्दुल अज़ीज की रिवायत में है, हमारे कुछ साथियों ने ये अल्फाज़ बयान किए, मुहम्मद लश्कर के साथ आ गया और

हमने ख़ैबर को ताक़त और ज़ोरे बाज़ू से फ़त्ह किया और क़ैदियों को यकजा इकट्ठा किया गया। तो आपके पास हज़रत दिह्या रज़ि0 आए और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे क़ैदियों में से एक लौण्डी इनायत फ़रमाएँ। आपने फ़रमाया, ''जाओ और एक बांदी ले लो''। तो उन्होंने सफ़ीया बिन्ते हई रज़ि0 को ले लिया। इस पर नबी करीम स0 के पास एक आदमी आकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी! आपने दिह्या को क़ुरेज़ा और बनू नज़ीर की आक़ा सफ़ीया बिन्ते हई इनायत कर दी है? वह तो आपके शायाने शान थी। आप ने फ़रमाया, ''उसे उस समेत बुलाओ''। तो वो उसे लेकर हाज़िर हुआ। जब नबी करीम स0 ने उस पर नज़र डाली फ़रमाया– ''क़ैदियों में से इसके सिवा कोई और लोण्डी ले लो''। और आप ने उसे आज़ाद करके उससे शादी कर ली। हज़रत साबित रह0 ने हज़रत अनस रज़ि0 से पूछा, ऐ अबू हम्ज़ाह! (हज़रत अनस की कुनीयत है) उसको महर क्या दिया था? उन्होंने जवाब दिया उसका नफ़्स, उसको आज़ाद कर दिया और उससे शादी कर ली। यहाँ तक कि जब (वापसी पर) रास्ते में ही थे तो हज़रत उम्मे सुलैम रज़ि0 ने उन्हें तैय्यार करके रात को आपको पेश कर दिया और आप स0 सुबह को नौशा (दुल्हा) बन चुके थे और आपने फरमाया, ''जिसके पास कुछ हो वो ले आए'' और अपने चमड़े का दस्तरख़वान बिछा

दिया, तो कोई आदमी पनीर ला रहा था और कोई घी ला रहा था। उनसे सहाबा किराम ने मालीदा तैय्यार किया और ये रसूलुल्लाह स0 का वलीमा था। इमाम साहब अपने छः अलग–अलग उस्तादों से हज़रत अनस रज़ि0 की रिवायत बयान करते हैं कि आपने सफ़ीया रज़ि0 को आज़ाद कर दिया और उनकी आज़ादी को महर क़रार दिया और मुआज़ अपने बाप से बयान करते हैं, आपने सफ़ीया से शादी की और उसे उसकी आज़ादी का महर दिया या'नी आज़ादी को महर ठहरा लिया।

सहीह मुस्लिम की इस हदीस (हदीस न0– 3497 + 3498) के साथ–साथ सहीह बुख़ारी–371, अबू दाऊद–3009, नसाई 6/132, सहीह बुख़ारी– 947, 5086, अबू दाऊद–2054, जामअ सुनन तिर्मिज़ी–115 नसाई 6/114, इब्ने माजह– 1957, 291, 1017, 1067, 1429, 1958 सहीह मुस्लिम– 3499, 3500, 3501, अहादीस की रौशनी में साफ़ तौर पर साबित और वाज़ह हो जाता है कि– लौण्डी और ग़ुलाम की आज़ादी को निकाह में हक़–महर मुक़र्रर किया गया है और किया जा सकता है लेकिन आज की तारीख़ में और मौजुदा समाज में न तो लौण्डी का वुजूद है न ही ग़ुलाम का।

4. हक़–महरः– चार औक़िया चाँदी या 160 दिरहम या 16 दीनार या 72 ग्राम सोना

सहीह मुस्लिम हदीस न0– 3486:– हज़रत अबू हुरैरह रज़ि0 बयान करते हैं कि एक आदमी नबी करीम स0 की ख़िदमत में हाज़िर हो कर कहने लगा, मैंने एक अंसारी औरत को शादी का पैग़ाम दिया है। तो नबी करीम स0 ने उसे फ़रमाया, ''क्या तूने उसे देख लिया है? क्योंकि अंसार की आँखों में कुछ है''। उसने कहा, मैं देख चुका हूँ। आपने पूछा, ''उसका कितना महर रखा है? ''उसने कहा चार औक़िया चाँदी पर (निकाह किया है) तो नबी करीम स0 ने तअज्जुब से फ़रमाया, ''चार औक़िया? गोया तुम उस पहाड़ के पहलू या कोने से चाँदी तराश लेते हो, हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मुमकिन है हम तुम्हें किसी लश्कर में भेज दें, तुझे उससे कुछ मिल जाएगा''। फिर आप स0 ने बनू अब्स की तरफ़ एक पार्टी भेजी और उस आदमी को भी उस में भेज दिया।

सहीह मुस्लिम की हदीस न0– 346 की रौशनी में यह ज़ाहिर होता है कि– उस आदमी ने अपनी हैसियत से बढ़ कर और अपनी मर्ज़ी से अपनी बीवी से चार औक़िया चाँदी के हक़–महर पर निकाह किया था।

5. हक़–महरः–दो जूती

जामअ सुनन तिर्मिज़ी– हदीस न0– 1113ः– अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबीआ़ अपने बाप से रिवायत करते हैं कि बनी फ़जारा की एक औरत ने दो जूतों के हक़–महर पर निकाह कर लिया तो अल्लाह के रसूल स0 ने फ़रमाया, 'क्या तू अपने दिल और माल से दो जूतों पर राज़ी है?'' उसने कहा जी हाँ। रावी कहते हैं आप ने इस निकाह को जाइज़ क़रार दे दिया।

जामह सुनन तिर्मिज़ी इस हदीस (हदीस न0 1113) और इबने माजह– 1888, मुसनद अहमद– 3/445 की रौशनी में यह बात पता चलती है कि हक़–मेहर में दो जूती भी दी जा सकती हैं।

6. हक़–महरः– दीन–ए–इस्लाम पर ईमान लाना :

सुनन नसाई हदीस न0– 3941ः– हज़रत अनस रज़ि0 से रिवायत है कि हज़रत अबू तलहा रज़ि0 ने हज़रत उम्मे सलीम रज़ि0 को निकाह का पैग़ाम भेजा तो उन्होंने कहा– अल्लाह की क़सम आप जैसे आदमी को इंकार नहीं किया जाएगा, ऐ अबू–तलहा! लेकिन आप काफ़िर हैं और मैं मुसलमान हूँ। मेरे लिए यह जाइज़ और हलाल नहीं कि आपसे निकाह करूँ। अगर आप मुसलमान हो गए तो आपका ईमान लाना मेरा हक़–महर

होगा। और मैं आपसे निकाह कर लूँगी। फिर अबू तलहा दीन–ए–इस्लाम पर ईमान लाए, मुसलमान हुए और फिर हज़रत उम्मे सलीम रज़ि0 से निकाह किया।

इस हदीस की रौशनी में यह बात साबित हो जाती है कि दीन–ए–इस्लाम पर ईमान लाने की शर्त को हक़–महर मुक़र्रर करना जाइज़ है।

7. हक़–महरः– बारह औक़िया और एक नश्श(500 दिरहम) :

सहीह मुस्लिम हदीस न0– 3489:– हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्ररहमान रज़ि0 से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम स0 की ज़ौजा मोहतराम हज़रत आइशा रज़ि0 ने पूछा, रसूलुल्लाह स0 ने अपनी बीवियों को कितना महर दिया था? हज़रत आइशा रज़ी0 ने जवाब दिया, आपकी बीवियों का महर बारह औक़िया और एक नश्श था। और पूछा, तुम्हें नश्श के बारे में इल्म है? मैने अर्ज़ किया, नहीं। उन्होंने बताया आधा औक़िया को कहते हैं। इस तरह बारह औक़िया और एक नश्श 500 दिरहम हो गये और यही रसूलुल्लाह स0 की बीवियों का महर है।

सहीह मुस्लिम की इस हदीस (हदीस न0– 3489) और सुनन इब्ने माजह हदीस न0– 1886 की रौशनी में यह बात

साबित होती है कि नबी करीम स0 ने अपनी बीवियों को 500 दिरहम से कम महर अदा नहीं किया है।

8. हक़ महरः– चार हज़ार दीनार :

इमाम मुस्लिम इब्न अल हज्जाज रह0, सहीह मुस्लिम हदीस न0– 3486 के फ़ायदा में बयान करते हैं– मुस्तदरक हाकिम की रिवायत के मुताबिक़ आप स0 के लिए उम्मे–हबीबा रज़ि0 का महर चार हज़ार दीनार तय किया गया था जिसे नज्जाशी ने अदा किया था, अगरचे सुनन की रिवायत में चार हज़ार दिरहम है।

सुनन अबू दाऊद हदीस न0– 2017 और सुनन अबू दाऊद हदीस न0– 1853 में उम्मे–हबीबा रज़ि0 का महर 400 दिरहम बताया गया।

9. हज़रत सफ़ीया रज़ि0 का हक़ महरः– सफ़ीया रज़ि0 की आज़ादी :

सहीह मुस्लिम की हदीस न0– 3497 + 3498 (इस हदीस की तवील गुफ़्तगू हक़–महर ग़ुलमी की आज़ादी में कर चुका हूँ), के मुताबिक़ ख़ैबर की जंग–ए–फ़त्ह पर हज़रत सफ़ीया रज़ि0 जब क़ैद कर ली गईं तो नबी करीम आप स0 ने सफ़ीया रज़ि0 को आज़ाद करके उससे निकाह कर लिया और हज़रत

सफ़ीया रज़ि0 की आज़ादी व रिहाई को ही हज़रत सफ़ीया रज़ि0 का हक़–महर क़रार दिया गया।

10. हज़रत फ़ातिमा रज़ि0 का हक़ महरः– 500 दिरहम या 50 दीनार या 225 ग्राम सोना :

सय्यदना अली बिन अबू तालिब शख़्सियत और कारनामे, सीरत उमर फ़ारूक़ सल्लबी रज़ि0– Vol 1 शरह ज़रक़ानी अला अली मवाहिब– Vol 2 अल असाबत, एज़ाहुल मसाइल और एज़ाहुल तहावी और दीगर किताबों का मुतालिआ़ (Study) करने पर हम पाते हैं कि हज़रत अली रज़ि0 ने ज़िरह (एक फौजी सामान, ढाल) जो उन्हें बतौर माल–ए–ग़नीमत (जंग में फ़तह होने बाद जो सामान मिलता है) मिला था, को बेच कर जो रक़म मिली या'नी 500 दिरहम हज़रत फ़ातिमा रज़ि0 को बतौर हक़–महर अदा किया था। कुछ रिवायतों में 480 दिरहम का ज़िक्र है और कुछ रिवायतों में 500 दिरहम का ज़िक्र मिलता है लेकिन उल्लमा का इजमा 500 दिरहम पर है।

11. हक़ महरः– सोने का पहाड़ :

क़ुर्आन–पाक की सूरः निसा आयत न0– 20 में अल्लाह का हुक्म है कि– "हक़–महर ख़्वाह सोने का पहाड़ हो, वापस न लो" क़ुर्आन–पाक के इस आयत की रौशनी में अल्लाह तआ़ला ने

हक़—महर की मिक़दार को तय नहीं कर रखा है। औरत अगर चाहे तो हक़—महर के तौर पर मर्द से "सोने का पहाड़" भी माँग सकती है।

12. हक़ महरः— मज़दूरी या मुलाज़मत

क़ुर्आन में सूरः अल—क़सस की आयत न0— 27 में अल्लाह बयान करता है— "उसके बाप ने मूसा से कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी इन दो बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूँ बशर्ते कि तुम आठ साल तक मेरे यहाँ नौकरी करो और दस साल पूरे कर दो तो यह तुम्हारी मर्ज़ी है। मैं तुम पर सख़्ती नहीं करना चाहता। तुम इंशाअल्लाह मुझे नेक आदमी पाओगे"। सूरः अल—क़सस की आयत न0— 28 में अल्लाह बयान करता है— "मूसा ने जवाब दिया यह बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई। इन दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी कर दूँ, उसके बाद फिर कोई ज़्यादती मुझ पर न हो, और जो कुछ क़ौल व क़रार हम कर रहे हैं अल्लाह उस पर निगहबान है।"

क़ुर्आन—पाक की सूरः अल—क़सस की आयत न0— 27 और 28 से यह बात साफ़ तौर पर वाज़ह हो जाती है कि मूसा अलेहिस्सलाम ने अपनी बीवी को हक़—महर के तौर पर 8 या 10 साल की मुलाज़मात क़ुबूल की थी।

नबी करीम स0 और दीगर सहाबा द्वारा अपने बीवी को दिया गया मुख्तलिफ़– मुख़्तलिफ़ हक़–महर से हमें मालूम होता है अल्लाह और उसके रसूल स0 ने महर की कोई मिक़दार मुक़र्रर (Fix) नहीं की जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि महर में लड़की सोने का ढेर भी माँग सकती है (सूरः निसा आयत–20) या क़ुर्आन की कोई सूरः भी अपने होने वाले शौहर से सीख सकती है (सहीह बुख़ारी हदीस न0–5087) चूँकि महर लड़की का हक़ है इसलिए महर मुक़र्रर करते वक़्त लड़की की हैसियत, लड़की का मैयार, लड़की का रूतबा, लड़की का ख़ानदान, लड़की की अना का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए और तर्जीह देना चाहिए। इसके साथ–साथ महर मुक़र्रर करते वक़्त लड़के को भी अपनी आमदनी और अपनी हैसियत का ख़्याल रखना चाहिए क्योंकि महर की अदायगी ज़रूरी है। अल्लाह तआ़ला क़ुर्आन में सूरः निसा आयत–24 में फ़रमाता है– ''शौहर के लिए बीवी को उसका हक़ महर अदा करना ज़रूरी है, औरतों को उसका महर खुशी–खुशी अदा करो''। इसी तरह अल्लाह तआ़ला सूरः निसा में आयत न0– 4 में भी फ़रमाता है– ''औरतों को उनका महर राज़ी––खुशी दे दो'' । इसी तरह सूरः निसा आयत न0– 25 में भी फ़रमाता है– ''और उनका महर हुस्ने सुलूक से दो''। सहीह मुस्लिम हदीस न0– 3486 में आता है कि– इक बार एक

शख़्स ने अपनी बीवी को अपनी आमदनी और हैसियत से बढ़कर हक़–महर मुक़र्रर कर लिया तो आप स0 ने तअज्जुब और नाराज़गी से फ़रमाया चार औक़िया? गोया तुम उस पहाड़ के पहलू या कोने से चाँदी तराश लेते हो। इन सारी क़ुर्आनी आयतों और हदीसों से हमें नसीहत मिलती है, कि इतना महर मुक़र्रर नहीं करना चाहिए कि इंसान दे ही न सके या फिर माफ़ करवाने के लिए हीले–बहाने करता रहे और यह भी दुरूस्त नहीं कि इंसान औरत की हैसियत और इ़ज़्ज़त से कम महर बाँधे। एक रिवायत में आता है "कि हज़रत अली रज़ि0 हज़रत फ़ातिमा रज़ि0 से निकाह के ख़्वाहिशमंद थे लेकिन हुज़ूर स0 के पास निकाह का पैग़ाम नहीं भेज रहे थे क्योंकि हज़रत अली रज़ि0 को लगता था और समझते थे कि हज़रत फ़ातिमा रज़ि0 को उनकी इ़ज़्ज़त हैसियत और मैयार के मुताबिक़ देने के लिए हक़–महर नहीं है।" हज़रत अली के साथ तो वाक़ई मज़बूरी थी लेकिन इंसान साहिबे–हैसियत हो, शादी पर लाखों ख़र्च करे और महर मामूली बाँधे, यह बिल्कुल भी दुरूस्त नहीं है। इफ़रात व तफ़रीत दोनों ही शरीअत की मंशा के ख़िलाफ़ हैं।

हुज़ूर के ज़माने के हक़–महर की मालियत आज के ज़माने में...

मआशियात (अर्थशास्त्र, Economics) के जानकार बताते हैं नबी करीम रसूलुल्लाह स0 के वक़्त में अरब में दो तरह के सिक्के चला करते थे। एक चाँदी का सिक्का और दूसरा सोने का सिक्का। चाँदी के सिक्के को दिरहम कहा जाता था या'नी चाँदी का एक सिक्का एक दिरहम होता था और सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था या'नी सोने का एक सिक्का एक दीनार होता था। मआशियात (अर्थशास्त्र, Economics) के जानकार यह भी बताते हैं कि एक दीनार दस दिरहम के बराबर था और एक दीनार 0.375 तोला सोना होता था और एक तोला सोना 12 ग्राम सोना होता है।

1 दीनार	= 10 दिरहम
1 दिरहम	= 0.10 दीनार
1 दीनार	= 0.375 तोला सोना
1 तोला सोना	= 12 ग्राम सोना
1 दीनार	= 4.5 ग्राम सोना
500 दिरहम	= 50 दीनार या 225 ग्राम सोना
4 औक़िया चाँदी	= 160 दीरहम या 16 दीनार या 72 ग्राम सोना

चूँकि हुज़ूर स0 के वक़्त में अरब में सोना और चाँदी दोनों तरह के सिक्के चला करते थे लेकिन आज के वक़्त में जो करेंसी नोट इस्तेमाल किया जाता है उसके पीछे केवल सोना होता है, चाँदी नहीं होती लिहाज़ा हुज़ूर स0 के वक़्त में चलने वाले दिरहम को आज के वक़्त में चाँदी से तुलना करना या चाँदी में तब्दील करना सरासर ग़लत है। इसलिए हुज़ूर स0 के वक़्त के दिरहम को आज के वक़्त में सिर्फ़ सोने से ही तुलना की जाएगी और दिरहम की क़ीमत सोने में ही निकाली जाएगी।

चौथी शर्तः– निकाह का एलानिया होना :

निकाह की शराइत में चौथी सबसे अहम शर्त है– निकाह का ''ऐलानिया'' होना। हज़रत मुहम्मद बिन हातिब रज़ि0 कहते हैं– नबी करीम स0 ने फ़रमाया– ''हराम और हलाल निकाह के बीच फ़र्क़ यह है कि निकाह का एलान किया जाए'' निकाह को ऐलानिया करने के पीछे मक़सद यह है कि– अब जिन मर्द और औरत को हमेशा साथ रहना है, उन्हें लोग जान लें और यह भी जान लें कि अब से वो शौहर–बीवी हैं। आने वाले वक़्त में उनके रिश्ते पर कभी कोई ऊँगली न उठाए, उनकी इज़्ज़त महफ़ूज़ रहे, और उनके बच्चे को जाइज़ और हलाल समझा जाए। निकाह को ऐलानिया करने का एक मक़सद यह भी है कि– जिस लड़की

का निकाह हुआ है और जब तक वो लड़की निकाह में है तब तक वह लड़की शादी या निकाह के ऐतबार से सभी (ख़ास कर उम्मते–मुस्लिमा) के लिए हराम है। उस लड़की से अब न तो कोई निकाह कर सकता है और न ही उसको कोई निकाह का पैग़ाम भेज सकता है। क्योंकि अल्लाह क़ुर्आन में सूरः निसा आयत न0– 24 में फ़रमाता है– ''वह औरतें तुम पर हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हों''।

इस्लाम ने इस मक़सद को हासिल करने के लिए कई तरीक़े इख़्तियार किए हैं। सबसे पहला तरीक़ा इस्लाम ने यह इख़्तियार किया कि निकाह के वक़्त कम से कम दो गवाहान का मौजूद होना लाज़िम क़रार दिया। सय्यदना इब्ने अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि नबी करीम स0 ने फ़रमाया– ''वह औरतें ज़िनाकार हैं जो बग़ैर गवाहों के अपना निकाह करती हैं (जामअ सुनन तिर्मिज़ी– 1103)''। फिर इसके बाद निकाह पर दफ़ बजा कर इसकी मुनादी को जाइज़ क़रार दिया गया जिससे आस–पड़ोस के लोगों तक इसकी जानकारी पहुँच जाए। सय्यदा रज़ी0 रिवायत करती हैं कि नबी करीम स0 ने फ़रमाया– ''इस निकाह का ऐलान करो, इसे मस्जिद में मुनअक़िद करो और इस पर दफ़ बजाओ (जामअ सुनन तिर्मिज़ी–1089)''। फिर निकाह को मस्जिद में मुनअक़िद करने की ताकीद की गई ताकि मुहल्ले

के आम लोगों तक भी इस निकाह की ख़बर पहुँच जाए। और इन सब के बाद सबसे आख़िर में वलीमा को ज़रूरी क़रार दिया गया जिससे रिश्तेदारों और दोस्तों को भी निकाह के होने का पूरा इत्मीनान हो जाए। अनस बिन मालिक रज़ि0 बयान करते है कि नबी करीम स0 ने फ़रमाया– ''वलीमा करो अगरचे एक बकरी ही हो (ज़ामअ सुनन तिर्मिज़ी–1094, सहीह बुख़ारी–2094 सहीह मुस्लिम 1427, अबू दाऊद– 2109, नसाई 3351)।

इन सारी बातों और हदीस की रौशनी से यह वाज़ह हो चुका है कि दीन–ए–इस्लाम की मंशा एक मज़बूत समाज की ता'मीर करने की है न कि छिपी आशनाई वाले रिश्तों को क़ायम रखने की है। लिहाज़ा इस्लाम ने निकाह को बहुत ही संजीदगी से लिया है और बहुत ज़रूरी समझा है कि निकाह के मौक़े पर इसका पूरा अहतमाम हो कि लोग जान लें कि फ़ुलाँ मर्द और फ़ुलाँ औरत अब शौहर–बीवी हो चुके हैं।

9

निकाह की क़िस्में

निकाह की क़िस्में

सहीह हदीस की किताबों में निकाह की 6 किस्में मिलती हैं:–

1. सहीह निकाह
2. बातिल निकाह
3. निकाहे–शिग़ार
4. निकाहे–मुत्अह
5. निकाहे मुअक़्क़त
6. निकाहे– हलाला

1. **सहीह निकाह:–** ऐसा निकाह जो क़ुर्आन और हदीस में बताए गए निकाह की सारे शराइत को मुकम्मल तौर पर पूरा करते हुए किया जाता है।

2. **बातिल निकाह :–**ऐसा निकाह जो क़ुर्आन हदीस और में बताए गए निकाह की सारे शराइत को मुकम्मल तौर पर पूरा करते हुए नहीं किया जाता हो, बातिल निकाह कहलाता है।

3. **निकाहे शिग़ार:–** निकाहे–शिग़ार उस निकाह को कहते हैं जिसमें एक शख़्स अपनी बेटी की शादी दूसरे शख़्स से

इस शर्त पर करे कि वह भी अपनी बेटी की शादी उससे कर दे या एक शख़्स अपनी बहन की शादी दूसरे शख़्स से इस शर्त पर करे कि वह भी अपनी बहन की शादी उससे कर दे और दोनों के दरमियान किसी भी तरह का कोई हक़–महर न हो।

ज़ामअ सुनन तिर्मिज़ी की हदीस नं0 1124 में सय्यदना इब्ने अमर रज़ि0 से रिवायत है कि–"नबी करीम रसूलुल्लाह स0 ने निकाहे–शिग़ार से मना फ़रमाया है। इसी तरह सहीह मुस्लिम हदीस नं0 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5112, अबू दाऊद हदीस नं0 2074, इब्ने माजह हदीस नं0–1883 से भी यह बात साबित है कि नबी करीम स0 ने निकाहे–शिग़ार से मना फ़रमाया है।

4. **निकाहे–मुत्अ़ह** :– थोड़े अरसे के लिए किया गया निकाह, निकाहे मुत्अ़ह कहलाता है या ऐसा निकाह जिस में निकाह के वक़्त ही तलाक़ का वक़्त मुतय्यन कर दिया जाता था, निकाहे मुत्अ़ह कहलाता था। यह निकाह चंद दिनों के लिए बग़ैर वालिदैन की इजाज़त और बिना किसी गवाहों के महज़ मर्द और औरत की रज़ामंदी से

किया जाता है। इस निकाह में मर्द, घर बसाने की और हमल की सूरत में नतीजा–ए–हमल को क़ुबूल करने की नीयत नहीं रखता है और न ही औरत के नान–व–नफ़्क़ा का ज़िम्मेदार होता है। इसमें तलाक़, ज़िहार,ईला, लिआ़न, विरासत वग़ैरह के अहकाम जारी नहीं होते हैं।

इब्तिदा–ए–इस्लाम में निकाहे–मुत्अ़ह जाइज़ था लेकिन आहिस्ता–आहिस्ता शराब की हुरमत के अंदाज़ में मना कर दिया गया। और फ़त्ह–ए–मक्का के वक़्त नबी करीम स0 ने निकाहे–मुत्अ़ह को क़यामत तक के लिए मना' फ़रमा दिया और आज की तारीख़ में निकाहे–मुत्अ़ह हराम की हैसियत रखता है। सहीह मुस्लिम की हदीस नं0–3430 में आता है–रबीअ बिन सबरह अपने बाप से बयान करते हैं कि नबी करीम रसूलुल्लाह स0 ने मुत्अ़ह से मना किया और फ़रमाया– "खबरदार सुनो! मुत्अ़ह आज से क़यामत के दिन तक के लिए हराम है और जिसने जो चीज़ दे रखी है वह उसे वापस न ले"।

5. **निकाहे–मुअक़्क़त** : निकाहे–मुअक़्क़त भी एक तरह का निकाहे–मुत्अ़ह ही है क्योंकि इस निकाह में भी निकाह के वक्त ही तलाक़ का वक़्त मुतय्यन (तय) कर दिया जाता

है। निकाहे–मुअक़्क़त में अगर 'तलाक़ का वक़्त' की शर्त हटा दी जाए तो इस निकाह में भी निकाह के सारे अहकाम (मर्द और औरत की रज़ामंदी, वालिदैन की रज़ामंदी, गवाहों की मौजूदगी, हक़–महर की अदायगी) जारी होते हैं। चूँकि निकाह के वक़्त ही तलाक़ का वक़्त मुतय्यन होने की वज्ह से ही निकाहे मुत्अ़ह को हराम क़रार दिया गया इसलिए निकाहे–मुअक़्क़त भी हराम है।

6. **निकाहे–हलाला** :–निकाहे हलाला ऐसे निकाह को कहा जाता है जिस में कोई, शख़्स तलाक़शुदा औरत (ऐसी तलाक़शुदा औरत जिसका शोहर तीन बार अलग–अलग वक़्त में तलाक़ दे चुका हेाता है और अब वो औरत उस मर्द के लिए तब तक हलाल नहीं हो सकती या उस मर्द से तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक कि वह किसी दूसरे मर्द से निकाह या शादी करके जिंसी तअल्लुक़ात क़ायम न कर ले) से मर्द महज़ जिंसी तआल्लुक़ात क़ायम करके तलाक़ की नियत से निकाह करता है ताकि वह तलाक़–शुदा औरत अपने पहले शौहर के लिए हलाल हो जाए, ऐसे निकाह को हुज़ूर स0 ने मना फ़रमाया है और निकाहे–हलाला करने और करवाने वालों पर लानत की है। जामअ सुनन तिर्मिज़ी की हदीस

नं0–1113 और 1120 में सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि0, सय्यदना अली रज़ि0, और सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रिवायत करते हैं कि ''नबी करीम रसूलुल्लाह स0 ने हलाला करने वाले और जिसके लिए किया जा रहा है दोनों पर लानत की है''।

निकाह में ख़ानदान, ज़ात–पात और माली हैसियत की अहमियत

निकाह में ख़ानदान ज़ात–पात और माली हैसियत

दीन–ए–इस्लाम में ख़ानदानी हैसियत को कोई तर्जीह नहीं दी गई है। अल्लाह सूरः अल–हुजुरात आयत नं0–10 में फ़रमाता है–''मोमिनीन तो आपस में भाई–भाई है'', और सूरः अल'हुजुरात आयत नं0–13 में फ़रमाता है–''ऐ लोगों! हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारे ख़ानदान और क़बीले बनाए ताकि एक दूसरे को पहचानें, इसमें शक नहीं कि ख़ुदा के नज़दीक तुम सब में सबसे ज़्यादा इज़्ज़तवाला वही है, जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो, बेशक ख़ुदा सब कुछ जानने वाला और बाख़बर है''। इसी तरह मुसनद अहमद हदीस नं0–22978 में रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सं0 ने हुज्जतुल विदाअ के ख़ुत्बे में इरशाद फ़रमाया– ''ऐ लोगों! तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप या'नी आदम अलै0 भी एक है। बेशक कोई अरब किसी ग़ैर–अरब से बड़ा नहीं और न कोई ग़ैर–अरब किसी अरब से बड़ा है और न कोई गोरा किसी काले से बहतर है और न कोई काला किसी गोरे से बहतर है; सिवाय तक़्वे के (या'नी ख़ुदा से डरने वाला ही अल्लाह की नज़र में मर्तबे में बड़ा और बहतर है।''इसी तरह जामआ सुनन तिर्मिज़ी हदीस नं0–3270 के

मुताबिक़ नबी करीम रसूलुल्लाह स0 ने फ़रमाया–सब लोग ''आदम अलै0 की औलाद हैं और आदम अलै0 को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया था''। इन सारी क़ुर्आन की आयतों और अहादीस से यह बात वाज़ह हो जाती है कि सभी ईमान वाले अल्लाह की नज़र में बराबर है और अगर किसी को कोई फ़ज़ीलत हासिल है तो माल (दौलत), ख़ानदान, हसब–नसब, नस्ल, रंग, उम्र, ज़ुबान (भाषा) की बुनियाद पर नहीं बल्कि अल्लाह से तक़वा की बुनियाद पर है। इसलिए अगर किसी को अपने ख़ानदान, बिरादरी, या ज़ात में रिश्ता न मिले तो दीन–ए–इस्लाम ग़ैर–ख़ानदान, ग़ैर बिरादरी या ग़ैर–ज़ात में निकाह करने की इजाज़त देता है और नबी करीम स0 का हुक्म भी है जो सहीह मुस्लिम हदीस नं0–3635 और सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5090 से साबित है–''चार बुनियादों या अस्बाब की बिना पर औरतों से निकाह किया जाता है, उसके माल की बिना पर, उसके हसब व ख़ानदान की बिना पर, उसके हुस्न–ओ–जमाल की ख़ातिर और उसकी दीनदारी के सबब! तुम दीनदार औरत से निकाह करके कामयाबी हासिल करो''। नबी करीम रसूलुल्लाह स0 उम्मत–ए–मुस्लिमा के लिए एक मिसाल हैं, और रोल मॉडल है जिन्होंने हर मुआमले में उम्मत के सामने एक बहतरीन नमूना पेश किया। निकाह ग़ैर ख़ानदान या बिरादरी

में किया जा सकता है इसका सबूत भी हमें नबी करीम सं0 की ज़िंदगी से मिलता है। आप रसूलुल्लाह स0 ख़ुद बनी हाशिम क़बीले से थे लेकिन आप रसूलुल्लाह स0 ने अपने क़बीले से बाहर निकाह किया–

1. हज़रत ख़दीजा रज़ि0 बनू असद क़बीले से थीं।
2. हज़रत सौदा रज़ि0 आमिर बिन लुई क़बीले से थीं।
3. हज़रत आयशा रज़ि0 बनी तैम क़बीले से थीं।
4. हज़रत हफ़्सा रज़ि0, बनू अदी क़बीले से थीं।
5. हज़रत ज़ैनब रज़ि0, बनू हिलाल क़बीले से थीं।
6. हज़रत उम्मे सलमा रज़ि0, बनी मख़्ज़ूम क़बीले से थीं।
7. हज़रत जुवैरिया रज़ि0, बनी मुस्तलिक क़बीले से थीं।
8. हज़रत उम्मे हबीबा रज़ि0, बनू उमय्या क़बीले से थीं।
9. हज़रत सफ़ीया रज़ि0, बनू क़ेरेज़ा क़बीले से थीं जो एक यहूदी क़बीला था।
10. हज़रत रेहाना रज़ि0, बनू कुरैज़ा क़बीले से थी जो एक यहूदी क़बीला था

इसी तरह सहाबा कीराम रज़ि0 ने भी ग़ैर बिरादरी में निकाह किए जिसके सबूत हमें हदीस और तारीख़ की किताबों में मिलते हैं। मसलन नबी करीम स0 ने ख़ुद ज़ैद बिन हारिस

(आज़ाद करदा ग़ुलाम) का निकाह ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ि0 (कुरेशी, ख़ातून) से करवाया था। सुनन अबू दाऊद की हदीस नं0–2102 में रिवायत है–नबी करीम रसूलुल्लाह स0 ने एक ऊँचे ख़ानदान बनी बयादा के लोगों से कहा–तुम लोग अपनी किसी लड़की का निकाह अबू हिन्द यसार रज़ि0 से करवा दो जो एक ग़ुलाम थे।

यह थी निकाह में ख़ानदान और ज़ात–पात की अहमियत की बातें जिसे अल्लाह और नबी करीम स0 ने दीन–ए–इस्लाम में ख़ारिज कर दिया। अब रही बात निकाह में माली (दौलत) हैसियत की बात तो दीन–ए–इस्लाम इसको भी सिरे से ख़ारिज करता है। दीन–ए–इस्लाम में माली हैसियत की भी कोई अहमियत नहीं है। नबी करीम रसूलुल्लाह की पाक सीरत से, सीरतुन–नबी और तारीख़ की किताबों से मालूम होता है नबी करीम रसूलुल्लाह स0 ने अमीर और ग़रीब हर तरह की औरतों से निकाह किया मसलन हज़रत ख़दीजा रज़ि0 बहुत अमीर औरत थी। नबी करीम रसूलुल्लाह स0 ने बेटियों के निकाह में भी दामाद की माली हैसियत को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। नबी करीम रसूलुल्लाह स0 ने बेटियाँ सय्यदा रूक़य्या रज़ि0 और उम्मे कुलसूम रज़ि0 का निकाह हज़रत उसमान रज़ि0 से किया जिनकी माली हालत बहुत अच्छी और बहुत मज़बूत थी। हज़रत

उस्मान रज़ि0 बहुत अमीर और मालदार सहाबा थे। लेकिन इसके बरअक्स नबी करीम रसूलुल्लाह स0 अपनी सबसे चहेती बेटी सय्यदा फ़ातिमा रज़ि0 का निकाह हज़रत अली रज़ि0 से किया जिनकी माली हालात बहुत कमज़ोर थी, इतनी कमज़ोर कि हज़रत अली रज़ि0 के पास महर देने के लिए भी कुछ नहीं था। हज़रत अली रज़ि0 ने अपना ज़िरह (एक फ़ौजी सामान, ढ़ाल) बेचकर हज़रत फ़ातिमा रज़ि0 का हक़–महर अदा किया था।

इन सारी दलीलों और हुज्जत से साबित होता है कि निकाह की अस्ल बुनियाद दीनदारी और अख़लाक़ है, इन खूबियों को दरकिनार और नज़र अंदाज़ करके ख़ानदानी ऊँच–नीच, ज़ात–पात, उम्र और अमीरी–ग़रीबी को तरजीह देना बहुत ग़लत है।

11

ख़ुतबः–ए–निकाह

ख़ुतबः—ए—निकाह

ख़तीब, क़ाज़ी या निकाहख़्वाँ निकाह के वक़्त मौजूद लोगों से शरीअ़त की रोशनी में जो ख़िताब करता है उसे आमतौर पर ख़ुतबः—ए—निकाह कहा जाता है। यह ऐसा मौक़ा होता है कि ख़तीब की बात को लोग संजीदगी से सुनते हैं।

इस ख़िताब में अल्लाह तआ़ला की तारीफ़ बयान करते हुए क़ुर्आन—ए—करीम की चार आयात तिलावत की जाती हैं। गौकि इन आयात का तअ़ल्लुक़ सीधे तौर पर निकाह से नहीं है लेकिन इन आयत की तिलावत हर एक निकाहख़्वाँ ख़ुतबः—ए—निकाह में ज़रूर करता है। इसकी वज्ह यह है कि इनकी तिलावत हमारे रसूल हज़रत मुहम्मद स० ने फ़रमाई है। यह तिलावत इसी सुन्नत पर अ़मल करना है इसके बाद अल्लाह के रसूल की निकाह से मुताल्लिक़ हदीस बयान की जाती है।

क़ुर्आन की आयात में तक़वः और नस्ल—ए—इंसान और उसके फ़रोग़ की बात की गई है। तक़वः या'नी ख़ौफ़ अल्लाह तआ़ला ने इंसान की सरिश्त में रखा है। यही ख़ौफ़ इंसान को बुरे कामों से रोक कर अच्छे अ़मल करने की तरग़ीब देता है। अल्लाह का यह ख़ौफ़ ही इंसान को इंसान बनाए रखता है वरना यह बेख़ौफ़ होकर वह्शी

जानवरों को भी मात कर दे। यही तक़वः इंसान के अ़मल–ए–स्वालह की बुनियाद है।

निकाह के वक़्त तक़वा की यह ता'लीम इंसान के दिल में ख़ुदा का ख़ौफ़ पैदा करती है और हुक़ूक़ुल्लाह के साथ–साथ हुक़ूक़ुलइबाद के बारे में भी वह संजीदगी से ग़ौर करने और उस पर अ़मल करने के लिए तैयार हो जाता है। वह महर की अदायगी, नान–नफ़्क़ा, बीवी की किफ़ालत, हुस्न–ए–सुलूक और नए रिश्तों के इस्तहकाम और अख़लाक़–ओ–आदाब पर अ़मल पैरा होने का अ़ज़्म कर लेता है। जिसके नतीजे में उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी क़ुर्आन और अहादीस के मुताबिक़ गुज़रती है और मुस्तक़बिल के लिए एक मौमिन और नस्ल–ए–मौमिन की बुनियाद रख जाती है। सिर्फ़ ज़ोजैन ही नहीं सामईन भी इस ख़िताब से इस्तिफ़ादा करते हैं, क्योंकि यह एक आ़म ख़िताब होता है।

हमारा बेशतर मुस्लिम मआशरा अरबी ज़बान को समझने से क़ासिर है। निकाहख़्वाँ हज़रात का फ़र्ज़ बनता है कि वो अरबी के साथ साथ इस ख़ुतबः का या'नी ख़ुतबः–ए–निकाह का उर्दू या दीगर मक़ामी ज़बानों में तर्जुमा भी बयान करें।

खुतबः–ए–निकाह (अरबी)

अलहम्दु लिल्लाहि नह्मदुहू व नस्तईनुहू व नस्तग़फ़िरूहू व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह, व नऊजु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफ़ुसिना व मिन सयैआति आअ़मालि मँययहदिहिल्लाहु फ़लामुज़िल्लाहू व मॅययुज़लिलहु फ़ला हादियलहु, वनश्हदु अँलाइलाहा इल्ललाहु वह्दहू ला शरीका लहू व नश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू।

अम्माबाद,

फअ़ऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।

या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।

या अय्युहन्ना सुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन्नफ़सिँव वाहिदः व ख़लक़ा मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरँव व निसाआ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम् इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा।

या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा। युसलिहलकुम आअ़मालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मयँयुतिइल्लाहा व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा।

अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन रग़िबा अ़न सुन्नती फ़लैसा मिन्नी।

ख़ुतब:–ए–निकाह (अनुवाद/तर्जुमा):

तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं हम उसी से अपने कामों और उसी से अपने गुनाहों पर मदद तलब करते हैं और हम उसी पर ईमान रखते और हम उसी पर भरोसा करते हैं। अल्लाह तआ़ला हमें हिदायत देना चाहे तो कोई हमें गुमराह नहीं कर सकता और गुमराह करना चाहे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता और हम इस बात की भी गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और इस बात की भी गवाही देते हैं कि मुहम्मद स0 अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं।

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मह्रबान और निहायत रहम वाला है।

ऐ लोगों! जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक़ है और तुम्हें मौत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक कि तुम कामिल मुसलमान न हो चुके हो।

ऐ लोगों! डरो अल्लाह से, उस अल्लाह से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा किया और फिर सारी इंसानियत उन्हीं दोनों से बनाई और उस अल्लाह से

जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से अपने हुकूक़ तलब करते हो। बेशक अल्लाह तआ़ला तुम्हारे हर काम की निगरानी कर रहा है।

ऐ लोगों! जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो सीधी और साफ़ बात कहा करो अल्लाह तआ़ला तुम्हारे अअ़माल की इस्लाह फ़रमा देगा और तुम्हारे गुनाहों को मुआ़फ़ कर देगा और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इतायत की वह बेशक कामयाब हो गया।

रसूल का कौल है कि निकाह करना मेरी सुन्नत है और फ़रमाया जिसने मेरी सुन्नत से एअराज किया और जानते–बूझते छोड़ा वह मुझमें से नहीं है।

इन आयात में चार बार यह फ़रमाया गया है कि अल्लाह से डरो। क़ुर्आन के नुज़ूल का मक़सद भी यही है– जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से डरें, सीधी और साफ़ बात करें तो अल्लाह तआ़ला उनके अअ़माल की इस्लाह फ़रमा देगा और सारे गुनाहों को मुआ़फ़ कर देगा। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअ़त की वह बेशक कामयाब हो गया।

12
निकाह की फ़ज़ीलत

निकाह की फ़ज़ीलत

1. निकाह इंसान में शर्म व हया पैदा करता है। (सहीह मुस्लित 1400,3400)
2. निकाह इंसान को बदकारी से बचाता है। (सहीह मुस्लिम 1400)
3. निकाह जिंसी आलूदगी, शैतानी ख़्यालात–ओ–अफ़आ़ल से महफ़ूज़ रखता है। (सहीह मुस्लिम 1403)
4. निकाह बाहमी मुहब्बत और उख़ुव्वत का बहतरीन ज़रीआ़ है। (सुनन इब्ने माजह 1847)
5. निकाह इंसान के लिए राहत–ओ–सुकून है। (सुनन अन नसाई 3940)
6. निकाह से दीन मुकम्मल हो जाता है। (सिलसिला अज सहीह लिल अलबानी 625)
7. निकाह इंसानी नस्ल की बक़ा का ज़रीआ़ है। (अबू दाऊद 2050 मुसनद अहमद 6850)
8. निकाह नज़रों को झुका कर रखने वाला अम्ल है और यह शर्मगाह की हिफ़ाज़त करता है, दूसरे अल्फ़ाज़ में निकाह से मुआशरे की बेहयाई ख़त्म होती है और औरत व मर्द दोनों की इज़्ज़त महफ़ूज़ रहती है। (सहीह बुख़ारी–1905,

5065, 5066, सहीह मुस्लिम– 3398, 3400 सुनन नसाई– 2244, 3211, 3212, 3213, इब्ने–माजा– 1845, 1846 अबू दाऊद– 2046, तिर्मिज़ी– 1081, मिश्कात– 3080)

9. निकाह से इंसान का आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है, बाक़ी आधे ईमान के बारे में अल्लाह तआ़ला से डरते रहना चाहिए। (मिश्कात–3096)

10. निकाह एक नअ़मत है। (सूरः रूम–आयत 21)

11. निकाह रिश्तों को जोड़ता है और अल्लाह रिश्ता जोड़ने वालों से जुड़ता है, और जो रिश्ता तोड़ता है अल्लाह उससे भी तअ़ल्लुक़ तोड़ लेता है– सहीह बुख़ारी 5988, सूरः निशा– 4:1

12. सच्ची मुहब्बत सिर्फ़ मियाँ–बीवी के बीच ही पैदा हो सकती है जो निकाह से क़ायम होती है। (इब्ने– माजा– 1847, मिश्कात– 3093, सूरः रूम 30:21)

13. निकाह करना अंबिया अलै की सुन्नत है। (सूरः राअद 13:38, इब्ने माजा 1846, सहीह बुख़ारी 5063, सहीह मुस्लिम– 3403, सुनन नसई– 3217)

14. निकाह औलाद हासिल करने का जाइज़ तरीक़ा है। (सूरः निसा 4:1, सूरः नहल–16:72)

15. निकाह ज़िना से बचने का ज़रीआ है। इस्लाम में ज़िना को बहुत बड़ा गुनाह बताया गया है। ज़िना इतना संगीन गुनाह है कि ज़िना करते वक़्त ज़ानी मोमिन नहीं रहता। (मिश्कात–53, बुख़ारी 2475, मुस्लिम 202, मिश्कत 60, अबू दाऊद 4690, तिर्मिज़ी 2625, सूरः बनी इस्राइल 17:32, सूरः नूर 24:19)

16. निकाह, शहवत पर क़ाबू पाने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा है– सहीह मुस्लिम– 1894 निकाह के बाद शौहर और बीवी के दरमियान ऐसा तअ़ल्लुक़ पैदा हो जाता है जैसा तअ़ल्लुक़ आँख और नींद के दरमियान होता है। इसी बात को क़ुर्आन में अल्लाह तआ़ला ने सूरः बक़रः आयत न0– 187 में कुछ इस तरह बयान किया है– "वे तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उसके लिए लिबास हो"। या'नी जिस तरह लिबास और जिस्म के दरमियान कोई दूरी नहीं होती और वो एक दूसरे की हिफ़ाज़त करते हैं उसी तरह का तअ़ल्लुक़ शौहर और बीवी के बीच होता है।

17. निकाह के बाद शौहर और बीवी दोनों को ससुराली ख़ानदान की सूरत में एक नया ख़ानदान मिलता है, एक नया समाज मिलता है। (सूरः फुरक़ान– 54)
18. निकाह के अमल से, इंसानों की आबादी के तसलसुल का एक सिलसिला बेटों और पोतों से चलता है जो दूसरे घरों से बहुएँ लाते हैं और इक दूसरा सिलसिला बेटियों और नवासियों से चलता है जो दूसरों के घरों में बहुएँ बन कर जाती हैं। इस तरह ख़ानदान से ख़ानदान जुड़ता है और एक समाज बनता है और फिर उससे पूरा एक मुल्क बनता है और इस तरह पूरी इंसानियत बावस्ता हो जाती है।
19. निकाह के ज़रीए हम उस रिश्ते को पा लेते हैं जिसकी बुनियाद अल्लाह ने जन्नत में रखी थी। अल्लाह ने क़ुर्आन में सूरः बक़रः की आयत न0– 187 में फ़रमाता है– "वो (बीवियाँ) तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम (शौहर) उनके लिए लिवास हो"। अल्लाह ने लिबास और निकाह, दोनों चीज़ों नअ़मत के तौर पर आदम अलै. को जन्नत में अता कीं न कि दुनिया में।
20. निकाह के ज़रीए हम जानवरों और इंसानों के बीच के अहम फ़र्क़ को हासिल कर लेते हैं। अल्लाह तआ़ला ने

क़ुर्आन में सुरः बक़रः की की आयत नं0 187 में बयान करता है–'वह (बीवियाँ) तुम्हारे लिए लिबास हैं और शौहर उनके लिए लिबास हो। अल्लाह ने इंसानों और जानवरों में एक अहम फ़र्क़ यह रखा है कि जिस तरह लिबास अल्लाह ने केवल इंसानी बदन के लिए उतारा है उसी तरह निकाह का रिश्ता भी अल्लाह ने केवल इंसानों के लिए ही मख़सूस किया है। कोई भी जानवर न तो कोई लिबास पहनता है और न ही निकाह करता है।

21. निकाह इंसान को जन्नत का हक़दार बना देता है। सहीह बुख़ारी की हदीस नं0 5908 में रसूलुल्लाह स0 का इरशाद है– 'रहम(रिश्ते) का तअ़ल्लुक़ रहमान से जुड़ा है जो रिश्तों को जोड़ता है अल्लाह उससे जुड़ता है, और जो रिश्तों को तोड़ता है अल्लाह उससे अपना तअ़ल्लुक़ तोड़ता है'। इसी तरह सहीह बुख़ारी की हदीस नं0 5984 में नबी स0 फ़रमाते हैं 'रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा'। निकाह दो इंसानों के दरमियान दो ख़ानदानों के दरमियान रिश्ता जोड़ता है।

22. निकाह से नज़रों की हिफ़ाज़त होती है और समाज में बेहयाई की शुरूआ़त नज़रों से ही होती है। अल्लाह ने क़ुर्आन में नज़रों की हिफ़ाज़त की सख़्त हिदायत दी है।

(सूरः नूर आयत नं0 30,31, सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5066, मिश्क़ात उल मसाबीह– 3104, सहीह मुस्लिम–2159, अबू दाऊद–2148, तिर्मिज़ी– 2776)

23. सुन्नत के मुताबिक़ निकाह करने पर, निकाह करने वालों को अल्लाह ने मदद करने का वादा किया है। (मिश्कात– 3089, नसाई– 3122,3220, तिर्मिज़ी– 1655, इब्ने माज़ा– 2158)

24. निकाह से रहबानियत (ब्रह्मचर्य) रद्द होती है। अल्लाह ने रहबानियत की ज़िंदगी को मना फ़रमाया है। (सूरः रअ़द आयत नं0 38, तिर्मिज़ी– 1082, 1083, सुनन नसाई– 3214, 3215, 3216, सुनन इब्ने माज़ा– 1848, 1849, सहीह बुख़ारी– 1153, 1968, 1975, 5073, 5074, 6139, सहीह मुस्लिम– 3404, मिश्कात– 3081, अबू दाऊद–1369)

13

वलीमा

वलीमा

वलीमा, अरबी ज़बान का लफ़्ज़ वालम से लिया गया है जिसका लफ़्ज़ी मअ्नी होता है ''इकट्ठा होना''। अरब के लोग इसका इस्तअ्माल 'खाना' या 'दावत' के लिए किया करते थे, जहाँ लोगों को इकट्ठा किया जाता था। बाद में यह लफ़्ज़ दावत के तौर पर इस्तमाल किया जाने लगा। अरब के लोग अलग–अलग दावतों का जश्न मनाने के लिए अलग –अलग लफ़्ज़ो का इस्तअ्माल किया करते थे। बच्चों के ख़तना के मौकों पर दिए जाने वाली दावत को ''अल–इज़र'' कहा जाता था। ऐसी शादी जो तलाक़ पर ख़त्म न हो, (उस समय अरब समाज में ऐसी शादियों का चलन भी था जो एक तय–शुदा वक़्त तक के लिए होता था या'नी दिनों या महीनों या वक़्त के बाद तलाक़ दे देना है, शादी के वक्त ही तय कर लिया जाता था) के मौक़े पर दी जाने वाली दावत को 'अल–ख़ुर'' कहा जाता था। एक नया घर बनाने पर जो दावत दी जाती थी उसके 'अल कवीरा' कहा जाता था। जब एक मुसाफ़िर सफ़र के बाद घर लौटता था तो उस मौक़े पर भी दावत दी जाती थी जिसे ''अल–नकिया'' कहा जाता था। बच्चे की पैदाइश पर बच्चे की पैदाइश के सातवें दिन को भी दावत देने का रिवाज था जिसे ''अल–अक़ीक़ाह'' कहा

जाता था। और बिना किसी ख़ास वजह के जब दावत दी जाती थी तो ऐसी दावत को ''अल–मदुवा'' कहा जाता था। जब दीन–ए–इस्लाम वारिद हुआ तो नबी करीम स0 ने निकाह के बाद शौहर को निकाह की ख़ुशी में दावत देने का हुक्म दिया और इसी दावत को ''वलीमा'' कहा जाता है। शरीअ़त के मुताबिक़ ''वलीमा'' एक ऐसी दावत है जो रिश्त–ए–अज़दवाज (लड़का और लड़की का निकाह या शादी) में मुनसलिक होने की ख़ुशी में मुसलमान शौहर की तरफ़ से दिया जाता है। सहीह मुस्लिम की हदीस नं0 3490, सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5155, 6386 जामअ़ सुनन तिर्मिज़ी–1094, और इबने माजह हदीस नं0–1907 में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि0 से रिवायत है कि नबी करीम स0 ने फ़रमाया–''अल्लाह तआ़ला तुम्हें बरकत दे, वलीमा करो, चाहे एक बकरी की ही हो''। चूँकि रसूलुल्लाह स0 ने कहा कि ज़रूरी है कि वलीमा का एहतमाम किया जाए। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वलीमा इतना ज़रूरी है कि नबी करीम स0 को इस अंदाज़ में हुक्म देना पड़ा–''चाहे एक बकरी ही का वलीमा करो लेकिन वलीमा करो''।

मतलब जितनी तुम्हारी इस्तिताअ़त है, जितनी हैसियत है अपनी हैसियत के मुताबिक़ ही सही लेकिन वलीमा करो, आख़िर क्यों? क्योंकि वलीमा निकाह की ख़ुशी के इज़हार का एक

तरीक़ा है लेकिन वलीमा सिर्फ़ निकाह की ख़ुशी के इज़हार का तरीक़ा ही नहीं है बल्कि दरअस्ल वलीमा के बहाने वलीमा के ज़रीए निकाह को ''ऐलानिया'' करना है। वलीमा एक मौक़ा है जिसमें घर परिवार के लोग साथ आते हैं, रिश्तेदारों और दोस्तों की भी शिरकत होती है। इस तरह ख़ानदान के सभी लोगों के दरमियान, दोस्त अहबाब के दरमियान निकाह का ऐलान हो जाता है और साथ ही साथ नए जोड़े को बहुत सारी दुआएँ भी मिल जाती हैं। इसकी एक हिकमत यह भी है। इस तरह मर्द यह ज़ाहिर करता है कि वह इस क़ाबिल है कि वह अपनी बीवी की किफ़ालत (भरण–पोषण) और हिफ़ाज़त कर सकता है और अपनी आने वाली औलाद की भी परवरिश कर सकता है।

यह दावत–ए–वलीमा, इमाम मालिक के मशहूर क़ौल और इमाम शाफ़ई के एक क़ौल के मुताबिक़ फ़र्ज़ है और इस दावत का कुबूल करना भी फ़र्ज़ है और किसी उज़्र (जाइज़ वजह) की बिना पर छोड़ा जा सकता है। इमाम मालिक और हनाबिला का भी यही क़ौल है। साहिबे हिदाया का रूझान भी इसी तरफ़ है। कुछ ने क़ुबूलियत को फ़र्ज़े किफ़ाया और कुछ ने मुस्तहब क़रार दे दिया है। चूँकि दावत–ए–वलीमा एक शरई दावत है इसलिए उलमा का इजमा है कि बिला उज़्र शरई दावत–ए– वलीमा को रद्द नहीं करना चाहिए। सहीह मुस्लिम की हदीस नं0 3509 और

सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5173 में हज़रत इब्ने उमर रज़ि0 बयान करते हैं कि नबी करीम रसूलुल्लाह स0 ने फ़रमाया, ''जब तुम में से किसी को वलीमे की दावत के लिए बुलाया जाए तो उसे जाना चाहिए''।

दावत–ए–वलीमा को क़ुबूल करने से मुराद यह नहीं है कि आपके लिए वलीमा का खाना लाज़मी हो गया। आप चाहें तो वलीमा का खाना खाएँ और चाहें तो न खाएँ लेकिन अपनी हाज़िरी से मुसलमान भाई की दिलजोई करें और उसे अपनी दुआओं से ज़रूर नवाज़ें। क्योंकि सहीह मुस्लिम हदीस नं0–3518 अबू दाऊद नं0 3740 में हज़रत जाबिर रज़ि0 से रिवायत है कि नबी करीम रसूलुल्लाह स0 ने फ़रमाया, ''जब तुम में से किसी को खाने की दावत दी जाए, वह क़ुबूल करे। अगर चाहे तो खा ले और चाहे तो न खाए''।

14

निकाह के मुतअ़ल्लिक़ वह काम या बातें जो क़ुर्आन–ओ–हदीस से साबित नहीं

निकाह के मुताल्लिक़ वह काम या बातें जो क़ुर्आन–ओ–हदीस से साबित नहीं...

1. निकाह से पहले मँगनी की रस्म अदा करना ।
2. मँगनी के वक़्त सोने की अंगूठी पहनाना ।
3. मेंहदी और हल्दी की रस्म अदा करना।
4. दुल्हन को मेंहदी लगाना जाइज़ है लेकिन इसके लिए इज्तिमाअ़ करना और गाना बजाना जाइज़ नहीं ।
5. निकाह से पहले मँगेतर को "महरम" समझना।
6. ख़ास 786 रूपया हक़–महर मुक़र्रर करना और औरत को उसकी हैसियत से कम हक़–महर देना।
7. जहेज़ देना
8. दूल्हा को सहरा बाँधना ।
9. जहेज़ का मुतालबा करना ।
10. बारात में कसीर तादाद ले जाना ।
11. बारात के साथ बैंड–बाजा ले जाना।

12. ख़ुत्बः–ए–निकाह से पहले लड़की और लड़के को कलमा पढ़वाना।
13. निकाह के बाद मजलिस में छुहारे लुटाना ।
14. दूल्हा के जूते चुराना और पैसे लेकर वापस करना।
15. दुल्हन को क़ुर्आन के साए में विदा करना ।
16. मुँह दिखाई और गोद भराई की रस्म अदा करना।
17. माइयों बैठने की रस्म अदा करना।
18. मुहर्रम और ईद के महीने में शादी न करना।
19. अपनी हैसियत से बढ़कर दावते वलीमा करना।
20. नाच–गाने का एहतमाम करना।
21. मर्दों और औरतों की मख़लूत महफ़िलों की तसावीर बनाना।
22. लड़की का क़ुर्आन से निकाह करना।
23. निकाह के वक़्त मस्जिद के लिए कुछ रक़म वूसल करना।
24. तलाक़ की नियत से निकाह करना।
25. दौराने हमल निकाह करना।

26. शादी, मँगनी व बच्चे की पैदाइश वग़ैरह के मौक़े पर पहनावनी का एहतमाम करना।

27. शादी के मौक़े पर आतिश–बाज़ी करना।

28. बारात में उछलना, कूदना व नाचना

29. चौथी करना।

15

याद–दहानी

याद–दहानी

1. किसी भी लड़की से उसकी वाजिब हैसियत से कम महर देकर निकाह करना ग़लत है। (सूरः निसा आयत नं0–3, सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5064)

2. जो इंसान निकाह की ताक़त रखता है, उसे निकाह ज़रूर कर लेना चाहिए और जो नहीं रखता उसे रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि रोज़ा ख्वाहिश का तोड़ है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5065, 1905, 5066)

3. जो जिंसी तअ़ल्लुक़ात बनाने की ताक़त रखता है उसे निकाह कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि इससे निगाह नीची हो जाती है और शर्मगाह की हिफ़ाज़त होती है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5065, 1905)

4. जो शख़्स निकाह का बोझ उठा सकता है वही निकाह करे और जो शख़्स निकाह का बोझ नहीं उठा सकता उसे निकाह नहीं करना चाहिए बल्कि उसे अपनी शहवत (sexual desire) को क़ाबू में रखने के लिए रोज़ा रखना चाहिए। (सही बुख़ारी हदीस नं0 5065, 1905)

5. एक साथ नौ (Nine) बीवी रखना, यह सिर्फ़ नबी करीम रसूलुल्लाह स0 के लिए ख़ास छूट थी, उम्मत को सिर्फ़ चार रखने की इजाज़त है वह भी तब जब वह उनके दरमियान इंसाफ़ कर सके। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5067)

6. जिस किसी ने औरत से निकाह करने की नीयत से, या किसी नेक काम की नीयत से हिजरत की, तो उसे उसकी नीयत के मुताबिक़ ही बदला मिलेगा। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5070,01)

7. 'मुत्आ' के मअ़नी हैं फ़ायदा उठाना। कोई इंसान मुक़र्ररा मुद्दत तक के लिए किसी औरत से उसे कुछ दे–दिलाकर निकाह कर ले, इसी का नाम ''मुत्आ'' है। यह काम चलाऊ निकाह शुरू में जाइज़ था लेकिन फ़त्ह–मक्का के बाद हमेशा के लिए हराम हो गया। सिर्फ़ शिया फ़िर्क़ा के लोग इसे जाइज़ मानते हैं, उनके पास जाइज़ होने का कोई तर्क नहीं है जो हदीस से साबित हो। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 4615, 4216, 5115, 5119,)

8. अपने मुसलमान भाई की भलाई के लिए अपनी किसी बीवी को तलाक़ दे कर उसके निकाह में दे देना, दुरूस्त है। इस तरह के तलाक़ में कोई गुनाह नहीं।

   (सही बुख़ारी हदीस नं0 2049, 5072)

9. इस्लाम में बिना किसी मा'क़ूल वजह के बग़ैर निकाह के जिंदगी गुज़ारने की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को नबी करीम रसूलल्लाह स0 ने अपनी उम्मत से ख़ारिज क़रार दिया है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5073, 5074, 5075, 5076, 4615, सूरः माइदा आयत नं0–87)

10. ऐ ईमान वालों! तुम्हारे लिए जो पाक चीज़े हलाल हैं उन्हें अपने ऊपर हराम मत करो। अल्लाह हद से आगे बढ़ जाने वालों को पसंद नहीं करता। (सूरः माइदा आयत नं0–87–88)

11. जो कुछ लिखा है वह होकर रहेगा, फिर हराम काम करने से क्या फ़ायदा? हो सकता है तुम्हारी क़िस्मत में बुराई से बचना लिखा हो तो नपुंसक बन कर गुनाह का काम न करो। Sex से Related बुराई से बचने के लिए निकाह कर लेना बेहतर है चाहे आपके पास उसे महर में देने के लिए कुछ भी न हो।

(सही बुख़ारी हदीस नं0 4615, 5075, 5076)

12. बेवा से निकाह करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन, कुँवारी से करना बहतर है। यह बात भी याद रहे कहीं बेवा से ही निकाह करना अफ़ज़ल है उसको सहारा देने के लिए। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5079, 5080)

13. कम उम्र की औरत का बड़ी उम्र के मर्द से निकाह करना जाइज़ और दुरूस्त है। (सही बुख़ारी हदीस नं0 5081)

14. निकाह में उम्र का फ़र्क़ कोई अहमियत नहीं रखता और न ही मकरूह है।

(सहीह बुख़ारी हीदस नं0 5081)

15. निकाह के लिए, ऊँटों पर सवार होने वाली औरतों में कुरैश की नेक औरतें बहतर हैं जो अपने बच्चों से ज़्यादा मुहब्बत करने वाली और शौहर के धन–दौलत की सबसे ज़्यादा हिफ़ाज़त करने वाली होती है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ यह नहीं निकलता कि ज़ात–पात (यानी शैख़, सय्यद, ख़ान, कुरैश) को अहमियत हासिल है। जिस भी ख़ानदान से तअ़ल्लुक़ हो, उसके अंदर अच्छाई, भलाई, बहतरी, घर—द्वार, दीनदारी, बाल–बच्चों को सँवारने

सुधारने की सलाहियत देखनी चाहिए। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5082, 3434)

16. नबी करीम रसूलुल्लाह सं0 ने फ़रमाया–''जिस के पास लौंडी (ग़ुलाम) हो और वह उसको दीन की तालीम देकर, उसके अख़लाक़ और किरदार को सुधार कर, उसे आज़ाद करके उससे निकाह कर ले, तो उसको दोहरा सवाब मिलेगा''। (सही बुख़ारी हदीस नं0–97, 5083)

17. लौंडी की आज़ादी को उसका महर क़रार देना जाइज़ और दुरूस्त है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5083, 5086)

18. क़ुर्आन की तालीम या किसी भी तरह की तालीम को महर बनाया जा सकता है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 –5087)

19. नबी करीम रसूलुल्लाह सं0 ने फ़रमाया–लोग निकाह चार बुनियादी बातों को देख कर करते हैं

- धन दौलत (सहीह बुख़ारी नं0–5088,5090)
- ख़ानदान व जात–पात (सहीह बुख़ारी नं0–5088,5090)

- हुस्न–ओ–जमाल (सहीह बुख़ारी नं0–5088,5090)
- दीनदारी को तरजीह दो (सहीह बुख़ारी नं0–5088,5090)

20. बे–दीन शख़्स (चाहे औरत हो या मर्द) दीनदार की बराबरी नहीं कर सकता और न ही उस दीनदार (चाहे औरत हो या मर्द) से शादी का हक़दार है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5091)

21. एक यतीम लड़की (अनाथ लड़की) जो वली की देख–रेख में है, और उसका वली उसके हुस्न–ओ–जमाल, खूबसूरती और उसके धन–दौलत की वजह से उससे निकाह करना चाहता है लेकिन महर देने में और दिगर–ज़रूरियात को पूरी करने में कंजूसी का इरादा रखता है तो ऐसे वली को ऐसी यतीम (अनाथ) लड़की से निकाह करने से मना किया गया है। हाँ अगर पूरा–पूरा महर अदा करने की नीयत है तो इस सूरत में निकाह करने की इजाज़त है।

    (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–2494, 5092, सूरः निसा आयत नं0 03, 127)

22, आज़ाद औरत, ग़ुलाम मर्द से निकाह कर सकती है ये बिल्कुल जाइज़ है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5097)

23. अपने भाई की लड़की से निकाह हराम है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5099, 2646, 5100, 5101)

24. दूध–शरीक भाई की लड़की से भी निकाह हराम है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–2646, 5099, 5100, 5101)

25. जिस इंसान के जिंसी–तअ़ल्लुक़ात की वजह से औरत को दूध हुआ है उस इंसान के रिश्तेदार भी पीने वाले पर हराम हो जाते हैं। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5103)

26. जिस मर्द के जिंसी–तअ़ल्लुक़ात की वजह से औरत को दूध हुआ है वो मर्द उस औरत का दूध पीने वाले बच्चे का रज़ाई वालिद (बाप) है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5103)

27. दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर मानी जाती है और एक औरत की गवाही आधी गवाही मानी जाती है। लेकिन दूध के मामले में सिर्फ़ एक ही औरत की गवाही काफ़ी मानी जायेगी।(सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5104)

28. बीवी की भतीजी या भाँजी से निकाह करना हराम है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5108, 5109, 5110, 5111)

29. निकाह के लिए दूध पीने से वह रिश्ते हराम हो जाते हैं जो ख़ून की वज्ह से हराम हो जाते हैं। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 2646, 5099ख 5111)

30. हुज़ूर रसूलुल्लाह स0 ने 'शिगार' (यानी बदले के निकाह) से मना फ़रमाया है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5112)

31. औरत का अपने–आप को किसी मर्द के सामने निकाह के लिए पेश करना दुरूस्त है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5113, 5120, 5121, 6123)

32. किसी मर्द का किसी मर्द से अपनी बेटी व बहन के निकाह की पेशकश करना जाइज़ और दुरूस्त है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5122, 5123,5101, 5106, 4005)

33. निकाह से पहले औरत को देखना जाइज़ और दुरूस्त है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 2310, 5125, 5126, 3895)

34. ऐसी बेवा को जो इद्दत गुज़ार रही है अगर तुम इशारे से उन्हें निकाह का पैग़ाम दो या उनसे निकाह के इरादे को दिल में ही छुपाये रखो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं,

लेकिन जब तक इद्दत न गुज़र जाए उनसे निकाह का इरादा भी करना गुनाह है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5124)

35. बिना वली की इजाज़त के निकाह नहीं होता, निकाह के लिए वली का होना ज़रूरी है।

(सहीह बुख़ारी हदीस नं0 –2494, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 4005, 2310 सूरः बक़रः आयत नं0–221, 232 सूरः नूर–आयत नं0–33)

36. लड़की की इजाज़त के बिना निकाह जाइज़ नहीं है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5136, 5137, 6968, 6970)

37. निकाह के वक़्त लड़की की ख़ामोशी उसकी इजाज़त समझी जाएगी (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 –5136, 5137, 6968, 6970)

38. अगर किसी ने अपनी कुँवारी, बेवा या तलाक़शुदा बेटी या बहन का निकाह उसके नापसंद करने के बावजूद या'नी जबरन कर दिया तो वह निकाह बातिल हो जाएगा। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5138, 5139, 6945, 6969)

39. अगर निकाह का पैग़ाम भेजने वाने ने लड़की के वली से कहा कि–मेरा निकाह उस लड़की से कर दो और वली ने कहा : मैंने इतने महर पर तेरा निकाह उससे कर दिया तो निकाह हो गया, अगर्चे वह वली यह न पूछे कि तुम इस शर्त पर राज़ी हो या तुमने क़ुबूल किया अथवा नहीं। मतलब यह कि उसका दरख़्वास्त करना ही क़ुबूल करना है, बाद में क़ुबूल करने का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह इस महर पर (जितना महर वली ने कहा है) राज़ी नहीं है तो उसे इंकार करना पड़ेगा। (सहीह बुख़ारी हदीस नं० 2494, 5140,)

40. अगर एक मुसलमान भाई ने किसी औरत को निकाह का पैग़ाम भेज दिया तो कोई दूसरा शख़्स उस औरत के लिए पैग़ाम न भेजे जब तक कि वह उससे या तो निकाह कर ले या इंकार कर दे। (सही बुख़ारी हदीस नं०–2140, 5142, 5144)

41. निकाह के पैग़ाम को ठुकराने व छोड़ने की वजह बताना ज़रूरी है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं०–5145)

42. निकाह में ख़ुतबा पढ़ना ज़रूरी है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं० 5146)

43. महर में नक़दी यानी रूपया, पैसा के अलावा और दूसरी चीज़े भी दी जा सकती है। नक़द ही देना ज़रूरी नहीं है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 2310, 2049, 5148, 5149, 5150, 5153)

44. निकाह में जाइज़ शर्त लगाना जाइज़ है, हक़ की अदायगी उस वक़्त मानी जाएगी जब शर्त पूरी की जाए। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–2140, 5151, 5152)

45. निकाह में औरत की लगाई गई यह शर्त–''पहली बीवी को तलाक़ दे दो'' जाइज़ नहीं है। हाँ अगर शर्त लगाए कि–''मेरे रहते हुए दूसरा निकाह नहीं करोगे तो जाइज़ है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 2140, 5152)

46. वलीमा में गोश्त का होना लाज़मी नहीं है और वलीमा खाकर तुरन्त निकल जाना चाहिए। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–371, 2049, 5154, 5159, 5169)

47. जिंसी तअ़ल्लुकात क़ायम करने के लिए और निकाह के लिए लड़का और लड़की दोनों को ज़िम्मेदार और बालिग़ होना ज़रूरी है न कि उम्र की शर्त। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5158)

48. सफ़र के दौरान नई दुल्हन से तअल्लुक़ात क़ायम करना दुरूस्त है।(सहीह बुख़ारी हदीस नं0–371, 5159)

49. निकाह के मौक़ा पर दुल्हा–दुल्हन को तोहफ़ा भेजना जाइज़ है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–4791,4792, 5163)

50. वलीमा करना ज़रूरी है चाहे एक बकरी से ही किया जाए और इसमें शिर्कत भी ज़रूरी है। (सहीह बुखारी हदीस नं0 371, 1239, 2049, 4791, 5159, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5172, 5173, 5174, 5175, 5177, 5178, 5179, सूरः अल–माइदा आयत नं0–73)

51. जिसके पास एक से ज़्यादा बीवी हो, किसी बीवी के वलीमे में जानबूझ कर ज़्यादा पकवाना और किसी के वलीमे में कम, जाइज़ नहीं है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 –4791, 5171)

52. जिस तरह वलीमे की दावत करना ज़रूरी है, ठीक उसी तरह वलीमे की दावत को क़ुबूल करना भी ज़रूरी है। वलीमे की दावत को सात दिनों तक जारी रखा जा सकता है, इसके लिए एक या दो दिनों की सीमा तय नहीं की गई है। वलीमा की दावत को सात दिन तक जारी रखना हैसियत के एतबार से है लेकिन दिखावे की

नीयत न हो ये शर्त है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 3046, 5173, 5174, 5177, 5178, 5179)

53. दावत मामूली हो या बड़ी, उसे क़ुबूल करना लाज़मी है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–2568, 5178)

54. शादी–ब्याह की दावत हो या किसी और चीज़ की दावत, सभी को क़ुबूल करना ज़रूरी है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5173, 5179)

55. नफ़ली रोज़े की हालत में रोज़े को तोड़ कर वलीमा की दावत में शरीक होना दुरूस्त है न कि रोज़े की वजह से दावत में शरीक न होना। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5179)

56. शादी–ब्याह में औरतों व बच्चों का होना भी दुरूस्त है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 3785, 5180)

57. अगर दावत में कोई काम शरीअत के ख़िलाफ़ देखें तो लोट आना चाहिए।

(सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5181)

58. जिस दावत में नाच–गाना हो रहा हो, बुरे लोगों को दावत दी गई हो, शराब–कबाब परोसी जा रही हो, तो

ऐसी दावत में शरीक होने से मना फ़रमाया गया है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5181)

59. वलीमे की दावत में ख़ुद दुल्हन ही काम–काज करे और पर्दे में रहकर उन्हें खिलाए पिलाए तो यह दुरूस्त है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5176, 5182)

60. मर्द के साथ रहते हुए औरतों के काम करने और मेहमानी व महमान नवाज़ी करने में कोई हर्ज नहीं है। (1 सहीह बुख़ारी हदीस सं0 05176, 5182)

61. खजूर का शर्बत, इस तरह का कोई भी शर्बत जिसमें नशा न हो, शादी की दावत में पिलाना दुरूस्त है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5176, 5183)

62. अगर वालिद (बाप) अपनी बेटी को उसको शौहर के मामले में हिदायत करे तो कोई हर्ज नहीं है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5191)

63. शौहर की मौजूदगी में कोई भी औरत, शौहर की इजाज़त के बिना नफ़ली रोज़े नहीं रख सकती है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5192, 5195)

64. जो औरत बिला वजह नाराज़ होकर अपने शोहर से अलग होकर सोए वह लानती है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 3237, 5193)

65. बीवी, अपने शौहर की इजाज़त के बिना घर में किसी को आने की इजाज़त नहीं दे सकती। (सहीह बुख़ारी हदीस नं.0 5195)

66. बीवी, अपने शौहर का माल (दौलत) ख़ैरात नहीं कर सकती, लेकिन अगर वह अपने ख़र्चे और खुराक में से दे तो दोनों को बराबर सवाब मिलेगा और ख़ैरात भी इतना ही करें कि शौहर को बुरा न गले। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5195)

67. शौहर की नाफ़रमानी व नाशुक्री का अंजाम जहन्नुम है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5197)

68. बीवी, अपने शौहर के घर और उसके बच्चे की हाकिम है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 893, 5200)

69. हव्वा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम की बायीं पसली से बनाई गई थी, यही कारण है कि उसके मिज़ाज में पैदाइश से ही टेढ़ापन है। इसलिए उनकी बातों की कुछ ज़्यादा पर्वाह न करते हुए जहाँ तक हो सके नज़रअंदाज़

करते हुए उसके साथ निर्वाह करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शरीअत के ख़िलाफ करने पर भी उन पर सख़्ती न करो। मतलब यह है कि न केवल नर्म रहो न केवल गर्म बल्कि जहाँ जैसी ज़रूरत हो उसी हिसाब से पेश आओ। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 331, 5186)

70. ज़रूरत पड़ने पर शौहर अपनी बीबी को मार–पिट सकता है लेकिन इस तरह कि बीवी पर मार के निशान न पड़ने पाएँ या'नी शौहर अपनी बीवी को सिर्फ़ और सिर्फ़ हल्की मार मार सकता है वह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर। इसके बावजूद भी शौहर को चाहिए कि मार–पीट से परहेज़ करे। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5204)

71. बीवी को चाहिए कि गुनाह के काम में शौहर की बात न माने। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5205)

72. सर के बाल को जोड़ना ((Artificial बाल लगाना) और जुड़वाना दोनों गुनाह है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5205)

73. अज़्ल करना यानी औरत से हमबिस्तरी करना और मनी के निकलने के समय अपने लिंग को बाहर निकाल लेना ताकि वीर्य औरत की शर्मगाह में नहीं जाए और वह

गर्भवति न हो सके, गुनाह है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं. –5210)

74. औरत (बीवी) अपने शौहर की बारी अपनी सौतन को दे सकती है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं.–2593, 5212)

75. अगर किसी के निकाह में बेवा औरत है और फिर कुँवारी से भी निकाह कर ले तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5213,5214)

76. कुँवारी बीवी के होते हुए बेवा से निकाह करने में कोई गुनाह नहीं है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5214)

77. जब कोई पहले ही से शादी शुदा बेवा बीवी की मौजूदगी में अगर कुँवारी औरत से निकाह करे तो उसे उसके साथ सात दिन तक रहने हुक्म है फिर बारी मुक़र्रर करने का हुक्म है, बेवा से निकाह करे तो उसके साथ उसे तीन दिन गुज़ारने का हुक्म है फिर बारी मुक़र्रर करने का हुक्म है। (सहीह बुख़ारी हदी नं0–5213, 5214)

78. शौहर अगर चाहे तो तमाम बीवियों के साथ हमबिस्तर होकर आख़िर में गुस्ल कर सकता है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 –268, 5215)

79. बीवी के साथ दिन में भी हमबिस्तरी की जा सकती है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5216)

80. अगर शौहर अपनी बीमारी के दिन किसी एक ही बीवी के घर बिताने के लिए दूसरी बीवियों से इजाज़त माँगे और वह इजाज़त दे दे तो वह उसके घर बीमारी के दिन बिता सकता है। लेकिन अगर इजाज़त न मिले तो वह ऐसा नहीं कर सकता। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5217)

81. अगर शौहर अपनी बीवियों में से किसी एक से दूसरी बीवियों के मुक़ाबले में ज़्यादह मुहब्बत करे तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 –5218)

82. किसी सौतन का दिल जलाने के लिए झूठ–मूट का बयान करना हराम है।

(सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5219)

83. बीवी अपने शौहर से नाराज़ व गुस्सा हो सकती है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5228)

84. बीवी अपने शोहर का नाम ले सकती है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5225)

85. ग़ैरत, गुस्सा और इंसाफ़ को लेकर वालिद (बाप) अपने बेटी के मामले में दख़ल दे सकता है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5230)

86. महरम के अलावा ग़ैर मर्द का किसी औरत के साथ एकान्त में बैठना या ऐसी औरत के घर में भी जाना जिसका शौहर घर में मौजूद न हो, गुनाह है।

(सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5232, 5233)

87. लोगों की मौजूदगी में, एक मर्द किसी ग़ैर महरम औरत से एकान्त में बातें कर सकता है। यह जाइज़ है। (सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5234)

88. बिला वजह औरत का नक़ाब पहन कर भी बाहर आना जाना जाइज़ नहीं है।

(सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5237)

89. शौहर की इजाज़त के बिना औरत का मस्जिद वग़ैरह में जाना मना है।

(सहीह बुख़ारी हदीस नं0 5238)

90. एक औरत का दूसरी औरत के सामने भी नंगी हालत में उठना–बैठना मना है। यानी औरत को मर्दों के साथ–साथ औरतों से भी परदे का हुक्म है। इसी तरह मर्दों का भी दूसरे मर्दों के सामने नंगा उठना–बैठना मना है।

(सहीह बुख़ारी हदीस नं0–5240, 5241)

16

बदलाव

बदलाव

इस पूरी किताब में आप ने निकाह के बारे में पढ़ा, जाना और समझा। निकाह के हर पहलू दुनियावी पहलू और दीनी पहलू शरीअ़तन जाइज़ पहलू और शरीअ़तन नाजाइज़ पहलू का मुतालिआ़ किया। निकाह के पाक और मुक़द्दस रिश्ते पर नबी करीम स0 के क़ौल व आ़माल से रूबरू हुए, और साथ ही साथ निकाह के पाक और मुक़द्दस रिश्ते पर क़ुर्आनी आयात और अहादीस को भी पढ़ा। इनमें से कई बातें आपके इल्म (जानकारी) में होंगी और कई ऐसी बातों और जानकारी से भी आशना हुए होंगे जिनकी मालूमात आपको नहीं होगी। लेकिन इस बात में कोई दो–राय नहीं है कि आपने निकाह को आसान करने की नसीहतें कहीं न कहीं से ज़रूर सुनी होंगी, पढ़ी होंगी।

निकाह हर दौर में, हर वक़्त में, वक़्त की एक ऐसी ज़रूरत है जिस पर बेशुमार उल्मा और मुफ़क्किरीन ने बात की है और उम्मत–ए–मुस्लिमा को सहीह सुन्नती निकाह की तरग़ीब दी है। लेकिन, निहायत ही अफ़सोसकुन बात है कि उम्मत–ए–मुस्लिमा ने मजमूई तौर पर, सुन्नती निकाह के तसव्वुर को भुला दिया है। कई समाजी, अख़लाक़ी, तह्ज़ीबी, ज़ेहनी और मआ़शी परेशानी से उम्मत–ए– मुस्लिमा दो चार है और दिन ब दिन इस

परेशानी में धँसती ही जा रही है। इसलिए अब वक़्त का तक़ाज़ा है–'एक बुनियादी बदलाव का' जिसे नजरअंदाज़ करना दुनियावी और दीनी दोनों लिहाज़ से किसी भी तरह दुरूस्त नहीं है। यही वजह है कि ऐसा बदलाव जो हमें हर–हाल में करना ही होगा, एक ऐसा बदलाव जो जाहिलीयत के तरीक़ों को ख़त्म करेगा, एक ऐसा बदलाव जो सहाबा के दौर की यादों को ताज़ा कर देगा, एक ऐसा बदलाव जो हमारे ख़ैर–ए–मुसलमाँ की शहादत देगा। और ये बदलाव तभी मुमकिन है जब सही मअ़नी में अपने निकाह को क़ुर्आन और सुन्न्त की रौशन हिदायतों के मुताबिक़ करें और जाहिलीयत के सारे तरीक़े उखाड़ फेंकें जिससे इस्लामी तहज़ीब का दूर–दूर तक कोई रिश्ता न हो, जिनका हुक्म क़ुर्आन, हदीस–ओ–सुन्नत में न मिले और जिनका ज़िक्र हुज़ूर स0 और सहाबा किराम के ज़माने में नहीं मिलता हो।

इस अज़ीम बदलाव के लिए बुनियादी तौर पर तीन लोगों को या यूँ कह लें–समाज के तीन तबक़ों को पहल करनी होगी तब जाकर कहीं ये बदलाव मुमकिन हैं।

1. नौजवान और बालिग़ नस्ल
2. वालिदैन और ख़ानदान के बुज़ुर्ग

3. समाज के ज़िम्मेदार, बाअसर लोग और उलमा–ए–दीन

1. नौजवान और बालिग़ नस्ल :

इस बदलाव के लिए सबसे पहले नौजवान और बालिग़ नस्ल को क़दम उठाना होगा। नौजवान मर्द औरतों को, नौजवान लड़का और लड़की को, और बालिग़ लड़का और लड़की को अपने क़दम आगे बढ़ाने होंगे, बदलाव की अहम ज़िम्मेदारी अपने सर लेनी होगी। बदलाव के मुताल्लिक़ अहम काम सरअंजाम देने होंगे, क़ुर्आन और सुन्नत पर चलने का ख़ुद से अहद करना होगा, नबी करीम स0 और सहाबा के तरीक़ा–ए–ज़िंदगी को अपनाना होगा तब कहीं जाकर बदलाव मुमकिन हो पाएगा।

हर शख़्स को अपनी निगाहों और शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करनी होगी। नामहरम मर्द या औरतों से मुलाक़ात के आदाब को सीखना होगा और फिर इन आदाब का ख़्याल रखना होगा, पासदारी करनी होगी। ज़िना और इसकी तरफ़ जाने वाले हर आमाल से ख़ुद को रोकना होगा, ख़ुद को दूर करना होगा। जो नौजवान और बालिग़ इस्तिताअ़त रखते हैं उन्हें निकाह करना होगा और ख़ुद को बेहयाई के कामों से बचाए रखना होगा। जो लोग निकाह की इस्तिताअ़त नहीं रखते हैं उन्हें अपनी

इस्तिताअ़त शहवत पर क़ाबू करने के लिए रोज़े रखने होंगे और साथ ही साथ शहवत भड़काने वाले आ़माल से खुद को बचाना होगा। नौजवानों को अपने लिए बीवी या शोहर की तलाश के वक्त नेकी, दीनदारी और ऊँचे अख़लाक़ व किरदार को अहमियत देनी होगी और साथ ही साथ निकाह के लिए मालो–दौलत, हुस्नो–जमाल, ख़ानदान और मर्तबा से बढ़कर दीन और अख़लाक़ को तरजीह देना होगा। अगर कोई मर्द किसी औरत से निकाह का ख़्वाहिशमंद है तो उसे अपना पैग़ाम–ए–रिश्ता लड़की के वली को भेजना होगा न कि औरत से इसका इज़हार करे। औलाद के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने घर वालों को अपनी पसंद नापसंद बताए और अदब के दायरे में उनके साथ निकाह के बारे में मश्वरा करे। साथ ही औलाद ख़ास तौर पर लड़की की ज़िम्मेदारी है कि अपने वली के इजाज़त के बिना निकाह न करे और मर्द के लिए ज़रूरी है कि जहेज़ का मुतालबा न करे और अपनी बीवी को हक़–महर वक़्त पर अदा करे। नौजवान और बालिग़ नस्ल जब तक यह सारे काम नहीं करेगी अपने अंदर सारी तब्दीलियाँ नहीं लाएगी तब तक बदलाव सिर्फ़ एक ख़्वाब है और इसके सिवा कुछ भी नहीं।

2. वालिदैन और ख़ानदान के बुज़ुर्ग :

इस बदलाव में दूसरा और अगला अहम किरदार वालिदैन और ख़ानदान के बुज़ुर्गों का है जिन्हें निकाह की मौजुदा शक्ल और कैफ़ियत को सहीह व तब्दील करने के लिए अपने क़दम बढ़ाने होंगे और कुछ काम सरअंजाम देने होंगे। वालिदैन और ख़ानदान के बुज़ुर्गों को चाहिए कि ऐसे लड़के–लड़की जिनकी उम्र और अक्ल पुख़्ता हो गई हो, और वे आने वाले वक़्त में घर–ख़ानदान की ज़िम्मेदारी सँभालने की सलाहियत रखने लगे हैं, का सही वक़्त पर निकाह कर दें। अपनी औलादों के निकाह में बिला वजह देरी बिल्कुल न करें क्योंकि निकाह में ज़्यादा देर होने से लड़के–लड़कियाँ फ़ितना और बेहयाई की तरफ़ क़दम बढ़ा सकते हैं। नौजवान व बालिग़ नस्ल की तरह वालिदैन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि अपने दामाद और बहू की तलाश में दीनदारी और अख़्लाक़ को पहली तरजीह दें और मुनासिब रिश्ता मिलने पर उसे बे–वजह ख़ारिज न करें। वालिदैन और ख़ानदान के बुज़ुर्गों को चाहिए कि निकाह के मामले में अपनी औलाद के मश्वरे को अहमियत दें, उनके समाने अपनी बात रखें, औलाद की बात को भी इतमिनान से सुनें और साथ ही वालिदैन अपनी औलाद ख़ास तौर पर लड़की को निकाह के लिए मजबूर न करें। शादियों में से ग़ैर शरई और ग़ैर इस्लामी रस्मों का मुकम्मल बायकाट करें और शादी में इस्लाम ने जो सादगी

अपनाने की तालीम दी है उसे अपनाएँ। निकाह में फ़ुज़ूलख़र्ची बिल्कुल भी न करें। दिखावे और शोहरत को हर अमल से मुकम्मल ख़त्म करें। वालिदैन कोशिश करें कि जहेज़ की बातिल रस्म और लड़की के घर बारात के ख़ाने की तक़रीब पूरी तरह ख़त्म कर दें और साथ ही वलीमे में भी अपनी हद से ज़्यादा ख़र्च न करें।

3. समाज के ज़िम्मेदार बाअसर और उलमा–ए–दीन :–

इस बदलाव में तीसरा और सबसे अहम किरदार समाज के ज़िम्मेदार, बाअसर लोगों और उलमा–ए–दीन का है। समाज के इन तबक़ात से जुड़े लोगों की यह ज़िम्मेदारी है कि समाज के जिन तबक़ों का निकाह ग़रीबी, ख़ानदानी, ऊँच–नीच या किसी और वजह से नहीं हो पा रहा है, उनके निकाह में आसानी लाने और उनके निकाह के लिए कोशिश करें। जहेज़ की रस्म को ख़त्म करने, महर की सहीह अदायगी, निकाह के सुन्नत तरीक़े के बारे में अवाम तक इस्लाम का पैग़ाम पहुँचाएँ। उलमा–ए–दीन की ज़िम्मेदारी है कि वो मुकम्मल बायकाट करते हुए ऐसा निकाह न पढ़वाएँ जो क़ुर्आन और सुन्नत से सहीह न हो, जहाँ जहेज़ का लेन–देन और फ़ुज़ूलख़र्ची हो रही हो। उलमा–ए–दीन को चाहिए कि निकाह के ख़ुत्बे में अरबी ख़ुत्बा

के साथ तर्जुमा और मुख़्तसर पैग़ाम और निकाह के सुन्नत तरीकों को भी लोगों के सामने रखें और उसमें अमल करने की नसीहत करें। आजकल के वो मुस्लिम नौजवान घर से भाग कर शादी कर रहे हैं या बिना शादी के साथ रह रहे हैं (Live in Relationship), इन मामलों में समाज के उलमा और ज़िम्मेदार लोगों को चाहिए कि लोगों को इस बुराई से आगाह करें और इसके नुक़सान लोगों के दरमियान आम करें और इस्लाम के ख़ानदानी निज़ाम का सही तसव्वुर लोगों के सामने बयान करें।

ये वो अहम काम और तब्दीली हैं जिनको अमल में लाना इस नाजुक वक़्त में इंतिहाई ज़रूरी है। अगर इन्हें वक़्त रहते न किया गया तो आने वाले वक़्त में मुसलमानों का ख़ानदानी ताना–बाना कमज़ोर से कमज़ोर होता जाएगा और फिर हम उस वक़्त शायद इस पर क़ाबू हासिल न कर पाएँ। लेकिन अभी हमारे पास वक़्त है। एक तब्दीली का, एक बदलाव का, एक इंक़लाब का। हमारे पास अभी भी मौक़ा है अपनी ग़लती सुधारने का और एक बहतर समाज की बुनियाद रखने का। अगर हम अभी से ही तबदीली की शुरूआत कर क़ुर्आन और सुन्नती तरीक़े से निकाह करते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक़्त में मुस्लिम उम्मत पूरी दुनिया को एक अच्छा समाजी व अख़लाक़ी

निज़ाम और बहतरीन समाज का मॉडल दे पाएगी जिस तरह इसी मुस्लिम उम्मत ने अपने शुरूआती दौर में दिया था।

हमें यह बात खुद भी समझनी होगी और हमारे बुज़ुर्गों और समाज को भी समझना होगा कि निकाह का जो तसव्वुर और मॉडल इस्लाम ने दिया है उससे बहतर निकाह का तरीक़ा, निकाह का तसव्वुर, निकाह का मॉडल कोई दूसरा नहीं है। इज़्दवाज और घर बसाना, इंसान की फ़ितरी ज़रूरत है। इंसानी नस्ल के आगे बढ़ने का ज़रीआ भी यही है। यह मुआमला मर्द व औरत के हुक़ूक़ की हिफ़ाज़त करते हुए, अल्लाह की बनाई हुई फ़ितरत और इसके अता किए हुए फ़ितरी उसूलों की रौशनी में मुकम्मल आपसी रज़ामंदी से तय होना चाहिए और दोनों फ़रीक़ को तयशुदा मुआहिदे की पाबंदी का अहद अल्लाह के नाम पर करना चाहिए। ऐसे मुकम्मल मुआहिदे के बग़ैर औरत और मर्द का इकट्ठा होना ज़ाहिरी तौर पर जितना भी आसान और दिलकश लगे लेकिन मुआशरे, समाज और नस्ल की तबाही का सबब बनते हैं। जिन मुआशरों ने और समाज ने इस तरह की ज़िंदगी गुज़ारने की इजाज़त दी है, वहाँ मायें और उनके बच्चे शदीद मुसीबतों में गिरफ़्तार और तबाही का शिकार हैं। इसलिए निकाह को आम और आसान किया जाए। इस बात का ख़ास ख़्याल रखा जाए कि निकाह के मुआमले में आपस में मुकम्मल

रज़ामंदी हो लेकिन माली तौर पर या किसी और तरह शादी को मुश्किल न बनाया जाए। मर्द, औरत और बच्चों समेत तमाम फ़रीक़ों के हुक़ूक़ तभी महफ़ूज़ रह सकते हैं जब निकाह नाम का यह मुआहिदा मुस्तक़िल हो और हमेशा निभाने की नियत पर मबनी हो। इसलिए इस्लाम ने इस बात का ख़ास तौर पर एहतिमाम किया है कि निकाह का मुआहिदा सोच समझ कर किया जाए। मर्द अपनी होने वाली बीवी को और औरत अपने होने वाले शौहर को देख ले। जब निकाह का मामला शुरू हो जाए तो उसमें, किसी भी तरह से कोई ग़लत मुदाख़िलत न हो, ज़हनी आज़ादी के साथ ज़हनी सुकून से बहुत इतमिनान से ठंडे दिल–ओ–दिमाग़ से इस मुआ़मले यानी निकाह के हर पहलू पर ग़ौर–ओ–फ़िक्र करने के बाद ही निकाह नाम का मुआहिदा करें। इस्लाम ने यह मुतय्यन कर दिया है कि ख़ानदान की तरफ़ से वली, और निकाह करने वाले नौजवानों में सबकी दिली–रज़ामंदी उसमें शामिल हो ताकि यह निकाह न सिर्फ़ क़ायम रहे और खींचा–तानी से महफ़ूज़ रहे बल्कि इसे दोनों तरफ़ से पूरे ख़ानदानों की हिमायत हासिल रहे। निकाह और शादी के मुआमलात में अलग–अलग मुआशरों व समाज़ों में जो कि तवहहुमात मौजूद होते हैं, इस्लाम ने उनको भी रद्द किया है। इस को भी नापसंदीदा क़रार दिया कि शादी सिर्फ़ अमीर और आला

तबक़े में ही की जाएँ। इस्लाम ने निकाह में उम्र के फ़ासले को तर्जीह नहीं दी है। इस्लाम ने कुँवारे और शादी–शुदा के शर्त को भी नकार दिया है। इस्लाम में ज़ाहिरी खूबसूरती व हुस्न की जगह सीरत और दीनदारी को तर्जीह दी है। इस तरह इस्लाम ने निकाह को आसान ही नहीं बल्कि बहुत ही आसान बना दिया है। लेकिन हमने निकाह में दुनिया भर की मनमुआफ़िक़ शर्तें लगा कर निकाह को बहुत मुश्किल बना दिया है। हमें इस मुश्किल बन चुके निकाह को आसान करना है और एक बार फिर आने वाले वक़्त में पूरी दुनिया को एक अख़लाक़ी व बहतरीन समाज का वही मॉडल देना है जो हमारे नबी करीम स0 ने सारी दुनिया को दिया था।

अल्लाह हमें, हमारे निकाहों को और अपनी ज़िन्दगी को क़ुर्आन और सुन्नत के बताए गए तरीक़ों से करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और एक मिसाली समाज बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन ....